राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 4] विधान सभा के चतुर्थ सत्र का इकत्तीसवां दिवस [संख्या 23

बुधवार, 26 मार्च, 1969

विधान सभा की बैठक म. पू. 8. 1 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न।

प्रश्न संख्या 553

श्री हरजीराम बुरड़क !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 5 4

श्री रामानन्द अग्रवाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 555

श्री रावतराम !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 556

श्री बीरबल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 557

श्री महेन्द्रसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 558

श्री मेघराज पंवार !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 559

श्री अमीलाल यादव !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 560

श्री बिट्ठलभाई !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 561

श्री पृथ्वीसिंह चौहान !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 562

श्री लक्ष्मण तानीवाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या 563

श्री लाभचन्द वैद !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 564

श्री सुवालाल चौधरी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 565

श्री कृष्णकुमार गोयल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 566

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 567

श्री लादूराम सुलानिया !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री हंसराज आर्य !

नोहर-साहवा सड़क

568. **श्री हंसराज आर्य (भादरा) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नोहर से साहवा के लिये रोड पक्की बनाने पर कई बार विचार-विमर्श हुआ ?

(2) क्या यह भी सही है कि अकाल क्षेत्र का दौरा करते समय 18 सितम्बर, 1968 को मुख्य मंत्री जी ने नोहर की सार्वजनिक सभा में यह फरमाया था कि नोहर-साहवा रोड को हम प्राथमिकता देंगे ?

(3) क्या इस रोड को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है ? यदि हां, तो इसका काम कब चालू करवा दिया जावेगा और नहीं तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की जानकारी हासिल नहीं हो सकी है इसलिये इसको स्थगित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष: अधूरी तो है ?

श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा : पूरी जानकारी नहीं हो पायी है ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया । श्री नाथूराम !

पटवारी प्रशिक्षण केन्द्र

569. **श्री नाथूराम (बागीडोरा) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पटवारी प्रशिक्षण में भर्ती कौन करता है ? उसके लिये प्रार्थना-पत्र किस प्रकार आमन्त्रित किये जाते हैं तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है ?

(2) राज्य में कितने पटवारी प्रशिक्षण केन्द्र हैं तथा प्रत्येक में कितने-कितने प्रार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं व

(श्री नाथूराम)
प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रार्थियों में से कितने अनुसूचित जनजाति के हैं ?

(3) क्या यह सत्य है कि इस प्रशिक्षण में आदिवासियों को कम अवसर दिया गया है ? यदि नहीं, तो विगत 10 वर्षों में कुल कितने आदिवासी प्रशिक्षित किये गये व उनका कुल प्रशिक्षणार्थियों में कितना प्रतिशत था ?

(4) राज्य में कुल कितने पटवारी हैं ? उनमें से कितने आदिवासी हैं ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) पटवार प्रशिक्षण में भर्ती जिलाधीश द्वारा की जाती है। इसके लिये प्रार्थना-पत्र सादा कागज पर जिलाधीशों को एक माह की अवधि में भेजना पड़ता है।

भर्ती के लिये न्यूनतम योग्यता हाई-स्कूल अथवा हायर सेकण्डरी भाग I पास होना अनिवार्य है।

(2) राज्य में तीन पटवार प्रशिक्षण केन्द्र हैं जिनके नाम टौंक, उदयपुर व गंगानगर हैं। प्रत्येक पटवार प्रशिक्षण केन्द्र में 50, 50 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रार्थियों में से 18 अनुसूचित जनजाति के हैं।

(3) यह सत्य नहीं है। प्रशिक्षण में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य नियमानुसार 12½ प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं। विगत दस वर्षों में विभिन्न जिलों में 81 आदिवासियों को प्रशिक्षण दिया गया है। व उनकी संख्या कुल प्रशिक्षणार्थियों में 1.60 प्रतिशत होती है।

(4) लीव रिजर्व पटवारियों सहित राज्य में पटवारियों की कुल संख्या 8,328 है। जिनमें से 80 आदिवासी पटवारी हैं।

श्री नाथूराम : क्या यह सही है कि कुशलगढ़ का पटवार ट्रेनिंग सेन्टर बन्द कर दिया गया है ?

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सुनाई नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : कुशलगढ़ का पटवार केन्द्र बन्द कर दिया गया है क्या ?

श्री गंगाराम चौधरी : जी हां। कुशलगढ़ का ट्रेनिंग सेन्टर बन्द कर दिया गया।

श्री नाथूराम : क्या कारण है ?

श्री गंगाराम चौधरी : प्रशिक्षार्थियों की जितनी आवश्यकता रही उसके अनुसार तीन पटवार सेन्टर ही काफी हैं।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या राज्य सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि 12½ पर्सेन्ट रिजर्वेशन है उसका दृढ़ता से पालन किया गया है ? क्या जांच की है ?

श्री गंगाराम चौधरी : जी हां। 12½ प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिये है। इसका पालन ठीक प्रकार से किया जा रहा है।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा में अनुसूचित जाति के बच्चों के

Page No 4

(श्री नाथूराम)
प्रार्थना-पत्र पेश हुए लेकिन उनको ट्रेनिंग में नहीं लिया और कुशलगढ़ में चालू था सेन्टर उसको बन्द कर दिया। क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि बांसवाड़ा में कितने आदिवासी लड़कों को लिया गया ?

श्री राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : बांसवाड़ा के तो फीगर्स नहीं हैं। कुल मिला कर 80 लिये हैं।

श्री नाथूराम : आपने बताया कि कुल राज्य में से 80 लिये हैं। तो क्या सारे राज्य में प्रशिक्षणार्थी आदिवासियों में से 80 ही आये ?

श्री गंगाराम चौधरी : आदिवासियों के मुख्य जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर हैं। जो भी प्रशिक्षणार्थी आये वे काफी हैं।

श्री अध्यक्ष: कुल कितने आये उसमें से 80 लिये गये ?

श्री गंगाराम चौधरी : इसकी मुझे जानकारी नहीं है, अध्यक्ष महोदय। ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है कि किसी आदिवासी के प्रार्थना-पत्र को रिजेक्ट किया हो।

श्री रतनलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के बहुत सारे मैट्रीकुलेट आदिवासियों ने पटवार ट्रेनिंग के लिये प्रार्थना-पत्र भरे थे उनको रिजेक्ट किया गया और उनको नहीं लिया गया। क्या आगे से उनको लिये जाने का प्रावधान रखते हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर से अनुसूचित जाति के 11 पटवारी ट्रेनिंग में लिये गए। उनमें से किन्हीं को रिजेक्ट नहीं किया। 33 पर्सेन्ट लिये हैं।

श्री देवीलाल : उदयपुर में केवल एक ही को लिया गया।

श्री महेन्द्र कुमार : उदयपुर ...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! प्रश्नकर्ता।

श्री नाथूराम : कुल प्रार्थना-पत्र कितने आये यह बताने की कृपा करें।

श्री गंगाराम चौधरी : इसकी जानकारी नहीं है।

श्री नाथूराम : आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रश्न को स्थगित करके पूरी जानकारी दें। बांसवाड़ा के लिये जिस उद्देश्य से प्रश्न पूछा गया उसकी कोई जानकारी मिली ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने यह कहा कि इसको स्थगित किया जाय। मैं इस पर विचार कर लूंगा कि इसको स्थगित किया जाय या नहीं।

प्रश्न संख्या 570

श्री भगवानदास शास्त्री !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 571

श्री गंगासहाय !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या 572

श्री फूलचन्द बाफना !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 573

श्री रामसिंह कुड़ी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 574

श्री दिग्विजयसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

रॉकफॉसफेट खनिज भंडार

575. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान प्रान्त में रॉकफॉसफेट खनिज का भंडार कहां-कहां प्राप्त हुआ है ?

(2) उक्त स्थानों में कितने-कितने रॉकफॉसफेट प्राप्त होने की सर्वेक्षण के आधार पर रिपोर्ट है ? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) सरकार ने उक्त खनिज को प्रयोग में लाने के लिये क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री भीमसेन) : (1) राजस्थान में निम्न स्थानों पर रॉकफॉसफेट भंडार प्राप्त हुए हैं :—

(अ) उदयपुर जिला

1. नीमच माता
2. बड़गांव
3. झामर कोटरा
4. निवानियां (एपेटाइट)
5. मटून कानपुर

केन्द्रीय भू-सर्वेक्षण विभाग कार्य कर रहा है ।

(ब) अन्य जिले

1. केरपुरा, सीकर जिला (एपेटाइट खनिज)
2. बिरमानिया, जैसलमेर जिला ।

केन्द्रीय भू-सर्वेक्षण विभाग कार्य कर रहा है ।

(2) उक्त स्थानों पर अब तक सर्वेक्षण कार्य चालू है अतः रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हुई है ।

(3) झामर कोटरा के अलावा सब जगह का खनिज कम ग्रेड का है उसका प्रयोग बेनीफिशियेशन के पश्चात् ही किया जा सकता है । उसके लिये परीक्षा हेतु नमूने सिमेन्टर उदयपुर व फर्टीलाइजर फैक्ट्री ट्राम्बे को भेजे गये । झामर कोटरा क्षेत्र में 200 टन प्रति दिन खनन करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : फर्टीलाइजर प्लांट के लिये रॉकफॉसफेट प्राप्त हो जाता है तो पब्लिक अन्डरटेकिंग में या प्राइवेट अन्डरटेकिंग में वह होगा ?

खनिज मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : मैंने माइन्स डिपार्टमेन्ट की डिमान्ड के समय भी इस बाबत स्थिति काफी स्पष्ट कर दी थी। इसके बावजूद भी आपकी जानकारी के लिये अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सिवाय झामर कोटरा के बाकी कोई डिपॉजिट्स ऐसा नहीं है जिन्हें सीधा यूज किया जा सके इसलिये बेनीफिशियेट करना होगा। बेनिफिशियरी प्लान्ट लगाने के लिये करोड़ों रुपयों की आवश्यकता रहती है। मटून वगैरा का तो सरफेस पर है और बिलवानिया का जिसमें माननीय सदस्य इन्ट्रेस्टेड हैं जैसलमेर-बाड़मेर के बोर्डर पर है, वह काफी गहराई में है उनको बेनिफिशियल करने के लिये काफी खर्चा करना पड़ेगा। गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया का कार्पोरेशन अथवा जिन्होंने एप्लाई किया है उनके समक्ष शर्त रखी है कि उनका बेनीफिशियल राजस्थान में ही करना होगा, इस शर्त पर लेना चाहें तो इस शर्त पर लीज देने के लिये तैयार हैं।

प्रश्न संख्या 576

श्री अध्यक्ष : श्री ओमदत्त भाटी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 577

श्री देवीदत्त गाडिया !

स्थगित प्रश्न

प्रश्न संख्या 52

श्री दौलतराम सारण !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 73

श्री भैरोंसिंह शेखावत !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 141

श्री लाभचंद वैद !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 135

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 165

श्री रावतराम !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 377

श्री रामानन्द अग्रवाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 391

श्री भैरोंसिंह शेखावत !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

ग्रामों में पीने के पानी की समस्या

405. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सिणधरी पंचायत समिति के ग्राम शिवरी, कुड़ला, रावतसर, चवा और

(श्री वृद्धिचन्द्र)
बाड़मेर, पंचायत समिति के ग्राम बाड़मेर, आगोर, मादरेश, रामसर, आवत, गांगरिया एवं बायतू पंचायत समिति के ग्राम बायतू, भुट्टीया, कबाद, कानोड़, माड़वत, शहर, सफाई, रतेऊ, मूलराज, कोलू, पनाउड़ा, आकदड़ा, चिड़िया, परेऊ, दीरा की ढाणी, कोसीमा की ग्रामीण जनता के लिये पानी पीने की क्या व्यवस्था है ?

(2) राज्य सरकार ने इन गांवों की जल समस्या को हल करने के लिये गत बीस सालों में क्या प्रयास किये और कितनी राशि व्यय की और उसके क्या परिणाम रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) सरकार उक्त गांवों की जल समस्या को स्थायी तौर से हल करने के लिये क्या कदम उठा रही है ? विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मन्त्री, जन स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा) : (1) जनता को पानी की सुविधा पहुंचाने के लिये राज्य सरकार की ओर से ट्रकों एवं रेलों द्वारा पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है।

(2) इसके लिये जल प्रदाय योजना लागू की जा रही है। सूची संलग्न है।

(3) स्थायी तौर से जल समस्या का हल करने के लिये क्षेत्रीय योजना बनाई जा कर तकनीकी जाँच की जा रही है, तत्पश्चात धन की उपलब्धि पर योजना स्वीकृत की जा सकेगी। विस्तृत विवरण की प्रतिलिपि संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर पंचायत समिति की जो आपने लिस्ट दी है उसमें बाड़मेर, आगोर, रतेऊ, कानोड़, पनाउड़ा, परेऊ में अभी तक भी ग्रामीण जनता को पानी पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है, और आप जवाब में कहते हैं कि व्यवस्था की गई है ?

श्रीमती सुमित्रा : मैंने यह नहीं कहा कि की गई है, मैंने कहा कि की जा रही है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : तो यह कब तक की जावेगी।

श्रीमती सुमित्रा : यह अकाल सहायता विभाग करता है और उनको लिख दिया है और मैं समझती हूं कि शीघ्र व्यवस्था हो जायेगी।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

लाडनूं-सुजानगढ़ पाइप लाइन

553. **श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं)**: क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) लाडनूं से सुजानगढ़ जो पाइप लाइन डाली गई है उसको माफिक ठेके की शर्तों व एस्टीमेट के जमीन में कितने फुट गहरी डालनी चाहिये थी और उसमें ज्वॉइन्टों (जोड़ों) पर कितना शीशा लगाना चाहिये था ?

(2) मौके पर उक्त पाइप लाइन कितने फुट गहरी जमीन के अन्दर डाली गई है और ज्वॉइन्टों में कितना-कितना शीशा लगाया गया है ?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(3) उक्त लाइन को सही तरीके से डाली गई है इसका निरीक्षण विभाग की ओर से किस अधिकारी ने किया था और उनकी क्या रिपोर्ट है ?

(4) क्या यह सत्य है कि उक्त पाइप लाइन माफिक एस्टीमेट व इकरारनामे के नहीं डाली गई ? यदि हां, तो क्यों और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(5) क्या इस लाइन के सम्बन्ध में विभाग ने यह तसल्ली करली है कि लाइन ठीक डाली गई है? यदि हां, तो कब और किसके द्वारा ?

उत्तर

(1) 4 फुट गहरी 19.5 पौंड्स

(2) 4 फुट गहरी कहीं, कहीं साइट कन्डीशन्स की वजह से यह गहराई कम भी हो गई है ज्वॉईंटों में 19.5 पौंड शीशा लगाया गया है।

(3) इस लाइन का विभाग की ओर से अधिदर्शक सहायक अभियन्ता, सुजानगढ़ व अधिशासी अभियन्ता, जलदाय खंड, चुरू द्वारा निरीक्षण किया गया रिपोर्ट संतोषजनक है।

(4) जी नहीं। पाइप लाइन माफिक एस्टीमेट व इकरारनामे के अनुसार डाली गई हैं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जी नहीं, अभी लाइन का टेस्टिंग बाकी है।

प्रधानाध्यापक सेकन्डरी स्कूल, तिजारा द्वारा विभिन्न शुल्कों की वसूली

554. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न शुल्कों से मुक्त करने अथवा रियायत करने के सम्बन्ध में कुछ आदेश जारी किये हैं ? कृपया इन आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अपर निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान ने एक आदेश संख्या शिविरा/प्रारम्भिकाएं 1930/68, दिनांक 3-2-68, निकाला था जिसमें राज्य कर्मचारियों एवं उसके परिवार के सदस्यों को शिक्षण शुल्क, प्रवेश शुल्क, विज्ञान एवं वाणिज्य शुल्क तथा अन्य तकनीकी विषयों के शुल्क से मुक्त घोषित किया था ? कृपया उक्त आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने शिक्षण सम्बन्धी शुल्क सुविधाएं जो राज्य कर्मचारियों को दी हैं वे पंचायत समितियों एवं जिला परिषद् के कर्मचारियों को भी देने का निर्णय किया है ?

(4) क्या यह सही है कि प्रधानाध्यापक सेकन्डरी, स्कूल तिजारा ने 1966-67 और 1967-68 में पंचायत समिति के अध्यापकों तथा अन्य राज्य सरकार के अध्यापकों से जिन्होंने इस स्कूल को सेकन्डरी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
परीक्षा देने के लिए अपने अध्ययन का केन्द्र रखा था उनसे शिक्षण और विज्ञान शुल्क वसूल किया गया है ? यदि हां, तो इन दोनों वर्षों में ऐसे ऐसे जिन जिन व्यक्तियों से ये शुल्क जितने जितने लिए गए हैं उसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि जिन अध्यापकों से यह शुल्क लिया गया है उन्होंने जिला शिक्षा निरीक्षक को शुल्क वापसी के लिए प्रार्थना-पत्र दिये हैं ?

(6) क्या राज्य सरकार इन अध्यापकों से इस शुल्क की वसूली उचित मानती है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार प्रधानाध्यापक सेकन्ड्री स्कूल, तिजारा के विरुद्ध सरकारी आदेशों की अवहेलना करने के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

(स्थगित किया गया)

ग्राम पंचायत जैतासर के सरपंच की पिटाई

555. **श्री रावतराम** (छापर सु.) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत जैतासर, तहसील सुजानगढ़ (जिला चूरू) के सरपंच श्री घासीराम हरिजन को माह दिसम्बर, 68 में उनके घर पर कुछ व्यक्तियों द्वारा पीटा गया ? यदि हां, तो इस मामले में कितनी गिरफ्तारियां हुई ?

(2) उक्त मामले की रिपोर्ट पुलिस थाना, सुजानगढ़ में कब लिखवाई गई और उसके बाद सम्बन्धित मुलजिमों की गिरफ्तारी कब हुई ?

(3) सरपंच की पिटाई के क्या कारण थे और दोषियों को क्या सजा मिली ?

उत्तर

(1) जी हां। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी।

(2) उक्त मामले की लिखित रिपोर्ट दिनांक 21-12-68 को थाना सुजानगढ़ में प्राप्त होने पर अभियोग संख्या 91 धारा 452/148 ता. हि. पंजीबद्ध हुआ है। सभी अभियुक्तगण ने गिरफ्तारी पुलिस के भय से रूपोश होकर प्रथम श्रेणी रतनगढ़ के न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी अपनी जमानतें कराली। इस कारण किसी भी अभियुक्त की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई।

(3) सरपंच ने अपने गांव में चीनी प्रति व्यक्ति 100-100 ग्राम के हिसाब से वितरण की थी। परन्तु अभियुक्तगण इस हिसाब से चीनी लेने से असन्तुष्ट थे और चीनी नहीं लेना चाहते थे। इसी कारण को लेकर मारपीट की गई थीं। अभियोग अभी न्यायालय में विचाराधीन है। अतः दोषियों को सजा मिलने की बाबत न्यायालय के निर्णय के बाद ही मालूम हो सकेगा।

तहसील टीबी की सड़कें

556. **श्री बीरबल** (सांगरिया सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि तहसील टीबी में जिले के अन्य तहसीलों के अनुपात में बहुत कम पक्की सड़कें हैं ? अगर हां, तो क्यों ? तहसील टीबी को जिला मुख्यालय व अन्य

(श्री बीरबल)
तहसीलों के मुख्यालयों से पक्की सड़क बनाकर कब तक जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है ?

उत्तर

रोड़ माइलेज के आंकड़े जिलेवार रखे जाते हैं तहसील टीबी को जिला मुख्यालय से मिलाने के लिये सांगरिया से टिब्बी सड़क की मंजूरी दी जा चुकी है और काम चालू है। कार्य चतुर्थ योजना में पूर्ण हो जाने की आशा है।

प्रान्तीय नल मज़दूर फेडरेशन का कार्यालय

557. श्री महेन्द्रसिंह (गांधीनगर, जयपुर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जलदाय कर्मचारी संघ, जयपुर ने विभाग द्वारा बनाये गये श्रम कल्याण केन्द्र पर प्रान्तीय नल मजदूर फेडरेशन द्वारा किये गये नाजायज कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में कोई पत्र मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग, राजस्थान, जयपुर को दिया था ?

(2) क्या यह सच है कि प्रान्तीय नल मजदूर फेडरेशन ने सरकारी भवन में अपना कार्यालय नाजायज रूप से खोल कर टेलीफोन कनेक्शन बिना सरकार की आज्ञा के लगा लिया है ?

(3) क्या यह सही है कि मुख्य अभियन्ता ने इस भवन पर फेडरेशन के नाजायज कब्जे को मान कर उसे तुरन्त खाली करवाने के आदेश दिये थे ?

(4) क्या यह सही है कि फेडरेशन ने सरकारी भवन को अभी तक खाली नहीं किया है और न ही टेलीफोन कनेक्शन हटाया है ?

(5) क्या यह सही है कि मुख्य अभियन्ता ने नाजायज कब्जे को जायज करार देने के लिये उससे नोमीनल किराया जमा कराने के आदेश देकर सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का कार्य किया है ? यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

रूरल इन्डस्ट्रीज प्रोजेक्ट चूरू के ट्रेनिंग सैन्टर

558. श्री मेघराज पंवार (चूरू) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रूरल इन्डस्ट्रीज प्रोजेक्ट, चूरू में पिछले चार वर्षों में कितने ट्रेनिंग सैन्टर चालू किये गये और उनमें कुल कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया ?

(2) इन सैन्टर्स को चालू करने में सरकार ने मशीनरी खरीद में कुल कितनी धनराशि खर्च की है ?

Page No 11

(श्री मेघराज पंवार)

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने चूरू व नागौर के रूरल इन्डस्ट्रीज प्रोजेक्ट्स से ट्रेनिंग प्रोग्राम को एक दम बन्द करने के आदेश दे दिये हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) चार ट्रेनिंग सैन्टर चालू किये गये जिनमें कुल 65 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया।

(2) मशीनरी व अन्य उपकरण खरीदने पर कुल 65,341.00 रु. खर्च किया गया।

(3) जी हां। भारत सरकार की औद्योगीकरण परियोजना समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि इन प्रशिक्षण केन्द्रों की बजाय इम्पलान्ट ट्रेनिंग को अपनाया जावे इसके अतिरिक्त उन्होंने 15,000 की आबादी से नीचे के स्थानों में ही ग्रामीण परियोजना के प्रोग्राम को चालू रखने की अनुमति दी है, इसलिये कुछ केन्द्रों को बन्द करने के आदेश दिये गये हैं ?

तहसील बहरोड़ के ग्रामों को जल प्रदाय योजनाएं

559. श्री अमीलाल यादव (बहरोड़): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि राजस्थान सरकार की नीति तीन हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामों में जल प्रदाय योजना चालू करने की है? यदि हां, तो तहसील बहरोड़ जिला अलवर में इस योजना में कौन-कौन से ग्राम हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि ग्राम कुतीना एवं रोड़वाल, तहसील बहरोड़, जिला अलवर की जनता द्वारा जन सहयोग की राशि पिछले दो वर्षों से राज्य सरकार कोष में नल योजना के लिये जमा कराई गई है ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्रामों की योजना स्वीकृत हो गई है ? यदि नहीं, तो कब तक स्वीकृत हो जावेगी ?

(3) क्या ग्राम गिगलाल, तहसील बहरोड़, जिला अलवर की नल योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या वहां कार्य प्रारम्भ कर दिया है? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक शुरू कर दिया जावेगा।

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान सरकार की नीति सन् 1961 की जनगणना के अनुसार 2,000 से 5,000 के आबादी वाले ग्रामों में पम्प व टैन्क योजना एवं 5,000 से अधिक आबादी वाले गावों में ग्रामीण जल प्रदाय योजना चालू करने की है। और 2,000 से कम आबादी वाले ग्रामों में वैल्स स्कीम चालू करने की है। तहसील बहरोड़, जिला अलवर में उपरोक्त के अनुसार निम्न ग्राम हैं:—

नाम	आबादी
1. मांडन	2,121
2. नीमराना	2,526
3. गन्ड़ाला	3,023
4. बहरोड़	5,265
5. गिगलाना	1,958
6. जकरामकलां	2,358
7. शहाजहांपुर	3,626
8. बरोंद	5,625

(जन स्वास्थ्य मन्त्री)

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता, इन ग्रामों की आबादी 2,000 से कम होने के कारण योजना नहीं बनाई जावेगी।

(3) जी हां। जी हां। कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

ग्राम नागदला में जमीन का झगड़ा

560. श्री बिट्ठल भाई (पीपलखूंट सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में तहसील घांटोल के गांव नागदला की जमीन के बारे में स्थानीय आदिवासी काश्तकार व मोती भाई पाटीदार के बीच झगड़ा चल रहा है ?

(2) यदि हां, तो क्या उक्त आदिवासी काश्तकारों के खिलाफ पुलिस की ओर से कोई कार्यवाही की गई है ?

(3 क्या यह सही है कि वहां के आदिवासी काश्तकार उक्त जमीन के हकदार हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि वहां के जिलाधीश महोदय व तहसीलदार का फैसला उक्त काश्तकारों के हक में था ?

(5) यदि हां, तो अब तक सरकार ने उक्त काश्तजारों को जमीन दिलाने में क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) इस केस में सरकार के सम्मुख निगरानी विचाराधीन है।

(4) जी नहीं।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता है।

सेकन्डरी स्कूल सेवाड़ी में वाणिज्य कक्षा खोलने के लिए प्रार्थना-पत्र

561. श्री पृथ्वीसिंह चौहान (बाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अगर किसी सेकन्डरी स्कूल में पब्लिक कान्ट्रीब्यूशन से भवन बनवा दिया जावे एवं पर्याप्त मात्रा में टाइप मशीनें उपलब्ध करदी जावे तो क्या सरकार इस स्कूल में कोमर्स (वाणिज्य) क्लास खोलने की व्यवस्था करती है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या इस प्रकार वाणिज्य कक्षा खोलने हेतु नाणा, जिला पाली की कोई दरख्वास्त सरकार के समक्ष पेश हुई है ? अगर हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है।

(3) इसी प्रकार क्या पाली जिले की सेवाड़ी सेकन्डरी स्कूल के भी प्रार्थना-पत्र विभाग के समक्ष पेश हुए हैं एवं वांछित रकम भी जमा करवादी गई है? यदि हां, तो वहां पर वाणिज्य कक्षा खोलने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1) यह कोई आवश्यक नहीं है। नया विषय खोलते समय वहां के जिले की

Page No 13

(शिक्षा मन्त्री)

आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है एवं यह भी देखा जाता है कि वहां विषय खोलना शैक्षणिक दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं।

(2) नाणा, जिला पाली में वाणिज्य विषय खोलने के प्रस्तावों की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(3) पाली जिले के सेवाड़ी सेकन्डरी स्कूल में वाणिज्य विषय सत्र 1968-69 से प्रारम्भ कर दिया गया है।

भवानीमंडी-डग सड़क

562. **श्री लक्ष्मण तानीवाल** (डग सु.): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड़ जिले के भवानी मंडी से डग तक जाने वाली सड़कों का ठेका सन् 64,65,66 में दिया गया था उसे ठेकेदारों ने पूरा कर दिया? अगर हां, तो कब? अगर नहीं तो क्यों नहीं किया? कब तक वह ठेका पूरा कर देना चाहिये था? अब उस विषय में क्या कार्यवाही सरकार द्वारा चल रही है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त रोड आज भी टूटी हुई हालत में है तथा उसे 'ए' क्लास का रूट घोषित कर उसी प्रकार किराया लिया जाता है? क्या यह सही है कि 'ए' क्लास का रूट साधारणतया कभी अवरुद्ध नहीं होता है जबकि उक्त रूट पर थोड़ी सी बरसात में ही गाड़ियां रुक जाती हैं?

(3) क्या यह सही है कि इस सड़क के सम्बन्ध में सरकार ने कोई आश्वासन दिया था जिसके अन्तर्गत मार्च 68 तक काम पूरा हो जाने को था? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम अब तक उठाये हैं?

उत्तर

(1) डग-पच पहाड़ रोड के नवीनीकरण व मरम्मत के ठेके ठेकेदारों को दिये गये थे वे पूरे नहीं हुये हैं। ठेके की शर्त के अनुसार कार्य निम्न प्रकार समाप्त होने को थे—

मील	तारीख समाप्ति कार्य
31-32	13-5-65
34	5-5-66
39 (पुल कार्य)	30-9-66
40	14-3-66

(2) यह मेटल रोड है और सड़क की दशा साधारण है। वर्षा ऋतु में यातायात को कठिनाई होती है। श्रेणी के आधार पर रूट के किराये के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(3) आश्वासन की जानकारी की जा रही है। कार्य विभाग द्वारा प्रगति पर है।

नगरपालिका राजगढ़ द्वारा नोटिस

563. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिला स्थित राजगढ़ नगर में तारीख 22-1-68 को श्री नन्दलाल डोकवे को नगरपालिका द्वारा एक नोटिस दुकान के किवाड़ फुटपाथ की ओर खुलने के कारण से दिया?

Page No 14

(श्री लाभचन्द वैद)

(2) क्या इस प्रकार के नोटिस किसी अन्य व्यक्ति को भी दिये गये अथवा नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि तारीख 17-2-68 को नगरपालिका कर्मचारीगण मय पुलिस के दुकानदार की अदम मौजूदगी में किवाड़ उखाड़ कर ले गये ?

(4) उक्त दुकान बाजार के नुक्कड़ पर पड़ती है या मध्य में ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।दुकानदार की मौजूदगी में पुलिस के साथ किवाड़ उतार कर ले गये थे।

(4) मध्य में है।

ग्राम पालू कलां में कृषि सेवा सहकारी समिति को एलॉट की गई भूमि

564. श्री सुवालाल चौधरी (दूदू): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील दूदू के ग्राम पालू कलां के खसरा नं० 15 व 16 का रकबा कितना है और इसका लगान क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि यह नम्बर इसी ग्राम की कृषि सेवा सहकारी समिति को एलॉट किया गया था ? अगर हां, तो किस तारीख को ?

(3) कृषि सहकारी समिति के नाम से पटवारी के कागजात में किस तारीख तक इन्द्राज रहा ?

(4) इस नम्बर का लगान सन् 60 से 67 तक किसने जमा कराया है ?

(5) क्या यह नम्बर कृषि सहकारी समिति के भंग हो जाने से सिवाय चक हो गया है ? अगर हां, तो किस तारीख को इसको सिवाय चक सरकार द्वारा घोषित किया गया ?

(6) क्या यह रकबा भूमिहीनों को एलॉट किया जा सकता है ?

उत्तर

(1) ग्राम पालू कलां के ख० नं० 15 का रकबा 95½)3 बंजड दोयम लगानी 29-14-3 व ख० नं. 16 का रकबा 415¼)1 बंजड दोयम लगानी 129-12-6 बाबत बन्दोबस्त अंकित हुआ है।

(2) सन् 1959 में इसी ग्राम की कृषि सेवा सहकारी समिति को उक्त खसरा नम्बरों में से 395¾)3 रकबा दिनांक 23-6-59 को आवंटन हुआ था।

(3) इस सेवा कृषि सहकारी समिति के नाम पर पहले नामान्तरकरण खोला गया था कि जो दिनांक 30-8-68 को पंचायत गीदानी ने यह लिखते हुए खारिज कर दिया कि सहकारी समिति का कब्जा नहीं है न वो काश्त कर रही है तथा लोगों के व्यक्तिगत कब्जे में है। इसके पश्चात् सन् 1964 में श्री भीमसिंह तत्कालीन तहसीलदार ने नामांतरकरण इस सहकारी समिति के नाम पर तसदीक किया।

(4) इस भूमि का लगान संवत् 2017, 2018, 2020 व 2021 का सहकारी समिति ने तथा 2019 का व 2023 से आज

(राजस्व मंत्री)

तक का व्यक्तिगत खातेदारान ने जमा कराया ।

(5) जी हां, राज्या देश (पत्र संख्या एफ. 2(25) राज/ख/ग्रुप2-67, दिनांक18-5-67) द्वारा इस भूमि को पुनर्ग्रहण करने के प्राप्ति होने पर सिवाय चक घोषित की गई ।

(6) यह सभी रकबा संवत् 2015 से अतिक्रमण में चला आ रहा था इस कारण जिन व्यक्तियों का व्यक्तिगत कब्जा था । जिसमें कुछ सहकारी समिति के सदस्य भी थे जिनके हित में इस सम्बन्ध में सन् 1962 में नियमन के फैसले हो चुके थे उनके पेश करने पर काबिजान ने अपने हक में दिनांक 4-8-67 को नामान्तरकरण तसदीक करवा लिये । इन नम्बरों में से कोई रकबा पड़त नहीं है कि जिसे अलॉट किया जा सके ।

बेरी कमीशन पर व्यय

565. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) :

राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर) :

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : क्या गृह मन्त्री उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

(1) जयपुर गोली काण्ड पर बेरी कमीशन की नियुक्ति कब हुई थीं ?

(2) कमीशन की बैठकें कुल कितने समय किस समय से किस समय तक चली ?

(3) कमीशन पर मय वकील आदि पर कुल कितना व्यय हुआ ?

(4) कौन कौन सरकारी वकील नियुक्त किए गए थे ? व उन्हें किस हिसाब से कितने दिन का कितना पेमेन्ट किया गया व कितना देना बकाया है ?

उत्तर

(1) दिनांक 2-4-67 को ।

(2) पहली बैठक दिनांक 14-4-67 को व अन्तिम बैठक दिनांक 10-9-68 को ।

(3) अभी तक के खर्चे के जो आंकड़े प्राप्त हैं उसके आधार पर 5,13,461)रु०

(4) वकीलों के नाम, दर व अब तक जो भुगतान किया गया अथवा मंजूर हुआ वह इस प्रकार है:—

	फीस की दर पैरवी	फीस की दर तैयारी	भुगतान
	रु०	रु०	रु०
1. श्री गुलाबचन्द कासलीवाल ।	200)	120)	45,000)
2. श्री बी० सी० चटर्जी ।	120)	80)	40,920)
3. श्री मुकुट-बिहारीलाल भार्गव ।	1100)	440)	2,29,460)

(एक दिन का भुगतान बाकी है ।)

4. श्री नाथूलाल जैन	150)	120)	50,110)

गवर्नमेन्ट कॉलेज राजगढ़ के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

566. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गवर्नमेन्ट कॉलेज, राजगढ़ (अलवर) के अधिकारियों के खिलाफ सरकारी धन का गबन करने व उसको छिपाने के लिए अकाउन्ट बुक व चालान बुक में तब्दीली करने की शिकायत पर जांच कराई गई थी ? और क्या उनकी रिपोर्ट जनवरी, 1969 को कॉलेज शिक्षा के डाईरेक्टर को प्राप्त हुई ?

(2) इस शिकायत की जांच से किस किस अधिकारी के खिलाफ क्या क्या शिकायत साबित पाई गई हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? रिपोर्ट की नकल सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या राजगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने वहां के प्रिन्सिपल के खिलाफ शराब पीकर क्लास में आने व अन्य शिकायतें शिक्षा विभाग को की थी ? यदि हां, तो उस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या इस प्रिन्सिपल का तबादला सरकार द्वारा राजगढ़ कॉलेज से कर दिया गया था मगर वह कैन्सिल कर दिया गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इन्कवायरी ऑफिसर की रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। और तत्पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जावेगी क्योंकि रिपोर्ट गुप्त है और उसका अध्ययन किया जा रहा है। अत: इस समय उस रिपोर्ट को सदन के समक्ष रखना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी नहीं।

ग्राम झोटवाड़ा में पीने के पानी की व्यवस्था

567. श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या नगर परिषद् जयपुर की सीमा में स्थित ग्राम झोटवाड़ा व उसके आसपास के क्षेत्रों में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है ? यदि हां, तो वर्तमान व्यवस्था क्या है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त क्षेत्रों में पीने के पानी की मांग को लेकर मुख्य मन्त्री जी एवं अन्य सम्बन्धित मंत्रियों तथा अधिकारियों को झोटवाड़ा विकास समिति जयपुर पश्चिम की ओर से मांग-पत्र प्रेषित कर उचित व्यवस्था हेतु प्रार्थना की गई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या निकट भविष्य में राज्य सरकार उपरोक्त क्षेत्रों में नल योजना द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। विकास समिति की ओर से कुओं द्वारा पानी की निजी व्यवस्था है।

(जन स्वास्थ्य मन्त्री)

(2) मांग पत्र प्राप्त होने पर कुछ औद्योगिक संस्थाओं को यह सुझाव दिया गया कि अपने अपने क्षेत्र में निजी नल कूप निर्माण कर के जल की आवश्यकता पूर्ति कर लें। औद्योगिक क्षेत्रों में उपरोक्त विकास हो रहा है।

झोटवाड़ा रामबाग क्षेत्र में जलदाय योजना की व्यवस्था के सम्बन्ध में नगर परिषद्, जयपुर को उक्त क्षेत्र का मानचित्र जनसंख्या व पानी के खर्च इत्यादि की जानकारी देने के लिये लिखा गया था तथा इस आशय की सूचना जिलाधीश जयपुर को भी दे दी गई थी परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इस योजना के लिये जिलाधीश जयपुर एवं नगर परिषद् जयपुर से यथोचित उत्तर आने पर तथा धनराशि की स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जावेगा।

(3) जी हां, जिलाधीश व नगरपालिका से सम्पर्क किया गया है निर्णय प्राप्त होने पर आगे की कार्यवाही की जावेगी।

नगर परिषद् अजमेर में मैडिकल ऑफिसर का रिक्त स्थान

570. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि वर्तमान नगर परिषद् अजमेर में मैडिकल आफिसर ऑफ हैल्थ का स्थान एक वर्ष से रिक्त है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सत्य है कि मैडिकल आफिसर की नियुक्ति न होने के कारण 1968 में फ्लू एवं फैलने वाली बीमारियों की बढ़ोतरी हुई थी ?

(3) नगर परिषद् द्वारा फैलने वाली बीमारियों की रोक थाम के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई थीं तथा कितना खर्चा किया गया ? यदि कोई धनराशि निर्धारित नही की गई थी और खर्चा नहीं किया गया था तो क्यों ?

(4) कब तक नागरिकों की सुरक्षा के लिये मैडिकल आफिसर हैल्थ की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से मैडिकल आफिसर की सेवाएं प्राप्त न होने से। कस्तूरबा अस्पताल में नियुक्त डाक्टर श्री एच. सी. जैन अस्पताल के समय के अलावा समय में हैल्थ आफिसर का कार्य भी बराबर देख रहे हैं।

(2) जी नहीं।

(3) 36,000 रुपयों का प्रावधान है। 20,004 रुपया खर्च किया गया हैं। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(4) प्रयत्न किये जा रहे हैं।

सिलेक्शन ग्रेड की स्वीकृति का मामला

571. श्री गंगासहाय (कठूमर सु.): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) क्या यह सही है कि श्री गौरी सहाय सक्सेना, अवकाश प्राप्त अध्यापक सादूल एम. एच. सेक. स्कूल, बीकानेर का केस सलेक्शन ग्रेड की स्वीकृति हेतु उप

(श्री गंगासहाय)
संचालक शिक्षा विभाग राजस्थान, बीकानेर के कार्यालय में सन् 1960 से पड़ा हुआ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री सक्सेना ने सम्बन्धित अधिकारियों को अनेकों पत्र लिखे हैं जिनका अधिकारियों ने आज तक उत्तर नहीं दिया है?

(स्थगित किया गया)

जयपुर में अगतों का पालन नहीं करने पर चालान

572. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में जो 14 अगते (कत्लखाने व मांस बिक्री बन्द करने के दिन) हैं वे कौन कौन से दिन हैं ?

(2) क्या जयपुर में इन 14 अगतों का पूर्णतया पालन होता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3, पिछले दो वर्षों में इन अगतों की पाबन्दी का उल्लंघन करने पर जयपुर में कितने चालान हुए ? और उन पर क्या क्या कार्यवाही (सजा या जुर्माना) हुई ? चालान एवं कार्यवाही की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि गत आम चुनावों के पहले जयपुर में इन अगतों की पाबन्दी नहीं करने वालों को उनके लाइसैन्स रद्द करने हेतु कारण बताओ नोटिस दिये जा चुके थे किन्तु बाद में उन मामलों को दबा दिया गया ? यदि नहीं दबाया गया तो उन मामलों की अब क्या स्थिति है ?

(5) क्या यह सही है कि सम्बन्धित क़ानून का पालन करवाने में जयपुर म्युनिसिपल स्टाफ के साथ जयपुर की किसी जीवरक्षा कमेटी के प्रतिनिधि भी सहयोग देने हेतु गये थे और क्या यह भी सही है कि म्युनिसिपल स्टाफ के साथ सहयोग देने हेतु जाने वाले सज्जन के साथ कसाइयों द्वारा बेजा हरकत व मारपीट की गई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(6) क्या इन अगतों का पालन नहीं करने वाले जयपुर के कुछ व्यक्तियों के खिलाफ म्युनिसिपल कौंसिल जयपुर के हैल्थ ऑफिसर की शिकायत पर म्युनिसिपल कौंसिल, जयपुर द्वारा मुकदमे दायर किये गये ? यदि हां, तो ऐसे कितने मुकदमे दायर किये गये पिछले दो वर्षों में ? और उन मुकदमों पर क्या कार्यवाही की गई एवं उस कार्यवाही का क्या क्या फल निकला ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) नगर परिषद, जयपुर द्वारा क्षेत्र में 14 अगतों का पूर्णतया पालना कराया जाता है। ऐसी शिकायतें नगर परिषद् में प्राप्त हुई हैं कि अवैध रूप से कुछ कसाइयों की दुकानें अगतों के रोज खुलती हैं जिनके खिलाफ परिषद् द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(3) 130 चालान किये गये हैं सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

Page No 19

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

4. जी नहीं, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(5) जी हां। जी नहीं, उनके साथ कोई बेजा हरकत या मारपीट नहीं की गई। दुकानदारों तथा कुछ व्यक्तियों ने नगर परिषद् के वाहनों को घेर लिया एवं मांस वापस ले गये। घटना की रिपोर्ट वेटेरीनरी सुपरिन्टेन्डेन्ट द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई। पुलिस द्वारा न्यायालय में मामला चल रहा है।

(6) जी नहीं। आगे के भाग का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

सीरलैण्ड आदि के पुराने मामले

573. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान सरकार ने रेवेन्यु सेक्रेटरी, राजस्थान के हुक्म नं. एफ. 4 (275)। रेवेन्यु।1।52 दिनांक 30-6-53 से आदेश दिये थे कि सीरलैण्ड आदि के जो पुराने केसेज पेंडिग हैं एवं जिनमें कचेयाबी की कार्यवाही नहीं हुई है, उनमें राजस्थान लैण्ड रिफॉर्मस एवं रिजम्पशन ऑफ जागीर्स एक्ट के तहत कार्यवाही की जाने की पार्टीज को हिदायत कर दें? यदि हां, तो उक्त हुक्म की नकल सदन की मेजपर रखी जावे।

(2) क्या अब भी उक्त आज्ञा के खिलाफ कार्यवाहियां सेटलमैन्ट में इन्द्राजात करने की व बेदखली के इसी आधार पर दावे चलाने की हो रही है? यदि हां, तो उक्त हुक्म को क्या सरकार फिर रेवेन्यू अदालतों की गाईडेन्स के लिये भेजने को तैयार है?

उत्तर

(1) जी हां।

प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

जागीरदारों के मुआवजे का भुगतान

574. श्री विश्विजयसिंह (उनियारा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट, 1952 के तहत जागीरदारों को 6 माह के भीतर बोन्ड्स दिये जाने चाहिये थे? यदि हां, तो क्या इस अवधि के अन्दर ही जागीरदारों के मुआवजे सरकार द्वारा तय कर दिये गये थे?

(2) क्या यह सत्य है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने एक निर्णय देकर यह आदेश दिये हैं कि जिन जागीरदारों को 6 माह में मुआवजा नहीं दिया गया, उनको सरकार उस समय का ब्याज अविलम्ब दे दे? यदि हां, तो यह निर्णय कब हुआ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने उक्त आदेशों की पालना अभी तक नहीं की और यह ब्याज नहीं चुकाया गया? यदि हां, तो क्यों?

(राजस्व मंत्री)

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

जोधपुर का मास्टर प्लान

576. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के किन किन शहरों का मास्टर प्लान बना हुआ है और कहां पर मास्टर प्लान के मुताबिक काम शुरू हो गया है ?

(2) क्या जोधपुर के वास्ते मास्टर प्लान बन चुका है ? यदि हां, तो उसे कब तक लागू करने का विचार है ?

(3) जोधपुर शहर में सब जगह सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम कब तक उपलब्ध कराने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) जयपुर, अजमेर, कोटा के ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार किये जा चुके हैं किन्तु वे स्वीकृत न होने के कारण उनके अनुसार कार्य शुरू नहीं किया जा सका है।

(2) जी नहीं। बनाया जा रहा है।

(3) नगर विकास न्यास, जोधपुर की केवल दो स्वीकृत रिहायशी योजनाओं में सीवेज का प्रावधान है। बगत सागर योजना में सीवेज कार्य 50,000.00 रु. की लागत का पूरा कर दिया गया है। मसूरिया स्कीम की योजना जो करीब 9 लाख रुपये की है जन स्वास्थ्य विभाग के विचाराधीन है। तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने पर यह कार्य न्यास द्वारा शीघ्र ही हाथ में ले लिया जायेगा।

जिला झुंझुनू की ग्राम पंचायतों के सरपंचों के खिलाफ भ्रष्टाचार व गबन के मामले

577. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या भ्रष्टाचार निरोधक विभाग और पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू के पास जिला झुंझुनू की ग्राम पंचायतों के सरपंचों के खिलाफ भ्रष्टाचार व गबन की जांच करने की शिकायतें प्राप्त हुई ? यदि हां, तो कब और कितनी ?

उत्तर

जी हां। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में कुल 12 परिवाद झुंझुनू पंचायत समिति के सरपंचों के विरुद्ध दिनांक 1 जनवरी, 65 से अब तक प्राप्त हुए थे। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। जो भ्रष्टाचार के न होकर गबन के ही हैं।

तथा पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू के पास भी दिनांक 1 जनवरी, 65 से अब तक 11 परिवाद झुंझुनू पंचायत समिति के सरपंचों के विरुद्ध प्राप्त हुए थे। ये सभी परिवाद भी भ्रष्टाचार के न होकर गबन के ही हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई।)

स्थगित प्रश्न

(26-2-69)

चित्तौड़गढ़ में प्लॉटों का वितरण

52. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ के प्रतापनगर में गाड़िया लोहार छात्रावास के निकट 16 भूखण्डों को रिहायशी मकान या बंगले नगर विकास प्रन्यास से एप्रूव्ड नक्शों के अनुसार स्वीकृति लेकर निर्माण कराने की शर्त से 22, 23 जून, 68 के दिन के 3 बजे से 6 बजे तक नीलाम करने की सूचना 1-6-68 को सुगनचन्द जैन, अध्यक्ष, गाडिया लोहार सेवा संघ, चित्तौड़गढ़ और पंकज पंचोली एडवोकेट, चेयरमैन नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ के नाम से छपा कर निकाली गई थी ?

(2) यदि हां, तो ये प्लॉट किन को कितने कितने में नीलाम किये गये थे ?

(3) क्या यह भूमि आबादी की है ?

(4) यह भूमि गाडिया लोहार सेवा संघ या छात्रावास को किन शर्तों पर किस कार्य हेतु कब राज्य सरकार द्वारा दी गई थी ? क्या इस भूमि को राज्य सरकार की अनुमति के बिना बेचा जा सकता है ?

(5) क्या आबादी में बदलवाए बिना कृषि भूमि के रिहायशी प्लॉट काट कर बेचे जा सकते हैं ? यदि नहीं, तो चेयरमैन, नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ की इस अवैध कार्यवाही के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

(6) क्या चित्तौड़ के नागरिकों और संस्थाओं की ओर से भी इस की शिकायत कलेक्टर, चित्तौड़ और राज्य सरकार को की गई थी ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां।

(4) यह भूमि गाड़िया लोहार सेवा संघ ने श्री हीरालाल मोहनलाल वल्द पेमाजी चमार व गोपी वल्द नानगा साकिन मीठा-रामजी-का-खेड़ा से 6,000.00 रु. में 18-4-57 को खरीदी थी तथा राज्य सरकार ने आदेश संख्या एफ. 2 (15) रा.ख./66, दिनांक 25-11-67 के द्वारा इसे छात्रावास के एक्सपेन्शन तथा रेजीडेन्सियल क्वार्टर बनाने हेतु आबादी में बदला। आबादी में बदलते समय ऐसी कोई शर्त राज्य सरकार ने नहीं लगाई।

(5) जमीन को आबादी में बदलने के बाद प्लॉट काटे गये अतः अवैध कार्यवाही का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(6) जी हां। कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई।)

स्थगित प्रश्न

(27-2-69)

नगर आयोजन विभाग की योजनाएं एवम् उन पर व्यय

73. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) टाउन प्लानिंग विभाग पर उसकी स्थापना से आज तक कुल कितना खर्चा हो चुका है?

(2) इस विभाग की स्थापना से आज तक इस विभाग ने कुल कितनी योजनाएं बनाई हैं और इन योजनाओं में से कितनी योजनायें सरकार द्वारा स्वीकार की गई और कितनी योजनाओं पर कार्य शुरू कर दिया गया है ?

उत्तर

(1) विभाग की स्थापना से 31-12-68 तक 31,87,893.00 रु. खर्च हो चुका है।

(2) 820 योजनाएं विभाग द्वारा बना कर स्वीकृत की जा चुकी हैं तथा इन पर कार्य चल रहा है।

स्थगित प्रश्न

(14-3-69)

अनिवार्य शिक्षा शाला रतनगढ़ के कर्मचारी

141. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे:—

(1) अनिवार्य शिक्षा शाला, रतनगढ़ में अगस्त, 65 के बाद किन किन कर्मचारियों को रखा गया, हटाया गया तथा निलम्बित किया गया तथा क्यों?

(2) क्या इन कर्मचारियों के रखने, हटाने व निलम्बित करने में अनिवार्य शिक्षा एक्ट, 1929 के तहत बने नियम सन् 1933 की धाराओं 33ए, 34सी. व पावर स्टेटमैन्ट 35 तथा 37 (ई) तथा राजकीय अनुदान नियम, सन् 1934 का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या नव नियुक्तियों पर शिक्षा विभागीय अनुदान मिला ? यदि नहीं, तो क्यों ? और इसके लिये कौन कौन जिम्मेदार हैं ?

उत्तर

(1) सूचना संलग्न है। सूची में कारण अंकित कर दिये गये हैं।

(2) उक्त शालाओं के अध्यापक अभी नगरपालिकाओं के कर्मचारी हैं, ऐसी स्थिति में उन पर नगरपालिकाओं के अन्य कर्मचारियों पर प्रभावशील राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 एवं उसके अन्तर्गत बने नियम लागू होते हैं। अतः इन अध्यापकों को, राजकीय अध्यापकों के समान सुविधा देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(3) जी नहीं। नव नियुक्त कर्मचारियों की शिक्षा सम्बन्धी शर्तें पूरी नहीं थीं, इसलिये शिक्षा विभाग से अनुदान नहीं मिला।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

Page No 23

स्थगित प्रश्न

(6-3-69)

डाकुओं के गिरोह

135. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वृहत्तर राजस्थान के निर्माण के पूर्व कुल कितने डाकुओं के गिरोह राज्य भर में सक्रिय थे तथा इन गिरोहों के मुखिया कौन कौन थे?

(2) उक्त गिरोहों में से किन किन का सफाया किया जा चुका है, और कौन कौन से गिरोह आज तक भी सक्रिय हैं ?

(3) वृहत्तर राजस्थान के निर्माण के बाद अब तक कितने नये डाकू गिरोह राज्य में बने और इनमें से कितनों का सफाया कर दिया गया है ?

(4) इस समय राज्य में कुल कितने गिरोह सक्रिय हैं और उनके मुखिया कौन कौन हैं ?

(5) उक्त समस्त गिरोहों में से कितने गिरोहों के मुखिया जीवित गिरफ्तार किये गये ?

(6) वृहत्तर राजस्थान के निर्माण के बाद अब तक डाकुओं द्वारा अपहरण किये गये व्यक्तियों की संख्या, लूटी गई सम्पत्ति का विवरण एवं मूल्यांकन, जान से मारे गये व्यक्तियों की संख्या की तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) वृहत्तर राजस्थान के निर्माण के पूर्व लगभग 32 डाकुओं के संगठित गिरोह राज्य भर में सक्रिय थे। उनके मुखियाओं के नाम संलग्न तालिका में कॉलम नम्बर 4 में दिखाये गये हैं। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत की जाती है।

(2) उक्त समस्त गिरोहों का सफाया किया जा चुका है। कोई दल अब संक्रिय नहीं है। संलग्न तालिका के कॉलम नम्बर 5 में सूचना उपलब्ध है।

(3) वृहत्तर राजस्थान के निर्माण के बाद अब तक लगभग 75 नये डाकू गिरोह राज्य में बने। इनमें से 59 गिरोहों का सफाया किया जा चुका है।

(4) इस समय राज्य में 16 गिरोह सक्रिय हैं। उनके मुखियाओं के नाम संलग्न तालिका के कॉलम नम्बर 11 में दिखाये गये हैं।

(5) उक्त समस्त गिरोहों में से 21 मुखिया जीवित गिरफ्तार किये गये। इनकी सूची संलग्न तालिका के कॉलम नम्बर 12 तथा 13 में उपलब्ध है।

(6) वांछित सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है।

स्थगित प्रश्न

(14-3-69)

बीकानेर डिवीजन की अनिवार्य शिक्षा शालाएं

165. श्री रावतराम (छापर सु.) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री रावतराम)

(1) बीकानेर डिवीजन में कुल कितनी अनिवार्य शिक्षा शालाएं कहां कहां हैं और उनमें कितने कितने टीचर किस किस ग्रेड के नियुक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) क्या यह सही है कि इन शालाओं पर स्थानीय नगरपालिकाओं का नियन्त्रण होने के कारण सम्बन्धित स्कूलों का टीचिंग स्टेन्डर्ड बिल्कुल गिर चुका है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या विचार कर रही है ?

(3) उक्त शालाओं के अध्यापकों के लिये पेन्शन, प्रमोशन, मंहगाई, स्थानान्तरण आदि के कौन से नियम हैं ? क्या विभागीय अध्यापकों को जो सुविधायें उपलब्ध हैं, वे इन अध्यापकों को भी दी जाती हैं ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त शालाओं के लिए सरकार कितनी प्रतिशत सहायता देती है और किन नियमों के अन्तर्गत ?

(5) क्या सरकार इन शालाओं को शिक्षा विभाग के अन्तर्गत लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं । न तो सरकार के पास और न शिक्षा विभाग में ही ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई है ।

(3) उक्त शालाओं के अध्यापक अभी नगरपालिकाओं के कर्मचारी हैं, ऐसी स्थिति में उन पर नगरपालिकाओं के अन्य कर्मचारियों पर प्रभावशाली राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 एवं उसके अन्तर्गत बने नियम लागू होते हैं । अतः इन अध्यापकों को राजकीय अध्यापकों के समान सुविधा देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ?

(4) शिक्षा विभाग द्वारा अनुदान नियमों के अनुसार अनुदान दिया जाता है । प्रत्येक संस्था को जो अनुदान दिया जाता है उसकी सूचना प्रश्न के भाग एक में प्रस्तुत सूची में दे दी गई है ।

(5) मामला विचाराधीन है ।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिए)

स्थगित प्रश्न
(19-3-69)

नीम-का-थाना के खजाने में चोरी के मामले

377. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि नीम-का-थाना के खजाने में बार बार चोरी होती रहती है ? गत 5 वर्षों में इस खजाने में कब कब चोरी हुई, प्रत्येक चोरी में क्या क्या माल चोरी गया ? पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि सन् 67 में भी इस खजाने से चोरी हुई बतलाई गई है जिसमें शम्भूसिह डाकू की पिस्तौल चोरी होना बतलाया गया है ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(3) क्या यह सही है कि शम्भूसिंह डाकू पर कई मुकदमें चल रहे हैं जिनमें यह पिस्तौल एक महत्वपूर्ण सबूत है ?

(4) क्या सरकार ने इस बात की जांच कराई है कि यह शम्भूसिंह की पिस्तौल वास्तव में चोरी हुई है या किसी ने मिल-जुल कर गायब कराई है ?

(5) क्या सरकार ने यह जांच कराई है कि इस खजाने में बार बार चोरियां होने का क्या कारण है ? यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अलबत्ता गत 5 वर्षों में नीम-का-थाना कोर्ट मालखाना में केवल एक चोरी दिनांक 7-8-67 की रात्रि को हुई थी। अपराधियों ने एक पिस्तौल व कुछ चांदी के जेवरात चुराये थे। चोरी गए जेवरात की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। खजाने से नहीं मालखाने से।

(3) जी हां। श्री शम्भूसिंह के विरुद्ध कई मुकदमें चल रहे हैं। उक्त पिस्तोल मुकदमा नं. 39, तारीख 19-4-64 धारा 25 भारतीय शस्त्र अधिनियम थाना पाटन जिला सीकर में सबूत है।

(4) इस सम्बन्ध में अभियोग संख्या 75/67 धारा 457/380 ता. हिं. पुलिस थाना नीम-का-थाना पर दर्ज होकर तफतीश की गई। तफतीश के दौरान मुलजिमात का पता न लगने के कारण दि. 30-11-67 को एफ. आर. अदम पता दे दी गई।

(5) पिछले 5 वर्षों में इस मालखाने में केवल यही एक घटना चोरी की हुई है। बार बार कोई चोरियां नहीं हुई हैं। सम्बन्धित घटना की जांच की जा चुकी है। अलग से और किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई।)

स्थगित प्रश्न
(19-3-69)

सीमा सड़कों के निर्माण हेतु ठेकेदारों को दी गई मशीनरी

391. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 66-67 में सीमा सड़कों के निर्माण में विभाग द्वारा ठेकेदारों को जो ट्रक, ट्रोली, जीपें व अन्य प्रकार की जो मशीनरी दी है उसका एग्रीमेन्ट या कान्ट्रेक्ट किस किस ठेकेदार से कब कब किया गया और किस किस अधिकारी द्वारा ? कृपया तालिका प्रस्तुत करें और यह बताएं कि सरकार के प्रतिनिधियों तथा ठेकेदारों के इस ठेके पर कब कब हस्ताक्षर हुए हैं ?

(2) क्या इन एग्रीमेन्ट या कान्ट्रेक्ट्स का ड्राफ्ट राज्य सरकार द्वारा एप्रूव कराया गया था ? यदि हां, तो विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रारूप तथा राज्य सरकार द्वारा संशोधित तथा अन्तिम रूप से मान्य प्रारूप

(श्री भैरोंसिंह)
की प्रतियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि एग्रीमेन्ट पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् भी एग्रीमेन्ट्स में संशोधन किए हैं ? यदि हां, तो किस किस एग्रीमेन्ट में कब कब और क्यों ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी हां, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत और अन्तिम रूप से मान्य प्रारूप की प्रतियां संलग्न हैं।

(3) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

धोला दन्ता गांव के एक निवासी की सुरक्षा का प्रबन्ध

405. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या अजमेर जिला स्थित ब्यावर तहसील के धोला दंता गांव निवासी मिट्ठनसिंह ने एस. डी. एम., ब्यावर की अदालत में एक दरख्वास्त दफा 107 की की थी कि कतिपय व्यक्ति मुझे मारने हेतु धमकी दे रहे हैं, अतः मेरी सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाय ? अगर हां, तो किस तारीख को ? और सुरक्षा का क्या प्रबन्ध किया गया ?

(2) क्या इसके बाद धमकी देने वाले व्यक्तियों ने उसके खेत से मक्की चुरा ली ? यदि हां, तो पुलिस ने इसमें क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या मिट्ठनसिंह कई मजदूरों के साथ खेत में गया जब उक्त व्यक्तियों ने उन सब पर हमला करके कतिपय व्यक्तियों को घायल कर दिया और क्या कई घायल व्यक्तियों की हालत गम्भीर है ?

(4) क्या यह भी सही है कि पुलिस अधिकारी समसुद्दीन ने एस. डी. एम., ब्यावर को लिखा था कि उपरोक्त व्यक्तियों से मिट्ठनसिंह को खतरा है और वे बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं ? अगर हां, तो मिट्ठनसिंह की सुरक्षा के लिये क्या कदम उठाये गये ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 27-4-67 को मिट्ठनसिंह ने एक दरख्वास्त हस्ब दफा 107 जा.फो. के एस. डी. एम. साहब ब्यावर के न्यायालय में दी थी। इसी दरख्वास्त को एस. डी. एम. साहब. ब्यावर ने दिनांक 27-4-67 को ही वास्ते जांच एस.एच.ओ. मसूदा के पास इस रिमार्क से भेज दी कि दिनांक 1-5-67 तक अपनी जांच रिपोर्ट बाबत इस्तगासा पेश करें।

जिस पर एस. एच. ओ. मसूदा ने दिनांक 14-5-67 को जांच रिपोर्ट इस्तगासा एस. डी. एम. साहब ब्यावर न्यायालय में पेश किया और अपनी रिपोर्ट में मिट्ठनसिंह को गैर सायलान सर्व श्री भोला, पांचू, लादू, चोपू और गिरधारी से खतरा होना बतलाया। जिनको लम्बे अर्से के लिये

(गृह मन्त्री)
संगीन जमानत व मुचलका लिवाये जावें ताकि शान्ति भंग न होने पावे। एस. डी. एम. साहब ब्यावर ने दिनांक 19-5-67 को गैर सायलान के खिलाफ धारा 112 जा. फो. के अन्तर्गत नोटिस दिया और दिनांक 7-6-67 को हाजिर न्यायालय होकर जवाब पेश करने को तारीख मुकर्रर की। यह इस्तगासा अभी तक तजबीज अदालत फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट ब्यावर में है। जिसकी आयन्दा तारीख 9-4-69 मुकर्रर है।

(2) यह सही नहीं पाया गया कि धमकी देने वाले व्यक्तियों ने मक्की चुराई।

(3) जी हां। यह बात सही है। इस विषय में अभियोग संख्या 47, दिनांक 4-10-67 धारा 147, 148, 447, 324, 325 भा. द. सं. थाना पुलिस मसूदा पंजीबद्ध किया गया। एक व्यक्ति के गम्भीर चोट व पांच व्यक्तियों के साधारण चोटें आना पाई गई थीं। इस मामले में केस जेर ट्रायल है।

(4) यह सही नहीं है कि श्री समसुद्दीन मुख्य आरक्षी ने एस. डी. एम. साहब ब्यावर को लिखा था कि उपरोक्त व्यक्तियों से मिट्ठनसिंह को खतरा है परन्तु श्री गोविन्दस्वरूप व्यास एस. एच. ओ. मसूदा ने यह रिपोर्ट एस. डी. एम. ब्यावर को की थी। जिसके फलस्वरूप उपरोक्त जांच गैर सायलान को एस. डी. एम. साहब ब्यावर ने धारा 112 जा. फो. के अन्तर्गत तारीख 19-5-67 को स्वीकार कर नोटिस दिया जो इस्तगासा 107 जा. फो. का अभी भी जेर तजबीज न्यायालय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट ब्यावर में है।

जवानों के रिफ्रेशर कोर्स के सेन्टर

406. श्री मेघराज पंवार (चूरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(1) जवानों के रिफ्रेशर कोर्स के लिए कहाँ कहाँ सेन्टर रखे गये हैं ?

(2) उन सेन्टर्स में किन किन जिलों से कितने कितने जवानों के कितने बैच सालना कोर्स करते हैं ?

(3) इन सेन्टर्स में प्रति जवान प्रशिक्षण का क्या खर्चा होता है ?

(4) जो जवान कोर्स के लिये इन सेन्टर्स में बाहर के थानों से आते हैं उनका माहवारी खर्च आवास इत्यादि का प्रति जवान कितना पड़ता है ?

(5) क्या जवानों को इस प्रशिक्षण काल में कोई विशेष भत्ता मिलता है ? यदि हां, तो कितना मासिक ?

उत्तर

(1) बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर एवं जयपुर में जवानों के रिफ्रेशर कोर्स के ट्रेनिंग सेन्टर रखे गये हैं।

(2) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) इसका अलग से कोई हिसाब नहीं रखा जाता है।

(गृह मन्त्री)

(4) जवानों के आवास पर कोई अलग से खर्च नहीं होता है। इनको प्रशिक्षण केन्द्र में ही रखा जाता है।

(5) जी नहीं।

जवानों को मासिक वेतन मिलता है। जवानों को प्रशिक्षण केन्द्र पर जाने के लिये व वापिसी का साधारण यात्रा भत्ता दिया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

आमेर के नृसिंहजी के मन्दिर में व्यक्ति की हत्या

407. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी सु.): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गत माह जयपुर में आमेर के नृसिंहजी के मन्दिर में किसी व्यक्ति की छुरे मार कर हत्या करदी गई थी? उसकी हत्या करने का क्या कारण था?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मृतक का पुत्र जो मैडिकल कालेज में पढ़ता था उसकी भी हत्यारों ने उसके घर आकर हत्या करने का प्रयास किया था?

(3) क्या यह सही है कि दोनों बाप बेटों पर छुरे से बार किया गया था?

(4) अगर हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1) जी हां। हत्या रुपये हड़पने के उद्देश्य से की जानी पाई जाती है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। मृतक रमेशचन्द्र पर छुरे से तथा उसके लड़के जगदीशप्रसाद पर छुरे व पत्थर से प्रहार मुलजिमान द्वारा किया गया था।

(4) इस विषय में सूचना प्राप्त होते ही थाना मानक चौक में मु० नं० 17/69 बजुर्म 302,307,326,364,394,397, 449/120- बी. ता. हि. दर्ज कर तफतीश शुरू की गई तथा मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मुकदमे में बाद तफतीश चालान अदालत में पेश कर दिया गया है।

किवाड़ों की चोरी

408. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झुंझुनू नगर में स्थित बंधे के बालाजी नामक धार्मिक स्थान से दरवाजे के दोनों किवाड़ उतार कर ले जाने एवं चारों तरफ लगे कांटेदार तारों को काट देने की रिपोर्ट पुलिस थाने में हुई थी?

(2) यदि हां, तो किस तारीख को एवं उस पर पुलिस ने किस तारीख को क्या कार्यवाही की?

(3) क्या यह सही है कि इस प्रश्न को लेकर नगर का वातावरण क्षुब्ध

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
हो गया था और नागरिकों ने सार्वजनिक हड़ताल करके जुलूस निकाल कर जिलाधीश कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था ?

(4) बंधे के बालाजी धार्मिक स्थान के दरवाजे के किवाड़ तोड़ने व तार काटने वाले व्यक्ति कौन कौन थे और उनके विरुद्ध किस तारीख को क्या क्या कार्यवाही हुई थी ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) दिनांक 16-6-68 को रिपोर्ट 10 बजे दिन के पेश होने पर पुलिस ने अभियोग पंजीबद्ध करके उसी समय अनुसंधान प्रारम्भ किया। दिनांक 22-6-68 को माल मशरुका बरामद किया गया। दिनांक 27-6-68 को मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई व बाद तफसीश दिनांक 24-11-68 को चालान अदालत में पेश किया गया।

(3) जी हां।

(4) बन्धे के बालाजी धार्मिक स्थान के दरवाजे के किंवाड़ तोड़ने वाले अपराधीगण सर्वश्री सीरुखां, नूरखां, नबुखां, मुनीरखां जाति कायमखानी निवासी झुंझुनू थे। जो दिनांक 27-6-68 को गिरफ्तार किये गये व दिनांक 28-6-68 को जमानत पर आजाद किये गये। फिर दिनांक 24-11-68 को चालान न्यायालय में इनके विरुद्ध पेश किया गया। यह केस अब सब-जुडिस है।

कोटा जिले में चोरियों आदि के मामले

409. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले में गत तीन वर्षों में कितने-कितने रुपयों की किस किस स्थान पर कितनी कितनी डकैतियां, चोरियां, नकबजनियां एवं डाकुओं द्वारा नागरिकों को उठा कर ले जाने की घटनाएं हुईं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त अवधि में हुई चोरियां, नकबजनियां व डकैती में से कितनी चोरियों, नकबजनियों व डकैतियों का माल मय अपराधियों के साथ बरामद हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि कोटा जिले में उक्त अवधि में औरतों को फरार कर के ले जाने की घटनाएं भी हुई हैं ?

(4) यदि हां, तो किस किस स्थान से महिलाओं को फरार करके ले जाया गया और पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

निजो मकान बनाने हेतु ऋण

410. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या गृह निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में निजो मकान बनाने के लिए कुल कितनी राशि का ऋण अब तक दिया गया है ?

उत्तर

सन् 1955 से लेकर अब तक 7,60,36,361) रु० का ऋण वितरित किया गया।

Page No 30

जिला बून्दी में भूमिहीन सैनिक

411. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताते की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बूंदी में कितने भूतपूर्व और कितने वर्तमान सैनिक हैं जो भूमिहीन हैं ? तहसीलवार बतलावें ।

(2) भूतपूर्व व वर्तमान सैनिकों में से कितने अनुसुचित जाति व जन जाति के हैं ?

(3) सरकार अब तक कितनों को भूमि आवंटन कर चुकी है ? तहसीलवार व ग्राम वार बतलावें ।

(4) कितने सैनिकों को मकानों के प्लाट दिये हैं और कितने मामले अभी विचाराधीन हैं ?

(5) क्या सरकार ने किसी सैनिक को मकान बनाने हेतु ऋण दिया है ? यदि हां, तो किसको ? पूरा पता नामवार बतलावें ।

उत्तर

(1) ऐसे सैनिकों व भूतपूर्व सैनिकों की गणना नहीं करवाई गई । अतः सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(2) यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(3) गत तीन वर्षों में 56 सैनिकों को भूमि आवंटित हुई है । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) अभी तक कोई प्लॉट नहीं दिया गया है । एक प्रार्थना-पत्र मन्डी कमेटी चम्बल प्रोजेक्ट कोटा के समक्ष पेश हुआ है जो विचाराधीन है ।

(5) बूंदी शहर में अल्प आय गृह निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत केवल दो सैनिकों को ऋण दिया गया है जिनके नाम निम्नलिखित हैं:—

(1) सब-मैजर छैलूराम, असि० रिक्रूटिंग ऑफिसर, जबलपुर (लंका गेट बूंदी) 8000) रु० ।

(2) मेजर हरिसिंह, 1/5 गोरखा राईफल (फन्टीयर्स फोर्स) मारफत 56 ए. पी. ओ. रिफुजी कालोनी, बूंदी 11200) रु०

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई ।)

गुढ़ा बांध को पेटा काश्त भूमि

412. श्री केसरी सिंह हाडा (हिन्डोली): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील हिण्डोली में गुढ़ा बांध की पेटा काश्त की जमीन तहसील द्वारा वर्ष 1968 में आवंटित नहीं की गई ?

(2) क्या यह सत्य है कि काश्तकारों ने इस विषय में तहसील को प्रार्थना-पत्र भी दिये थे ?

(3) क्या यह सत्य है कि इसी प्रकार का एक प्रार्थना-पत्र खानसिंह ग्राम तलोदा ने मुझे दिया वह जिलाधीश बूंदी को दिनांक 5-12-67 को भेजा गया ?

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

(4) क्या सरकार तहसीलदार को यह हिदायत करना मुनासिब नहीं समझती कि पेटा काश्त की जमीनें समय पर आवंटन कर दी जावें ?

(5) तहसीलदार हिन्डोली की गफलत से क्या सरकार को हानि नहीं हुई ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

(3) ऐसा प्रार्थना-पत्र जिलाधीश कार्यालय में प्राप्त होना नहीं पाया जाता।

(4) पेटा काश्त की भूमि समय पर आवंटन करने के नियम बने हुए हैं।

(5) चूंकि भूमि आवंटित की गई है, अतः सरकार को कोई हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

तहसील नोहर की बारानी क्षेत्र की भूमि का रजिस्टर

413. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील नोहर में बारानी क्षेत्र की आराजी काश्त भूमि का रजिस्टर अधूरा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि बारानी क्षेत्र की 17 ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में 1 साला अलॉटमेन्ट का नवीनीकरण किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि भूमि अलॉटमेन्ट नियम की धारा 14 के तहत 10 साला अलॉटमेन्ट करने का नियम है ? यदि हां, तो कितने काश्तकारों को 10 साला अलॉट की जाकर पट्टे दिये गये ? यदि नहीं दिये गये तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि एक साला अलॉटमेन्ट करने से 5) रु. पट्टा फीस व 1) रु. गैर खातेदारी के इन्तकाल फीस नहीं ली जा सकती जिससे सरकार को बड़ा नुकसान होता रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

(5) क्या यह सही है कि रिपोर्ट लेखा आराजी अलॉटमेन्ट सरकारी भूमि संवत् 2022-23 के रिकार्ड में सही नहीं होना बता कर एतराज तारीख 25-11-67 को जिलाधीश श्रीगंगानगर को दिया है ?

(6) क्या यह सही है कि निरीक्षक राजस्व लेखा द्वारा अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि आराजी अलॉटमेन्ट के रजिस्टर तैयार नहीं किये जाते हैं और 5) रु. पट्टा फीस व 1) रु. गैर खातेदारी इन्तकाल फीस वसूल नहीं करने से सरकार को काफी हानि हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस पर जवाब तलब किया गया है ?

(7) तहसील नोहर में कुल कितने अलोटी हैं और कितने सालों से एक साला नवीनीकरण किये जाते हैं ?

(8) क्या निरीक्षक राजस्व लेखा जिला गंगानगर ने जो ऐतराजात किये हैं, वह सही है ? यदि हां, तो इस पर कब तक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

खानपुर तहसील में रिक्त इमारतें

414. श्रीमती शिवकुमारी (खानपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्व विभाग की ऐसी कितनी इमारतें खानपुर तहसील में हैं जो काम में नहीं ली जाने के कारण वीरान पड़ी हैं और जिन्हें दूसरे विभागों द्वारा काम में लिया जा सकता है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम खन्डी में राजस्व विभाग का पटवार घर गांव के मध्य में स्थित है और खन्डहर अवस्था में होने के कारण गांव के विकास में वाधक है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पटवार घर को ग्राम पंचायत द्वारा स्कूल के लिए काम लेने हेतु मांगा हुआ है ? यदि हां, तो इसे स्कूल के लिए दे दिये जाने में राजस्व विभाग को क्या आपत्ति है ?

उत्तर

(1) तहसील खानपुर में राजस्व विभाग की ऐसी कोई इमारतें नहीं है जो काम में नहीं लेने के कारण वीरान पड़ी हो एवं दूसरे विभागों द्वारा काम में ली जा सकती हो।

(2) जी हां। जहां तक उसके कारण गांव के विकास में बाधा पहुंचाने का प्रश्न है इस बारे में कभी भी जनता अथवा ग्राम पंचायत द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है।

3. जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

तहसील टौंक में भूमि का आवंटन

415. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1960 से सन् 1968 तक तहसील टौंक, जिला टौंक में कुल कितनी भूमि अलॉट की गई और वह किनको दी गई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या तहसील टौंक में राज्य की भूमि पर लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो किन किन व्यक्तियों ने कितनी कितनी भूमि पर कब्जा कर रखा है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या तहसील टौंक में जिन लोगों ने भूमि पर नाजायज कब्जे किये हैं, उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं ? और उन मामलों में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

उत्तर

(1) तहसील टौंक में सन् 1960 से सन् 1968 तक 15,665 एकड़ भूमि एलॉट की गई। यह भूमि सभी वर्गों में एलॉट की गई है। वर्गवार आवंटन की सूची संलग्न है।

(2) तहसील टौंक में 9,269 लोगों ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। जो 12,017 एकड़ भूमि पर है। ग्रामवार अतिक्रमणकारियों की संख्या व रकबा की सूची संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(3) जी हां। तहसील टौंक में जिन व्यक्तियों ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया उनमें से 158 को बेदखल किया जा चुका है। 235 व्यक्तियों के अतिक्रमण को नियमित कर दिया गया है। 132 अतिक्रमणकारियों की भूमि को आबादी में तबदील कर देने से अतिक्रमण के केसेज दाखिल दफ्तर कर दिये गये, शेष 5,414 के खिलाफ धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की कार्यवाही जारी है। शेष 3,357 अतिक्रमण की रिपोर्ट आना शेष है। इस प्रकार खसरा परिवर्तनशील के आधार पर 9,269 अतिक्रमणी हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

काश्तकारों से वृक्षों की कीमत वसूल करने का आदेश-पत्र

416. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या राजस्व मन्त्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान काश्तकारी कानून की धारा 15 के तहत काश्तकारों से वृक्षों की कीमत वसूल नहीं करने का आदेश राज्य सरकार ने 1965 में जारी किया था? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त आदेश जारी होने के बाद भी तहसील लाडनूं के बहुत से गांवों में दरख्तों की कीमत पटवारियों ने वसूल की? यदि हां, तो किन किन गांवों में किस किस काश्तकार से कितने कितने रुपये कब कब वसूल किये? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त गलत रूप से की गई वसूली की रकम को वापिस दिलाने के लिये आसामियों ने तहसील कार्यालय लाडनूं में प्रार्थना-पत्र दिये थे? यदि हां, तो किस किस आसामी ने कब कब दिये और उन पर क्या कार्यवाही हुई?

(4) गलत रूप से वसूल की गई राशि वापिस दिलाने में इतने लम्बे समय तक आसामियों को प्रतीक्षा करने का क्या कारण है?

(स्थगित किया गया)

पंचायत समिति पाली में भूमि का आवंटन

417. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1962 से आज तक पाली तहसील के ग्राम पंचायत क्षेत्र खेतावास, पंचायत समिति पाली में किन किन को कितनी कितनी भूमि किस किस खसरा नम्बरों में कब कब आवन्टन की? उसकी पूरी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि ये सारे एलॉटमैन्ट भूतपूर्व तहसीलदार ने कानून के खिलाफ किये हैं? अगर हां, तो क्या सरकार उनको रद्द करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) इसकी सालेवार सूची संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(2) ये आवंटन भूतपूर्व तहसीलदार, पाली द्वारा किए गए हैं। भूमि आवंटन, खिलाफ कानून हुआ अथवा नहीं, इसकी पूर्ण जांच कर ही स्थिति अवगत करवाई जा सकती है, यदि बाद जांच आवंटन नियम विरुद्ध पाये गये तो उन्हें नियमानुसार रद्द करने की कार्यवाही की जायगी। जो भी ऐसे केसेज नोटिस में आये हैं, वे बाद जांच रद्द किये गए हैं और भी ऐसे केसेज की जांच जारी है। जो भी गलत आवंटन साबित होगा यह तत्काल रद्द किया जायगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

पाली में भूमि का एलॉटमैन्ट

418. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1962 से आज तक पाली खास की सरहद चक नम्बर 1 व चक नम्बर 2 में किन किन को कितनी कितनी भूमि किस किस खसरा नम्बर में कब कब आवन्टन की है ? उसकी पूरी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सत्य है कि ये सारे एलॉटमैन्ट भूतपूर्व तहसीलदार पाली ने कानून के खिलाफ किये हैं ? अगर हां, तो क्या सरकार उनको रद्द करने का विचार रखती है ?

उत्तर

1. इसकी सूची संलग्न है।

2. जी हां आवन्टन भूतपूर्व तहसीलदार, पाली द्वारा किया गया है जहां तक कानून के खिलाफ आवन्टन का प्रश्न है उसका उत्तर बाद जांच दिया जा सकता है। यदि बाद जांच आवन्टन नियम विरुद्ध पाये गये तो उन्हें नियमानुसार रद्द करने की कार्यवाही की जायगी। सम्वत् 2025 में कोई आवन्टन नहीं हुआ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

ग्राम गोगला में तालाब की जमीन

419. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम गोगला तहसील फलासिया में एक तालाब $28\frac{1}{2}$ बीघा का है ?

(2) क्या यह सही है कि तालाब के पायतन की जमीन स्कूल के बच्चों के खेल के मैदान काम के में आती है तथा उसमें शील सप्तमी का मेला भी लगता है ?

(3) क्या यह सही है कि सन् 64, 65 व 66 में कुछ लोगों ने इस तालाब की भूमि को कृषि हेतु आवन्टन के प्रार्थना-पत्र दिये थे परन्तु उपरोक्त कारणों से आवन्टन के प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिये गए ?

(4) क्या यह सही है कि अब किसी एक ठाकुर को इस तालाब की $28\frac{1}{2}$ बीघा भूमि आवन्टित करदी गई है ?

(5) क्या यह सही है कि ग्रामवासियों ने उक्त आवन्टन का तीव्र विरोध किया है ?

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

(6) क्या सरकार इस गलत आवन्टन पर पुनर्विचार कर सार्वजनिक भूमि को सुरक्षित रखेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं।

(4) श्री भैरू सिंह जागीर सरवण को, डी. सी. जागीर उदयपुर द्वारा खुदकाश्त में इस 28।।) बीघा भूमि को आवन्टन के आदेश दिनांक 21-12-67 को दिये गये।

(5) ग्राम गोगला के निवासियों ने खुदकाश्त कमिश्नर को अपील पेश की जहां से ता. 21-2-69 तक भूमि की स्थिति यथावत रखे जाने के आदेश दिनांक 17-1-69 को हुए।

(6) मामला अपील में है अतः अपील से जब निर्णय होगा उसके अनुसार पालना होगी।

खादर हेतु प्रार्थना-पत्र

420. श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

सवाई माधोपुर जिले में खादर (रिवाइन्स लैण्ड) के लिये किस किस स्थान से किस किस के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं और अब तक इन पर क्या कार्यवाही की गई तथा किस किस व्यक्ति को रेवाइन लैण्ड अब तक दी गई है ?

उत्तर

सवाई माधोपुर जिले में खादर (रिवाइन्स लैण्ड) के लिये कुल 1,24,443 प्रार्थन-पत्र प्राप्त हुए हैं। जिनमें नोटिफीकेशन जारी होने के बाद के 49,926 हैं। अब तक 8,000 के प्रार्थना-पत्र पर अन्तिम निर्णय दिया जा चुका है एवं अभी तक किसी व्यक्ति को रिवाइन्स लैण्ड नहीं दी गई है। उपरोक्त संख्यक प्रार्थना-पत्रों का विवरण कि प्रार्थना-पत्र किस किस स्थान से किस किस के प्राप्त हुए हैं जिलाधीश के कार्यालय में देखा जा सकता है।

करौली-बाड़ी सड़क

421. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि करौली से बाड़ी तक की सड़क संतोषजनक नहीं है, और इस मार्ग पर चलने वाली बसों के ऑपरेटर्स एसोसियेशन ने इस विषय पर सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया था ?

(2) क्या इस सड़क पर विभाग की ओर से कोई ट्रॉली मिट्टी डालने का कार्य भी करती है ?

(3) क्या यह सत्य है कि इस सड़क का सोलिंग भी निकल गया है ?

(4) इस सड़क पर कितनी पुलियायें ठीक हैं, कितनी टूटी पड़ी हैं और कितने स्थानों पर पुलियायें हैं ही नहीं ?

(5) क्या इस सड़क पर बसें वर्षाकाल में भी चलती हैं या चलाई जा सकती हैं ?

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

(6) इस पर डामर कब तक डलाने का विचार है ?

उत्तर

(1) कुछ मीलों की हालत संतोषप्रद नहीं है। बस ऑपरेटर्स एसोसियेशन से पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) जी हां।

(3) कुछ मीलों में सोलिंग निकला हुआ है।

(4) 52 पुलियां ठीक हैं कोई पुलिया टूटी हुई नहीं है। 18 पुलियां नहीं हैं।

(5) वर्षा में पुलियों के अभाव से यातायात में कठिनाई होती है।

(6) डामर कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

1968-69 में सड़कों हेतु स्वीकृत धनराशि

422. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई-माधोपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वित्तीय वर्ष 68-69 में राज्य में पहिले से ही चालू किस किस सड़क के लिये कितने कितने रुपयों की राशि स्वीकृत की गई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या इसी वित्तीय वर्ष (68-69) में कोई नई सड़कें बनाना भी स्वीकार किया गया ? यदि हां, तो कौन कौन सी और प्रत्येक के लिये कितनी कितनी राशि इस वर्ष स्वीकार की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) सवाई माधोपुर की बोली से निवाई सड़क बनाना किस वर्ष स्वीकार किया गया और अब तक यह कितने माइल बन चुकी है ?

(4) वित्तीय वर्ष 68-69 में इस सड़क के लिये कितनी राशि स्वीकार की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सूचना राजस्थान सरकार के मुद्रित बजट 68-69 में दी गई है।

(2) सूची (अ) संलग्न हैं।

(3) वर्ष 1957 में स्वीकार किया गया था जिला सवाई माधोपुर में 7 मील बनी है।

(4) बजट एस्टीमेट के अनुसार 25,000 रु० का प्रावधान था।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

भीलवाड़ा से मांडलगढ़ सड़क

423. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या भीलवाड़ा से मांडलगढ़ वाया मंगरोप, बडल्यास, बरूंदनी, सिंगोली सड़क स्वीकार हो चुकी है ? यदि इस सड़क को प्लान में ले लिया गया है तो कितनी बन चुकी है और कितनी बननी बकाया है ?

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

(2) यह सड़क कब तक पूरी हो जायेगी ?

उत्तर

(1) स्टेट प्लान में रोड़ निर्माण की स्वीकृति नहीं है। मंगरोप से बडल्यास तथा बडल्यास बरूंदनी मांडलगढ़ तक अकाल राहत कार्यों में क्रमश: 17-1-69 तथा 7-2-69 को बीस बीस हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है।

(2) अकाल राहत कार्य होने के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

नौहर-फेफाणे सड़क की मरम्मत

424. श्री हंसराज आर्य (भादरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा नौहर से फेफाणे जाने वाली 11 मील लम्बी रोड टूट फूट गई है ?

(2) यदि हां, तो उसकी मरम्मत कब तक करवादी जावेगी ?

उत्तर

(1) नौहर से फेफाणा रोड के प्रथम 5 मील मरम्मत तलब है शेष मीलों की दशा साधारण है।

(2) आशा है आगामी वित्तीय वर्ष में।

ग्राम धानोदा कलां में मिडिल स्कूल की मांग

425. श्रीमती शिवकुमारी (खानपुर): क्या शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पंचायत समिति, खानपुर जिला झालावाड़ द्वारा ग्राम धानोदा कलां में मिडिल स्कूल खोले जाने की मांग की हुई है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) सरकार द्वारा मिडिल स्कूल खोलने के क्या नियम हैं और पिछले तीन सालों से झालावाड़, कोटा व बून्दी जिलों में किन किन स्थानों पर मिडिल स्कूल खोले गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। यह भी बतावें कि इन स्थानों को प्राथमिकता देने के क्या कारण थे ?

(3) धानोदा कलां में मिडिल स्कूल कब तक खोल दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) सरकार द्वारा उच्च प्राथमिक शाला खोलने के नियमों की प्रति व तीन सालों में जिला झालावाड़, कोटा व बून्दी में क्रमोन्नत की गई प्राथमिक शाला से उच्च प्राथमिक शाला की सूचियां संलग्न की हैं।

(3) चालू वर्ष के आयव्ययक में नवीन उच्च प्राथमिक शाला खोलने का प्रावधान नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

ग्राम देई में कन्याशाला का स्थान

426. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डौली): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No 38

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

(1) ग्राम देई, जिला बूंदी की कन्याशाला के लिये अब तक कौन सा स्थान रहा है और क्या यह स्थान पर्याप्त है ?

(2) क्या यह सत्य हैं कि ग्राम देई में पुराने थाने की इमारत अब नया थाना बन जाने के बाद खाली पड़ी है ?

(3) सरकार इस पुराने थाने की इमारत को पुलिस विभाग से प्राप्त करके क्यों नहीं कन्याशाला के लिये दिलाने की व्यवस्था करती है?

(4) क्या सरकार इस इमारत को कन्याशाला के लिये देना मुनासिब नहीं समझती ?

उत्तर

(1) ग्राम देई जिला बूंदी की कन्याशाला जैन नसियां भवन में लगती है। कन्याशाला के लिये यह भवन अपर्याप्त है।

(2) यह सत्य नहीं है। इस समय यहां पुलिस कर्मचारी रहते हैं।

(3) यह भवन कस्बा देई के बाहर है और बरसात में इसका सम्बन्ध एक गहरे नाले के बहने की वजह से टूट जाता है ऐसी परिस्थिति में इस भवन को बालिकाओं के विद्यालय के लिए देना खतरनाक एवं अनुचित प्रतीत होता है।

(4) इसका उत्तर भाग (3) में निहित है।

ट्रेन्ड प्रधानाध्यापक

427. **श्री गंगासहाय (कठूमर) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जो सैकन्ड्री स्कूल के प्रधानाध्यापक केवल ट्रेन्ड ग्रेजुएट हैं वे हायर सेकण्ड्री स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद के लिए योग्य नहीं माने जाते ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिन सेकन्ड्री स्कूल के प्रधानाध्यापकों को हायर सेकन्ड्री स्कूल के प्रधानाध्यापक पद के तो योग्य नहीं माना गया परन्तु इससे उच्च पद जिला शिक्षणालय निरीक्षक के पद के योग्य मान लिया गया है ?

उत्तर

(1) यह सही है।

(2) यह सही है।

नागौर की मिडिल स्कूलों में छात्रों एवं अध्यापकों की संख्या

428. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला नागौर की मिडिल स्कूलों में जो अध्यापक लगा रखे हैं उनमें छात्रों की संख्या का कोई ध्यान नही दिया गया ? जिले कि तमाम मिडिल स्कूलों की छात्रों की तथा अध्यापकों की संख्या की स्कूलवाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या इस सम्बन्ध में कोई नियम बने हुए हैं कि कितने लड़कों की संख्या पर कितने अध्यापक होने चाहियें ? यदि हां, तो उन नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(शिक्षा मंत्री)

उत्तर

(1) जी नहीं। सूची संलग्न है।

(2) आम तौर पर छठी से आठवीं कक्षाओं में 30 छात्रों पर एक अध्यापक दिया जाता है। साथ ही कक्षाओं के खण्डों व छात्रकी संख्या व विशेष विषय का भी ध्यान रखा जाता है। इन शालाओं में अध्यापक कक्षानुसार व कक्षाओं के खण्ड अनुसार तथा विशेष विषय के अनुसार लगाये जाते रहे हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

छीपाबड़ोद में गर्ल्स मिडिल स्कूल भवन की व्यवस्था

429. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कस्बा छीपा बडोद जिला कोटा में गर्ल्स मिडिल स्कूल के लिए स्कूल भवन की क्या व्यवस्था है ?

(2) क्या यह सही है कि स्थानीय जनता द्वारा पंचायत के तहत गढ़ी के अन्दर कुछ कमरे बनाने की योजना थी, जिसके आधार पर कुछ कार्य हुआ भी है, किन्तु कलेक्टर, कोटा द्वारा शुगर चैरिटी फंड से एक निश्चित निधि प्रदान करने का जो आश्वासन प्राप्त हुआ था वह रकम क्यों नहीं दी गई ?

उत्तर

(1) कस्बा छीपा बडोद जिला कोटा में गर्ल्स मिडिल स्कूल वर्तमान में छात्र विद्यालय के भवन में डबल शिफ्ट में चलाई जा रही है। कन्याशाला का समस्त अन्य सामान किराये के एक भवन में रखा हुआ है।

(2) यह सही है। जिलधीश, कोटा से भी पंचायत द्वारा द्रव्य की मांग की गई थी शायद वह किन्ही कारणवश प्राप्त नहीं हो सका होगा।

बारां नगर में स्कूलें

430. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बारां नगर में कितनी प्राथमिक स्कूलें एवं माध्यमिक स्कूलें हैं और प्रत्येक स्कूल में छात्र छात्राओं की कितनी कितनी संख्या है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि माध्यमिक स्कूल, बारां में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण स्कूल में छात्रों की दो पाली (शिफ्ट) चलती हैं और इसके उपरान्त भी छात्रों को बैठने का स्थान पर्याप्त नहीं है?

(3) क्या सरकार छात्रों की बढ़ती हुई संख्या एवं मिडिल स्कूल भवन में स्थानाभाव को मद्दे नजर रखते हुए एवं नगर की व आसपास के गांवों की आबादी की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए नगर में दूसरी माध्यमिक स्कूल खोले जाने का विचार कर रही है ?

(4) यदि हां, तो दूसरी माध्यमिक स्कूल कब तक खुल जावेगी ?

(स्थगित किया गया)

श्री कल्याण कॉलेज सीकर में उर्दू विषय के व्याख्याता

431. **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां) : क्या शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि श्रीकल्याण कॉलेज, सीकर में उर्दू विषय पढ़ाया जाता है? यदि हां, तो उस कालेज से गत पांच वर्षों में विश्व-विद्यालय की परीक्षा में प्रति वर्ष कितने छात्र बैठे ?

(2) क्या यह संख्या विश्वविद्यालय के नियमानुसार एक विषय के लिए उचित है ?

(3) क्या इस विषय को पढ़ाने वाले व्याख्याता ने 30 वर्ष से अधिक सेवा कर ली है ? इसको मासिक वेतन कितना रुपया मिलता है ?

(4) यदि उक्त व्याख्याता ने 30 वर्ष नौकरी कर ली है तो उसको सेवा निवृत्ति क्यों नहीं दी गई ?

उत्तर

(1) जी हां, । गत पांच वर्षों में विश्व-विद्यालय की परीक्षा में प्रति वर्ष बैठे छात्रों की संख्या निम्नप्रकार है:—

	1965	66	67	68	69
पी० यू० सी०	—	—	1	1	—
प्रथम वर्ष टी० डी० सी०	2	2	4	2	3
द्वितीय वर्ष टी० डी० सी०	—	2	—	—	—
तृतीय वर्ष टी० डी० सी०	—	—	2	1	—

(2) विश्वविद्यालय के नियमानुसार किसी भी विषय के लिये छात्रों की संख्या निर्धारित नहीं है ।

(3) जी हाँ । इनको 560 रु० प्रति-मास वेतन मिलता है ।

(4) सेवा निवृत्ति की अवधि 55 साल है । इनकी उम्र अभी 51 वर्ष है ।

सादड़ी सेकेन्डरी स्कूल में बॉयज फण्ड का उपयोग

432. **श्री फूलचन्द बाफणा** (सुमेरपुर): क्या शिक्षा मंत्री, यह बताने की की कृपा करेंगे:—

(1) सादडी जिला पाली की सेकण्डरी स्कूल में कोई बॉयज फंड नाम का कोई फंड है क्या ? यदि हां तो इसे खर्च करने के शीर्षक क्या क्या हैं और इस फंड के खर्च करने के नियम क्या क्या हैं तथा इस फंड को खर्च करने का अधिकार किसे है ?

(2) सादडी, जिला पाली की राजकीय सेकण्डरी स्कूल के बॉयज फंड में से पिछले तीन वर्षों में किस किस कार्य हेतु किस किस को किस किस तारीख को कितनी कितनी रकम उधार दी गई ? उधार दी हुई रकम किस किस तारीख को किस किस से कितनी कितनी वापस प्राप्त हुई ?

(स्थगित किया गया)

राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को सुविधाएं

433. **श्री फूलचन्द बाफणा** (सुमेरपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No 41

(शिक्षा मंत्री)

पॉलिटिकल सफरर्स के बच्चों को सरकार की ओर से छात्रवृत्तियां एवं अन्य विशेष सुविधायें दी जाती हैं उनकी आज्ञायें या परिपत्र कब कब निकले ? सम्बन्धित आज्ञाओं व परिपत्रों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखीं जावें ।

उत्तर

(1) राजस्थान सरकार द्वारा राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के आदेश की प्रतियां संलग्न हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

भ्रमणशील शल्य चिकित्सा शिविर, बूंदी

434. **श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली):** क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बूंदी में भ्रमणशील शल्य चिकित्सा का शिविर क्या 4 फरवरी से आरम्भ होकर कब तक रहा ?

(2) शिविर में कुल कितने रोगी किस किस आपरेशन के लिये आये और कितनों को आपरेशन के लिये भर्ती किया गया और किस किस रोग के लिये ?

(3) शिविर बून्दी में लगाने की आवश्यकता किन कारणों से उपस्थित हुई ?

(4) इस शिविर के दौरान कितने डॉक्टर, कम्पाउन्डर, नर्सें व अन्य किस किस ने कार्य किया ? कुल तैनात कर्मचारियों में से कितने शिविर के साथ के थे और कितने स्थानीय श्री राघवेन्द्र चिकित्सालय के थे ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(5) शिविर में कुल कितना व्यय हुआ व उसमें दवाइयों पर, मरीजों की खुराक पर, शिविर के साथ में कर्मचारियों के टी. ए. व डी. ए. पर व बिजली व पैट्रोल पर कितना कितना ?

(6) शिविर पर कुल व्यय क्या हुआ और उसमें से जन सहयोग से कितने रुपये एकत्रित किये गये ?

उत्तर

(1) दिनांक 4 फरवरी, 1969 से 21 फरवरी 1969 तक ।

(2) शिविर में 3,541 रोगी आये और 611 रोगी शल्य क्रिया हेतु भर्ती किये गये । पूरे विवरण की सूची संलग्न है ।

(3) चिकित्सा शिविर, जिला परिषद् बूंदी की मांग पर एवं शासकीय निर्देशानुसार किया गया ।

(4) शिविर में निम्नानुसार कर्मचारियों द्वारा कार्य किया गया :—

कर्मचारी	इकाई	श्री० राघवेन्द्र चि०	अन्य	योग
चिकित्सक	16	–	3	19
परिचारक	18	3	–	21
परिचारिकायें	19	3	–	22
तकनीकी कर्मचारीगण	7	–	12	19
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण	39	3	3	45
वाहन चालक	9	–	2	11

(चिकित्सा मन्त्री)

(5) शिविर में औषधी आदि पर करीब 8,000) रु० व्यय हुआ मरीजों की खुराक शिविर योजना संस्था, जिला परिषद्, बूंदी द्वारा व्यवस्थित की गई थी। अभी तक कर्मचारियों ने यात्रा भत्ता आदि के बिल प्रस्तुत नहीं किये हैं। इकाई के पास स्वयं का जनरेटर होने के कारण बिजली का कोई खर्च नहीं हैं पेट्रोल पर लगभग 3,500) रु० खर्च हुआ है।

(6) अनुमानित व्यय 79,000) रु० है। जन सहयोग की राशि का विवरण इस विभाग के पास नहीं रक्खा जाता। इसका प्रबन्ध जिला परिषद्, बूंदी ने किया था।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये

रामगंज मण्डी में असिस्टेन्ट कलेक्टर की कोर्ट

435. **श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी):** क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा, झालावाड़ एवं बून्दी के एस. डी. ओ. "हैड क्वार्टर्स" पर सिविल एवं क्रिमिनल केसेज को निपटाने हेतु कितने कितने अफसर लगाये हुए हैं ? अलग अलग बताने का कष्ट करें।

(2) इन क्षेत्रों के अलग अलग स्थानों पर कितने कितने मुकदमें अदालतों में निर्णय हेतु विचाराधीन हैं ? पुराने से पुराने मुकदमें कितने सालों से सुनवाई नहीं किये गये हैं ?

(3) रामगंज मन्डी में मुकदमों की बड़ी तादाद के बावजूद एस. डी. एम. के अतिरिक्त असिस्टैन्ट कलेक्टर की नियुक्ति नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(4) रामगंज मन्डी में असिस्टैन्ट कलेक्टर कोर्ट कब तक खोल दी जावेगी ?

(स्थगित किया गया)

जयपुर में शिक्षण संस्थाओं को भवन निर्माण के लिए भूमि

436. **श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां):** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर यू. आई. टी. में कितनी शिक्षण संस्थाओं ने भवन निर्माणार्थ भूमि के लिए प्रार्थना-पत्र दिये हैं और उसमें से यू. आई. टी. ने कितनी शिक्षण संस्थाओं को भूमि दे दी है, कितनी संस्थाओं को भूमि दिये जाने की सिफारिश कर दी है तथा कितनी शिक्षण संस्थाओं को भूमि दिये जाने का निर्णय लिया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(2) क्या यह सही है कि यू. आई. टी. ने अभी तक जिन शिक्षण संस्थाओं के भवन निर्माणार्थ प्रार्थना-पत्र आए थे, उन सभी शिक्षण संस्थाओं को भूमि दिये जाने का निर्णय नहीं लिया है ? यदि, हां, तो अब सभी शिक्षण संस्थाओं को कब तक निर्णय लेकर भूमि दे दी जावेगी ?

उत्तर

(1) 25 शिक्षण संस्थाओं ने भूमि हेतु अर्जी दी है। जिसमें से 16 को भूमि दी जा चुकी है तथा 9 को भूमि दिये जाने का मामला विचारार्थ है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

Page No 43

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

(2) 16 पर निर्णय लेकर भूमि दी जा चुकी है तथा 9 के मामले विचाराधीन हैं।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिए)

बारां नगर में आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए कार्यवाही

437. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बारां नगर में आने वाली भयंकर बाढ़ को रोकने के लिए नगरपालिका व नागरिकों की ओर से कोई सुझाव सरकार के पास भेजे गये हैं ?

(2) यदि हां, तो उन सुझावों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या सरकार ने उन सुझावों के अन्तर्गत बारां का मास्टर प्लान बनवाने की कार्यवाही की है ?

(4) क्या सरकार ने नगर में आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए गन्दे नाले को पक्का व व्यवस्थित करवाने के लिए आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया है ?

(स्थगित किया गया)

गौतम नगर अजमेर में बिजली पानी आदि की सुविधायें

438. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या अजमेर नगर के वार्ड नं० 26 के गौतम नगर में नगर परिषद् द्वारा सफाई, सड़क और बिजली पानी आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो कब तक समस्त सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी ?

उत्तर

जी हां,। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

नगरपालिका लाडनूं के भूतपूर्व अध्यक्षों से बकाया की वसूली

439. श्री हरजीराम बुरडक : (लाडनूं):—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका लाडनूं, जिला नागौर के भूतपूर्व अध्यक्षों से आडिट आक्षेपों के आधार पर कोई रकम वसूली करनी है ? यदि हां, तो किन किन के खिलाफ कितने कितने रुपयों की वसूली कब कब से बकाया है ?, सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त राशि किन किन वर्षों के आडिट आक्षेपों के आधार पर किन किन विषय की वसूल की जानी है ?

(3) इतने लम्बे समय तक रकम वसूल नहीं होने के क्या कारण हैं और अब तक वसूली के लिए क्या क्या उपाय किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) अब यह राशि कब तक वसूल होकर जमा हो जावेगी और वसूल करने की जिम्मेदारी किसकी है ?

उत्तर

(1) जी हां, ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 66-67 के अनुसार श्री जेठमल शर्मा से 1467.01 पै.

(स्वायत्त शासन मंत्री)
तथा श्री कन्हैयालाल सेठी से 547.97 पै०। सूची सदन की मेज पर रख दी हैं।

(2) आडिट रिपोर्ट वर्ष 66-67 के आक्षेपों सं० 26,31 के आधार पर 1 सर्व श्री कन्हैयालाल सेठी व जेठमल शर्मा, भूतपूर्व चैयरमैन, नगरपालिका से वसूल करनी है।

(3) सर्व श्री कन्हैयालाल व जेठमल शर्मा ने नोटिस देने के उपरान्त भी रकम जमा नहीं कराई। जिलाधीश, नागौर ने रक़म जमा कराने के लिये लिखा है। चूंकि सभी सूचनाएं दे दी गई हैं कोई सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(4) वसूली की कार्यवाही जिलाधीश, नागौर द्वारा की जा रही है। ऐसी वसूली के लिये नगर परिषदों को छोड़ कर शेष नगरपालिकाओं के लिये सम्बन्धित जिलाधीश जिम्मेदार हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई है)

नगर परिषद् बीकानेर

440. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर शहर में सड़कों की मरम्मत पर व सड़कें बनाने में नगर परिषद् की ओर से सन् 68-69 में कितनी धन-राशि लगी तथा कौन कौन सी सड़कें बनाई गईं तथा किस किस की मरम्मत की गई ?

(2) क्या यह सही है कि शहर में अनेकों सड़कें, टूटी फूटी पड़ी हैं और उनकी मरम्मत वर्षों से नहीं हुई ?

(3) शहर में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए नगर परिषद् ने क्या किया ? बाहर से आने वाली ऊन से आमदनी बढ़ी है या कम हुई है ?

(4) क्या नगर परिषद् ने शहर में बनने वाली ऊन की गांठों तथा बाहर से आने वाली ऊन का मिलान करके यह पता लगाया है कि ऊन के ऑक्ट्राय में कितनी चोरी होती है और उसका कारण क्या है ?

(5) बीकानेर शहर में नगर परिषद् द्वारा गत 7 वर्षों में कितना सामान कहां कहां से बिजली का मंगाया गया और उसमें से कितना कितना कहां कहां लगा ? क्या इसकी जांच कभी की गई ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है सदन की मेज पर रखें।

(6) बीकानेर नगर परिषद् में गत 3 वर्षों में पैट्रोल और डीजल कितना लगा ? प्रति वर्ष का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या जीपों की लॉग बुक रखी जाती हैं ? यदि हां, तो इस वर्ष 68-69 में कितना पैट्रोल और डीजल लगा ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) चुंगी करों की दरें बढ़ाई गई हैं एवं करों की चोरी को रोके जाने में उचित कदम उठाए गये हैं। आमदनी बढ़ी है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(4) शहर में बनने वाली ऊन की गांठों के पैकिंग के सम्बन्ध में नियम स्पष्ट नहीं होने से उन्हें चैक करके मिलान नहीं किया गया है ऑक्ट्राय की चोरी रोकने का पूरा प्रयास किया गया है।

(5) सूची संलग्न है।

(6) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(7) जी हाँ, जीपों में डीजल का प्रयोग नहीं होता है। 3,799 लीटर पैट्रोल खर्च हुआ है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

नगरपालिका उनियारा द्वारा दशहरे के मेले पर व्यय

441. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है नगरपालिका उनियारा, जिला टौंक द्वारा प्रति वर्ष दशहरे के मेले का आयोजन किया जाता है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह सही है कि इस आयोजन के लिये 100 रु. प्रति वर्ष नगरपालिका द्वारा खर्च किये जाते हैं? यदि हां, तो किस मद से?

(3) क्या यह सत्य है कि यह रकम नगरपालिका द्वारा किन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिसका हिसाब खर्च का वापस नहीं लिया जाता? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? आज दिन तक प्रति वर्ष कितनी रकम दी गई?

(4) क्या यह सत्य है कि स्थानीय जनता द्वारा इसका विरोध किया गया था और नगरपालिका को एक ज्ञापन दिया था? यदि हां, तो फिर जनता के धन का क्यों दुरुपयोग किया जाता है?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रथम बार वर्ष 1968-69 में ही आयोजन किया गया है।

(2) जी नहीं। वर्ष 1968-69 में नगरपालिका बजट के मद नं० 10 में से 200) रुपया व्यय दिया गया है।

(3) जी नहीं। रुपया रावण निर्माण एवं जुलूस कमेटी के प्रतिनिधि को 75/– तथा रामलीला संचालन कमेटी के प्रतिनिधि को 125/– दिये गये थे राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नगरपालिका प्राप्त कर रही है। वर्ष 1968-69 में ही यह राशि प्रथम बार दी गई है।

(4) जनता द्वारा विरोध किया जाना नहीं बतलाया गया है। कुछ व्यक्तियों द्वारा विरोध किया गया था। परन्तु नगरपालिका ने अपने प्रस्ताव दिनाँक 28-9-68 को सर्वसम्मति से निर्णय लेकर दशहरा उत्सव के लिए 200) रुपया व्यय करने की स्वीकृति दी है।

नोटिफाइड एरिया कमेटी सवाई माधोपुर

442. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No 46

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

(1) नोटिफाइड एरिया कमेटी, सवाई माधोपुर क्षेत्र में किन किन ग्राम पंचायतों के क्षेत्र के अंश अथवा कुल क्षेत्र शामिल हुए हैं ?

(2) क्या यह सही है कि स्टेशन सवाई माधोपुर का बजरिया क्षेत्र पहले ग्राम पंचायत आलनपुर में शामिल था और अब वह नोटिफाइड एरिया कमेटी में शामिल है ?

(3) क्या इस बजरिया क्षेत्र में ग्राम पंचायत, आलनपुर ने दुकान व मकानों के कई प्लॉट्स अनधिकृत एवम् अनियमित रूप से बेच दिए थे जिनकी बेचौती तत्कालीन जिलाधीश महोदय द्वारा कैंसिल की गई ?

(4) यदि हां, तो यह बेचौती कितने प्लाटों की व कौन कौन से नम्बरों की बजरिया में किस जगह की थी जो कैंसिल की गई ?

(5) इस कैंसिलेशन के पश्चात् नोटिफाइड एरिया कमेटी ने इन्हें पुनः बेचौती की अब तक कोई कार्यवाही की अथवा नहीं ? यदि हां, तो अब तक कितने प्लाट्स किस किस नम्बर के किस रेट से कमेटी द्वारा कब कब बेचे गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(6) क्या बजरिया स्टेशन का प्रमुख मार्केट है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस मार्केट के अधिकतर प्लाटों पर अतिक्रमिकों का कब्जा है ? यदि हां, तो कितने प्लाटों पर, और कब से, अतिक्रमकों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(7) नोटिफाइड ऐरिया कमेटी इन प्लाटों की बिक्री में क्यों विलम्ब कर रही है ?

उत्तर

(1) नोटिफाइड एरिया कमेटी, सवाई माधोपुर क्षेत्र में निम्न ग्राम पंचायतों के क्षेत्र के अंश शामिल हुए हैं:—

1. ग्राम पंचायत आलनपुर
2. „ „ खटवाड़ा खुर्द
3. „ „ शेरपुर
4. „ „ जीनापुरा

पूर्ण क्षेत्र किसी भी ग्राम पंचायत का सम्मिलित नहीं हुआ है ।

(2) जी हां ।

(3) नोटिफाइड एरिया कमेटी में इस प्रकार का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है । अभी तक इस क्षेत्र के पूर्ण पत्रादि व रिकॉर्ड पंचायत समिति व ग्राम पंचायत द्वारा नहीं दिया गया है ।

(4) प्रश्न के भाग 3 के उत्तर के अनुसार सूचनाएं दिया जाना सम्भव नहीं है ।

(5) प्रश्न के भाग 3 व 4 के अनुसार सूचनाएं दिया जाना सम्भव नहीं है । बजरिया में जून, 1967 के बाद कोई प्लॉट नहीं बेचा गया है । नोटिफाइड एरिया कमेटी ने ऐसे क्षेत्रफल के लिये जो भूतपूर्व जयपुर राज्य के समय में ही अवाप्त किया जाकर खाली है, योजना तैयार कर तथा उस योजना के अन्तर्गत प्लॉट बेचे हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

(6) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(7) स्कीम नगर नियोजन विभाग को अनुमोदनार्थ भिजवादी गई है। स्कीम के अनुमोदन के बाद कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

ग्राम बटावदा में डिस्पैन्सरी

443. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बटावदा तहसील बारां की जनता ने कम्पाउण्डर डिस्पैन्सरी के लिये भवन करीब करीब पूरा करा दिया है ?

(2) क्या सरकार ने वहां पर 'ए' श्रेणी का कम्पाउन्डर भेजने के लिये निर्णय कर लिया है ? यदि हां, तो कब तक भेजा जायेगा ?

(3) बटावदा ग्राम. बारां से कितनी दूरी पर है तथा बटावदा ग्राम एवं आस पास के ग्रामों की संख्या कितनी है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(3) बटावदा ग्राम बारां से 8 मील दूर है। तथा अन्ता डिस्पैन्सरी 7 मील दूर है। ग्राम बटावदा की जनसंख्या सन् 1961 की जनगणना के अनुसार 1,800 है, तथा इसके आस पास के 33 ग्रामों की जनसंख्या 15,131 है।

ऊन की खरीद

444. **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर वूलन मिल में कुल कितनी ऊन खरीदी गई और उसमें कितना घाटा रहा ?

(2) ऊन किन व्यापारियों से खरीदी व माल खराब होने पर क्या कार्यवाही हुई ?

(3) मिल में कितने कर्मचारी काम करते हैं और उन्हें क्या वेतन मिलता है तथा कितने पक्के और कितने कच्चे कर्मचारी हैं ?

(4) मिल में अब तक क्या लागत लगी तथा सब मिला कर कितना लाभ या नुकसान है ?

(5) इस समय मील में कुल कितने रुपये का माल पड़ा हुआ है ?

उत्तर

(1) बीकानेर वूलन मिल में आज तक 3,33,380.000 किलो ऊन खरीदी गई है तथा घाटे का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि ऊन पूरी तकनीकी जांच पड़ताल पर ही खरीदी जाती है।

(उद्योग मंत्री)

(2) ऊन के व्यापारियों से खराब माल खरीदा ही नहीं जाता। अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(3) मिल में स्किल्ड एवं अनस्किल्ड दोनों मिला कर 236 मजदूर कार्य करते हैं। स्किल्ड मजदूरों को 4) रु. तथा अनस्किल्ड को मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार 2.50 रु. प्रति दिन वेतन दिया जाता है। ज्यों ज्यों अनुभव बढ़ता है उसके आधार पर दैनिक मजदूरी में 2.50 व 4.00 के बीच में वृद्धि की जाती है।

(4) सभी मजदूर अभी अस्थाई एवं दैनिक मजदूरी पर कार्य कर रहे हैं।

मिल में कुल लागत अब तक 66.62 लाख रु. हुआ है :—

जापान से आयात की गई मशीनें 36.00

देश में खरीदी गई मशीनें एवं अन्य खर्चे 15 67

इमारत (Factory Building) 14.95

अभी लाभ एवं नुकसान का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि मिल को कार्य करते हुए पूर्ण वर्ष व्यतीत नहीं हुआ है एवं हानि लाभ का लेखा जोखा वर्षान्त पर ही हो सकेगा।

(5) इस समय मिल में करीब 14.00 लाख रुपयों का तैयार माल पड़ा है जिसमें ऐसे माल भी हैं जिसके बिक्री के सौदे हो चुके हैं। ऊनी धागा बेचने का समय अप्रेल से जुलाई-अगस्त तक होता है। गत वर्ष मिल देर से चालू होने के कारण आरम्भ में तैयार माल बेचा नहीं जा सकता था।

ग्राम मुन्डवा जल वितरण योजना

445. **श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) :** क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मुन्डवा ग्राम के लिये जल वितरण योजना स्वीकृत हो चुकी है ?

(2) क्या यह सही है कि गांव वालों ने अपने हिस्से के पन्द्रह हजार रुपये राजकीय कोष में करीब ढाई साल पूर्व जमा करा दिये थे ?

(3) क्या यह सही है कि अभी पाइप लाईन नहीं बिछाई गई है एवं जल वितरण शुरू नहीं हुआ है ?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम मुन्डवा में भयंकर जल कष्ट गर्मियों में आने वाला है ?

(5) राज्य सरकार कब तक इस योजना को पूर्ण करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, योजना बनाई जा रही है।

(2) जी हां।

(3) योजना बनाई जा रही है अतः पाईप लाइन बिछाने का एवं जल वितरण शुरू करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) पानी की कमी हो जाती है।

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

(5) योजना जल स्रोत के अभाव के कारण फाईनल नहीं की जा सकी इस योजना के लिये जल स्रोत की खोज जारी है. तत्पश्चात् योजना पूर्ण की जाकर स्वीकृति हेतु सरकार को प्रस्तुत की जावेगी तत्पश्चात् स्वीकृति पर निर्माण कार्य हाथ में लिया जा सकेगा।

टीन इनगोट्स धातु का क्रय-विक्रय

446. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लघु उद्योग निगम ने सन् 1965-66 में टीन इनगोट्स धातु का क्रय-विक्रय किया ? यदि हां, तो कुल कितने रुपयों की खरीद किस भाव से की गई थीं और विक्रय किस भाव से किया ? विक्रय से कुल कितनी आय हुई ? और नफा या नुकसान क्या रहा ?

(2) उक्त धातु की विक्रय की रेट किस के द्वारा किस आधार पर तय की गई थी जिससे लागत कीमत खर्चा व निगम का मुनाफा क्या-क्या जोड़ा गया था ?

(3) क्या उपरोक्त विक्रय रेट तय करने में गलती करने के कारण निगम को कोई नुकसान हुआ ? यदि हां, तो कितना और उसकी पूर्ति किससे की गई ?

उत्तर

(1) हां, यह सही है।

राजस्थान लघु उद्योग निगम ने सन् 1965-66 में टीन इनगोट्स का क्रय-विक्रय किया था। इस वर्ष में रु० 3,60,634)73 के टिन इनगोट्स रु. 2,083) प्रति क्विन्टल के हिसाब से खरीदे थे तथा उस पर रु. 2,385) 74 किराया-भाड़ा, चुंगी आदि में व्यय हुए थे। और 2,79,000) 81 रु. की बिक्री 2,355) 85 रु. प्रति क्विन्टल के हिसाब से की थी। इस पर इस वर्ष में 23,700) 58 रु. का लाभ हुआ था।

(2) निगम में, माल की दरें विक्रय मूल्य निकालते समय लागत मूल्य, विक्रय-कर, रेलवे किराया-भाड़ा, चुंगी, बैंक-कमीशन, क्लीयरिंग ऐजेन्ट के खर्चे आदि वास्तविक व्ययों तथा 10 प्रतिशत निगम का लाभ जोड़े जाते हैं। इस प्रकार दरें सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा निकाली जाती हैं, जो अधिकारी द्वारा जांच करके प्रमाणित की जाती हैं। उक्त सम्बन्ध में भी ऐसा ही हुआ है।

(3) प्रश्न 1 के संदर्भ में कृपया अवलोकन करें। अस्तु, ऐसा कुछ नहीं हुआ।

मकराना की खानों को बन्द करने के आदेश

447. श्री विजयसिंह (मकराना): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार मकराना स्थित थुथपरी माता के मन्दिर के चारों ओर की खानें बन्द करने का आदेश जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या सरकार कोई ऐसा कदम उठाने का विचार रखती है जिससे इस मंदिर

(श्री विजयसिंह)

को गिरने का कोई खतरा न हो और वहां तक यात्री आसानी से पहुंच सकें ? यदि हां, तो क्या कदम उठाया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) चूंकि मन्दिर को कोई खतरा नहीं है, अत: इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

मकराना को खानों के पट्टे

448. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ऐसे कितनी मकराना की खानें हैं जिनके पट्टे दो दो पार्टियों को दिये गये जिसके कारण किन किन पार्टियों को अदालतों व पुलिस के पास जाना पाड़ा।

(2) ऐसा किन कारणों से किया गया ?

उत्तर

(1) दो पट्टे दिये नहीं जाते। विभाग के ऐसे कोई केस पुलिस और अदालत में गये हों ऐसी जानकारी नहीं है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता है।

पंचायत में सर्विस दिलाने सम्बन्धी जांच

449. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मांडलगढ़ के श्री उदयलाल मेहतर का सन् 64 में ही जिला परिषद् ने लोवर डिवीजन क्लर्क के लिये चुनाव कर लिया था ?

(2) यदि हां, तो क्या उन्हें किसी पंचायत समिति में सर्विस मिली ?

(3) यदि नहीं मिली, तो क्या कारण हैं? उन्हें किस किस पंचायत समिति में भेजा गया और किस आधार पर पंचायत समिति ने लेने से मना किया ?

(4) सरकार ने उन्हें सर्विस दिलाने के लिये कौन से कदम उठाये हैं ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(13-3-69)

मकराना में फर्जी पट्टे बनाकर सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

191. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मकराना में बहुत से लोगों ने फर्जी पट्टे बना कर सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनको जल्द से जल्द बेदखल करने की कार्यवाही करेगी ?

(2) यदि सरकार को इसकी जानकारी नहीं है तो क्या सरकार खुफिया पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्धी जानकारी करवायेगी ?

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

उत्तर

(1) नगरपालिका, मकराना के कार्यालय में इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है इसलिये बेदखल करने की कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(2) तथ्य बताने पर कार्यवाही की जानी संभव हो सकती है।

स्थगित प्रश्न

(15-3-69)

चोरो व डकैतो के मामले

98. श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1968-69 में राजस्थान में चोरी की व डकैती की वारदातें बहुत अधिक हुई हैं ? यदि हां, तो कुल कितनी चोरी व कितनी डाकेजनी हुई हैं व कितना माल गया ? जिलेवार तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

(1) सन् 1968 के आंकड़ों के आधार पर पाया जाता है कि सन् 1968 में कुल 132 डकैतियां हुईं, नकबजनी 7,680, पशु चोरी 2,144 अन्य चोरियां 7,855 हुई हैं। माल डकैती में रु० 3,28,638.30 का, सरकाबिल चक्र में रु० 6,79,746.69 का, नकबजनी में रु० 57,00,140.80 का, चोरी मवेशी रु० 17,38,243.65 व अन्य चोरियों में रु० 39,23,183.35 का चोरी गया है। (यह उल्लेखनीय है कि कुल पंजीबद्ध अपराधों में झूंठे दर्ज कराये गये अभियोग 17.6 प्रतिशत हैं। वांछित तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

स्थगित प्रश्न

(15-3-69)

बलदेवराम मिर्धा पार्क की भूमि

108. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है की कस्बा डीड़वाना, जिला नागौर की सरहद में कोई जमीन बलदेवरामजी मिर्धा पार्क के नाम से है ? यदि हां, तो किस खसरा नम्बर की कितने बीघा जमीन किस किस्म की कब से है और उसका राजस्व लगान यदि कोई लगता हो तो कौन चुकाता है तथा किस उपयोग में यह जमीन लाई जा रही है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त जमीन बलदेवराम मिर्धा पार्क के नाम से किस अधिकारी द्वारा एलॉट किसकी मांग पर की गई थी और इससे पूर्व यह जमीन किसकी थी तथा क्या काम आती थी ?

उत्तर

(1) जी हां। पुराने खसरा नम्बर 756 के अनुसार रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा थी। नये खसरा नम्बरान के अनुसार खसरा नम्बर 2735 में 8 बिस्वा व 2736 में 8 बीघा 15 बिस्वा कुल 9 बीघा 3 बिस्वा कायम की गई है। रेवेन्यू रेकॉर्ड में

(स्वायत्त शासन मंत्री)
गैर मुमकिन मैदान श्री बलदेवराम मिर्धा स्मृति समिति के नाम दर्ज है। लगान चुकाने का प्रश्न नहीं उठता है। इस समय भूमि खाली है व बच्चे खेलते हैं।

उपरोक्त के अनुसार सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(2) स्वायत्त शासन विभाग द्वारा सेक्रेटरी, श्री बलदेवराम मिर्धा मेमोरियल-ट्रस्ट, डीडवाना की मांग पर एलॉट की गई थी। भूमि खाली थी व राज्य सरकार की थी।

स्थगित प्रश्न

(19-3-69)

बीकानेर शहर में मेन सड़क की मरम्मत

251. राजवी श्री रूपसिंह (सरदार-शहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करें:—

(1) बीकानेर शहर में जो बाईलेन फोर्ड डिस्पेन्सरी के पास से सूरसागर तालाब के ऊपर से होती हुई धोबी धोरा बास, हनुमानहत्ता बास में होती हुई कोठी नं. 3 से आगे मेन सड़क जो स्टेडियम व लालगढ़ पैलेस की ग्राउन्ड से मिलती है उसका निर्माण कब हुआ था व उसकी मरम्मत किस-किस साल में हुई थी ?

(2) क्या यह सही है कि इस वक्त वहां सड़क नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और जमीन ऊबड़-खाबड है व खड्डे पड़े हुये हैं जिन पर मोटरों का तो क्या आदमियों का भी चलना दुश्वार है ?

(3) क्या इस बाईलेन की मरम्मत इसलिए नहीं की जा रही कि बीकानेर के विधायक इसकी मरम्मत होने के खिलाफ हैं ?

(4) अब इस सड़क की मरम्मत कब तक कर दी जायगी ?

उत्तर

(1) इस नाम की सड़क इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है अतः इस विभाग को इस सड़क के निर्माण के बारे में जानकारी नहीं है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

स्थगित प्रश्न

(19-3-69)

नगर सुधार न्यास

253. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में इस समय नगर सुधार न्यास कहां कहां पर हैं ? उनके कौन कौन अध्यक्ष और सदस्य हैं, अध्यक्षों की शैक्षणिक योग्यता क्या है ? उनको प्रति माह कितना भत्ता मिलता है ? और इन सदस्यों में गैर कांग्रेसी सदस्य कौन-कौन हैं ? इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No 53

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(2) 31 मार्च, 68 को आर्थिक दृष्टि से कौनसा न्यास घाटे में था और कौनसा लाभ में ? इसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें, जिसमें 1 अप्रेल, 68 की जमा पूंजी का विवरण भी हो ?

(3) क्या राज्य सरकार को यह जनकारी है कि इन नगर सुधार न्यासों ने भूमि खण्ड बेच-बेच कर अपनी आमदनी तो बढ़ा ली है परन्तु उसके मुकाबले नगर सुधार की योजनाओं पर खर्चा नहीं किया गया है?

(4) क्या सरकार की जानकारी में है कि नगरों और कस्बों के कुछ भाग को छोड़ कर शेष के सुधार और विकास पर इन न्यासों द्वारा कोई खर्चा नहीं किया जाता और परिणामस्वरूप शहर का बाहरी भाग विकसित हो जाता है और भीतरी भाग अविकसित रह जाता है ? यदि हां, तो इस दृष्टि से राज्य सरकार ने क्या विचार किया है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अलवर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, गंगापुर सिटी, हिन्डोन शहरों में नगर सुधार न्यास की स्थापना की गई है। अध्यक्षों व सदस्यों की मय उनकी शैक्षणिक योग्यता, मिलने वाले भत्ते आदि की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) आमदनी में से 80 प्रतिशत नगर सुधार की योजनाओं पर खर्च किया जाता है तथा 20 प्रतिशत एस्टेब्लिशमैन्ट पर।

(4) नगर सुधार न्यास की सीमा शहर की चारदिवारी से बाहर निर्धारित की हुई है। अतः नगर सुधार न्यास द्वारा शहर के भीतरी भाग में विकास एवं सुधार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

स्थगित प्रश्न

(19-3-69)

नगर विकास न्यास, सवाई माधोपुर द्वारा प्लॉटों की नीलामी

255. श्री गंगासहाय (कठूमर सु०) : क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास, सवाई माधोपुर ने कुछ प्लॉट नीलाम किए हैं ? कुल कितने प्लॉट नीलाम किए गए हैं ? प्रत्येक की कीमत नीलाम कितनी कितनी मिली है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ प्लॉट बिना नीलाम किये केवल नाम मात्र की कीमत लेकर कुछ लोगों को दे दिये गए हैं ? यदि हां, तो इन प्लॉटों की संख्या कितनी है तथा प्रत्येक की कीमत कितनी-ली गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त नगर विकास न्यास के कार्यालय के लिए एक मकान 130) रु० प्रति माह किराये पर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या इस मकान के किराये का एसैसमैन्ट पी.डब्लू. डी. से करवाया गया है ?

(नगर विकास न्यास मन्त्री)

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(3) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

स्थगित प्रश्न

(19-3-69)

नागौर की क्षतिग्रस्त सड़कों को मरम्मत

272. **श्री रामसिंह कुडी (जायल) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

नागौर सब-डिविजन की कौन कौन सी सड़कें इस वर्ष बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुई हैं ? उन सड़कों की मरम्मत कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है। क्या एस्टीमेट बन गये हैं। क्या खर्च होगा एवं कब तक यह मरम्मत पूरी करवा दी जावेगी।

उत्तर

सूची (अ) प्रस्तुत है 10,00,000) रु० की धन राशि अधिशासी अभियन्ता भवन व पथ को आवंटित करदी गई है कार्य प्रगति पर है। ऐस्टीमेट बन चुके हैं। खर्च का अनुमान 50,00,000 रु० का है। अत: अर्थाभाव के कारण अवधि निश्चित करना सम्भव नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(19-3-69)

बाड़मेर-बाटाडू सड़क

274. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर नगर से बाटाडू ग्राम होते हुए जो कानोड़ ग्रेवल सड़क जाती है उसमें कितने मील में ग्रेवल नहीं है ?

(2) उक्त सम्पूर्ण रोड़ पर कब तक ग्रेवल करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) 26 किलो मीटर में ग्रेवल होना शेष है।

(2) यदि धन राशि उपलब्ध हुई तो आगामी वित्तीय वर्ष में ग्रेवल डलादी जायगी।

श्री अध्यक्ष (श्री अध्यक्ष के खड़े होते ही एक माननीय सदस्य के बाहर जाने लगने पर) : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य जी।

मांगों पर विचार विनिमय आरम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि यह मांगें मय माननीय

(श्री अध्यक्ष)
मंत्री जी के उत्तर के साढे दस बजे समाप्त होंगी। इसलिए माननीय सदस्य अपने भाषणों पर समय की सीमा रखें। मैंने पहले भी व्यवस्था दी थी इस संबंध में कि माननीय सदस्य जो विवाद में भाग लेंवे यह न समझें कि सारा का सारा समय उनको ही लेना है। यदि विरोधी दल नहीं है, फिर भी उनके समय का उपयोग करना उपयुक्त नहीं है मेरी ऐसी व्यवस्था है। इसलिए समय को दृष्टिकोण में रखते हुए अपने विचारों को सीमा बद्ध करें, ऐसा मेरा निवेदन है।

अनुदानों की मांगों पर विचार

मांग संख्या 18

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : अध्यक्ष महोदय, रिप्लाई कब शुरू हो जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : साढ़े दस बजे तक रिप्लाई समाप्त हो जाना चाहिए। इस समय में सब कुछ हो जाना चाहिए।

मांग संख्या 18

श्री शोभाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के संबंध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,81,33,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या 20

मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 20 मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,72,52,000) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या 19

श्री अध्यक्ष : पशु पालन मन्त्री।

श्री मनफूलसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33—पशु-पालन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,92,58,000) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या 24

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या 24।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,48,71,000) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। सिंचाई मन्त्री ने यह बताया था कि कडाना के बारे में स्टेटमैन्ट देंगे।

श्री अध्यक्ष : कब बताया था ?

श्री नाथूराम : कल।

Page No 56

श्री अध्यक्ष : कल की बात कल रह गई।

श्री नाथूराम : आज के लिये बताया था। कल कहा था कि आज स्टेटमैन्ट देंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने जरूर कहा था, लेकिन जब यह एजेण्डा में रखा जायेगा तभी तो कह सकता हूं। जैसे ही समय मिला और एजेन्डा में रखा गया तो......

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ! कट मोशन्स !
श्री शिवनाथसिंह।

उपरोक्त मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या 18

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : (1) मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन के लिये आसान ब्याज पर समुचित ऋण की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये)।

(2) मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपए कम कर दिया जाय राजकीय बीज गुणन कृषि फार्मों में सुधार लाने पर चर्चा के लिये।

(3) मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में बीज की रकम बकाया की वसूली पर चर्चा के लिये)।

(4) मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (कृषि बीमा योजना चालू करने पर चर्चा के लिये)।

(5) मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (आदेश नम्बर पी. 1(77) ए. जी. आर./11/68, दिनांक 5-1-69 द्वारा नियम विरुद्ध रुपए 360-900 की ग्रेड में प्रमोशन्स किये गये, इस पर चर्चा के लिये)।

(6) मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (राजस्थान एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बोर्ड, जयपुर में आॅफिस असिस्टेन्ट के पद पर नियम विरुद्ध प्रमोशन करने की कार्यवाही पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

(7) मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों के सचिवों की नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(8) मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों की स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभनगर) :

(9) मांग संख्या 20 मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि विकास

Page No 57

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋण प्रणाली में सरलीकरण पर चर्चा के लिए)।

(10) मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (औद्योगिक सहकारी समितियों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये)।

(11) मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योग के विकास के लिये ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अर्बन को-ऑपरेटिव्ज की स्थापना पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

श्री रामनारायण (मंडावा) :

(12) मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनूं जिले में बीज फार्म स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(13) मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि मेलों का आयोजन जिला स्तर पर करने पर चर्चा के लिये)।

(14) मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को दिये गये तकावी ऋण की वसूली में अनियमितताओं के विषय में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

(15) मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी संस्थाओं को दिये गये अनुदान के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

(16) मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनूं जिले के सहकारी आन्दोलन के प्रसार में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

(17) मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनूं जिले की सहकारी समितियों में सरकारी हस्तक्षेप पर चर्चा के लिये)।

(18) मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी आन्दोलन में उत्पन्न गत्यावरोध पर चर्चा के लिये)।

(19) मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधिकार प्रिन्टिग प्रेस सहकारी समिति में हो रहे घोटालों पर चर्चा के लिये)।

(20) मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधिकार प्रिन्टिग प्रेस सहकारी समिति को दिये गये ऋण की वसूली पर चर्चा के लिये)।

(श्री रामनारायण)

मांग संख्या 19

(21) मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिसाऊ (झुंझुनूं) में पशु चिकित्सालय के अभाव पर चर्चा के लिये)।

(22) मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालन धन्धे की ओर सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

(23) मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भेड़ व ऊन विभाग के राज पत्रित अधिकारियों के लिये राणावत वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को लागू नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

(24) मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भेड़ व ऊन विभाग के राज पत्रित अधिकारियों की सीनियोरिटी लिस्ट नहीं डिक्लेयर किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

श्री नाथूराम (बागीडोरा) :

(25) मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में सहकारी आन्दोलन के अन्तर्गत होने वाले खर्चों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 24

(26) मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जन जाति कल्याण योजनाओं के कार्यकलापों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

श्री शंकरलाल (जैतारण) :

(27) मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि बन्धक बैंकों से ऋण मिलने में कठिनाई व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19

(28) मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालन विभाग की दुर्व्यवस्था व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 24

(29) मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैतारण तहसील के गांव कालू आनन्दपुर के हरिजनों को मकान हेतु सहायता न देने के कारण चर्चा के लिये)।

(30) मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले में बाली के मेघवालों

(श्री शंकरलाल)
को मकान हेतु सहायता न देने के कारण चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर):

(31) मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि तल जल बोर्ड द्वारा जिला जालौर में ट्यूब वैल्स बनाने में असफलताओं के बारे में चर्चा के लिये)।

(32) मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में ट्यूब वैल्स का पानी काम में लाने के बारे में चर्चा के लिये)।

(33) मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सांचोर में नये ट्यूब वैल्स ग्राउन्ड वाटर बोर्ड द्वारा बनाने के बारे में चर्चा के लिये)।

(34) मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में कृषि उत्पादन के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

(35) मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी आन्दोलन के बारे में सरकार की उदासीनता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(36) मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता में प्रशिक्षण के बारे में सरकार की उदासीनता के बारे में चर्चा के लिये)।

(37) मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सांचोर कृषि सहकारी समितियों के असफल होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19

(38) मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में पशुपालन विभाग द्वारा प्रवृत्तियां चलाने में सरकार की उदासीनता के बारे में चर्चा के लिये)।

(39) मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर में कांकरेज पशु नस्ल का केटल ब्रिडिंग फार्म खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

श्री सांवरमल बासोतिया (नवलगढ़):

(40) मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झीझन ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. (पंचायत समिति सिकराय) के पंजीकृत किये जाने की गड़बड़ी पर चर्चा के लिये)।

(41) मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रु.

(श्री सांवरमल ब्रासोतिया)

कम कर दिया जाय (सहकारिता विभाग में गलत प्रोमोशन्स किये जाने पर चर्चा के लिये)।

(42) मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता विभाग के संयुक्त रजिस्ट्रार (प्रशासन) के पद की उपयोगिता पर चर्चा के लिये)।

(43) मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता विभाग में सत्तर निरीक्षकों के पदों की नियुक्ति तथा गलत सीनियोरिटी लिस्ट बनाने पर चर्चा के लिये)।

(44) मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिला सहकार उपभोक्ता भण्डार लि. में गलत व्यक्तियों को संचालक-मंडल में लेने पर चर्चा के लिये)।

(45) मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

(46) मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी विभाग द्वारा झुन्झुनू उपभोक्ता भण्डार लि. के कार्य का ठीक ढंग से संचालन न करने पर चर्चा के लिये)।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, कृषि और सहकारिता के सम्बन्ध में जो मांगें आई हैं उनके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो निवेदन किया....

श्री अध्यक्ष : सुविधानुसार एडजस्ट किया जायेगा।

श्री शिवनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रान्त और देश में यह वातावरण बन रहा है कि काश्तकार की प्रोस्पैरिटी बढ़ी है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, आज किसान के सामने कई दिक्कतें हैं और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी राज्य सरकार इस बात को न मान कर बैठ जाये कि कृषि में बहुत कुछ कर दिया है और अब कुछ गुंजाइश नहीं है। आज भी कृषि में बहुत सुधार की आवश्यकता है, और जब तक हम क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं लायेंगे तब तक हमारी अर्थ व्यवस्था का सुचारू रूप से चलना नहीं हो सकेगा।

मैंने देखा है कि पिछले वर्षों में हमारी कृषि की पैदावार अच्छी हुई और हमारी अर्थ व्यवस्था भी अच्छी रही, लेकिन एक साल के अकाल ने सारा कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। इसलिये कृषि के बारे में हमें यह न सोचना चाहिये कि हमेशा अच्छा ही रहेगा। अकाल कभी भी पड़ सकता है, लेकिन हमारा ढांचा ऐसा होना चाहिये कि हमारा मिनीमम प्रोडक्शन एस्योर्ड रहे। आज किसान के लिये जगह जगह दिक्कत आ रही है। हम देखते हैं कि बिजली का जहां सवाल है, और ऋण का जहां सवाल है, उनमें काश्तकार और इन्डस्ट्रियलिस्ट के

Page No 61

(श्री शिवनाथसिंह)

बीच बहुत ही भेदभाव है। हमारे पूरे राज्य में जितनी बिजली पैदा होती है, उसका मेजर पोर्शन काश्त के लिये किसान को देना चाहिये, लेकिन आज स्थिति इससे भिन्न है। जितने इन्डस्ट्रियलिस्ट्स हैं उनको अधिक बिजली दी जा रही है और काश्त के लिये बहुत कम बिजली दी जाती है। इसलिये सरकार को देखना चाहिये कि जब तक काश्तकार को ऋण और बिजली एस्योर्ड नहीं करेंगे तब तक वह पैदावार नहीं बढ़ा सकेगा। किसान के पास केवल मजदूरी है, उसके पास साधन नहीं है। साधन राज्य सरकार के पास हैं, और राज्य सरकार को चाहिये कि वे साधन किसान को उपलब्ध किये जायें। आज किसान के लिये ऋण की भी वही व्यवस्था है। बड़ी इन्डस्ट्री को तो आप दो करोड़ का लोन दे देंगे लेकिन किसान को तीन हजार की तकाबी भी मुश्किल से मिलेगी। इन्डस्ट्रियलिस्ट को आप दो-तीन पैसे प्रति यूनिट से बिजली दे देते हैं और काश्तकार से उसी बिजली के आप आठ-दस पैसा प्रति यूनिट वसूल करते हैं। तो इसमें भी बहुत भेदभाव बरतते हैं। और होता क्या है, कि इन्डस्ट्रियलिस्ट तो दो-तीन साल में करोड़पति बन जाता है और गरीब किसान लखपति बनना तो दूर रहा, हजारपति भी नहीं बन सकता। उसके लिये मुनाफा बहुत कम है। इसलिये हमें बिजली के रेट्स में किसान के लिये कमी करनी चाहिये और उसको सस्ती बिजली देनी चाहिये, और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक काश्तकार बिजली का पूरा उपयोग नहीं कर पायेगा। इसी तरह से ऋण की जो व्यवस्था है कि काश्तकार को भूमि बन्धक बैंक और दूसरे कॉमर्शियल बैंक्स से ऋण की जो व्यवस्था है उसमें किसान को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

भूमि बन्धक बैंक से किस प्रकार का ऋण मिलता है। 10 परसेन्ट पर ऋण देता है। इसके लिये काश्तकार से लीगल एडवाइजर की फीस ली जाती है। फार्म की फीस ली जाती है। ऋण लेने के लिये उसे कई दफा भूमि बंधक बैंक में आना पड़ता है। कई तरह की शरायतें पूरी होने के बाद उसे ऋण मिलता है। इससे उसकी उत्सुकता, उत्साह मंद पड़ जाता है। काश्तकार का कैपिटल शेयर भी वहाँ रखा जाता है। काश्तकार जो रकम तीन हजार रुपया का ऋण लेता है, उस पर आप 9 परसेन्ट का ब्याज लेते हैं और जो रकम शेयर के रूप में आप रखते हैं, उस पर काश्तकार को 4½ परसेन्ट ब्याज देते हैं। यह कितना अन्याय है काश्तकार के साथ। 3,000) रुपये पर आप उससे जितना ब्याज लेते हैं, उसकी रकम पर उसे आधा ब्याज देते हैं। इस तरह की जो दिक्कतें हैं उसको हल करना चाहिये। काश्तकार को आप कुछ नहीं देते हैं। काश्तकार आपसे सिर्फ पानी, बिजली चाहता है वह भी आप उसे ठीक ढंग से मुहैया नहीं कर सकते हैं तो कृषि प्रसार का जो उद्देश्य है वह विफल होगा।

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि बिजली का प्रसार कृषि के लिये अधिक अच्छे रूप में और सही रूप में हमें करना चाहिये।

एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं वह यह है कि जो जमीन एलॉट हुई है, उसमें यह नियम बने हुए हैं कि उस पर

(श्री शिवनाथसिंह)

कृषि के लिये लोन नहीं दे सकते। वह सरकारी जमीन है। सरकार काश्तकार को एलॉट करती है। 10 साल बाद सरकार किसान को उस पर खातेदारी राइट्स देती है। क्या यह वाजिब है ? सरकार वापिस उस काश्तकार से जमीन लेने वाली नहीं है तब उसको दस साल के अन्दर खातेदारी राइट्स क्यों मिलेंगे। उस पर उसे कुआ बनाने के लिये, उसका इम्प्रूवमेन्ट करने के लिये, उसको हम लोन नहीं दे सकते। इसलिये सरकार इन नियमों के ऊपर ध्यान दे और इन नियमों में ढिलाई करे और उनको कुआ, मशीनरी लगाने, सिंचाई के साधन मुहैया करने के लिये ऋण की व्यवस्था की जाय।

अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं। हमारी जो पंचायत समितियां हैं, उनने सन् 1951 से पहले तकाबी, बीज के लिये, दी थी। पंचायत समितियों ने बहुत बड़ी धनराशि बीज मुहैया करने के लिये ऋण के रूप में किसानों को दी थी। वह तकाबी उनसे अभी तक वसूल नहीं हो रही है। क्यों नहीं वसूल हो रही है, पंचायत समितियाँ सहयोग नहीं कर रही हैं, या पंचायत समिति इस तरफ कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है ? इसलिये सरकार इस तरफ सक्रिय कदम उठाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो शब्द कृषि सहकारी समितियों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। जिस तरह की हालत समितियों की हो रही है, वह बड़ी दयनीय है। किसी भी जगह जाइये, किसी भी को-ऑपरेटिव बैंक में जाइये, उनकी किस तरह की व्यवस्था है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। इसी तरह सहकारी आन्दोलन चलता रहा तो जनता का इस आन्दोलन के प्रति बहुत बड़ा विश्वास खतम हो जायगा और रहा सहा जो विश्वास है वह भी खतम हो जायेगा। सहकारी समितियां ठीक ढंग से काम नहीं कर रही हैं। जनता ने जो ऋण लिया वह वसूल नहीं हो रहा है। वे खा गये हैं। उनकी तरफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। दोषी अधिकारियों की तरफ राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। झुंझनूं जिले के बैंक की तरफ मैं मन्त्री महोदय, राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें 12-13 लाख की रकम है। कई सालों से यह बंद पड़ा हुआ है। राज्य सरकार के अधिकारी इसमें दोषी हैं लेकिन फिर भी उनके खिलाफ समुचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। यह बड़ी राशि जनता की है, राज्य सरकार की है, लेकिन क्या बात है कि वह वसूल नहीं की जा रही है। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि यह रकम कई अर्से से पड़ी हुई है। इस समस्या को सुलझावें और इसकी वसूली की जावे या इसको राइट ऑफ करें। इस बैंक के चुनाव करायें। 2-3 साल से चुनाव नहीं हो रहे हैं। इसलिए जनता का अधिकार है, को-ऑपरेटिव्ज का अधिकार है वे डाइरेक्टर्स के रूप में आवें। इसलिये सरकार इस ओर ध्यान दें। या तो जनता से रकम वसूल की जावे या फिर उसको राइट ऑफ कर दें और बैंक को सही ढंग से काम कराने की व्यवस्था करें।

अध्यक्ष महोदय, एक-दो उदाहरण जो कृषि विभाग में अनियमितता है, उसके बारे

(श्री शिवनाथसिंह)

में दूंगा। कृषि विभाग में अभी जो प्रोमोशन हुए हैं, वे प्रोमोशन बिल्कुल रूल्स को वायलेट करके हुए हैं। एग्रीकल्चर इन्जीनियरिंग कार्यालय में भी ऐसे ही प्रोमोशन हुए हैं, उनमें अनियमितता बरती गई है। सीनियर को जूनियर कर दिया गया है और जूनियर आदमी को प्रोमोशन दे दिया गया है। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही संकेत करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस मामले को देखें और जिनका वाजिब हक है, उनका वह हक मारा न जाय और वह हक उनको मिल जाये, ऐसी व्यवस्था करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग कृषि में लगे हैं, उनको प्रोत्साहन मिले और कृषि के लिये लोगों को अच्छे साधन मिले, उन्हें बिजली मिले, इसकी ओर सरकार ध्यान दे।

श्री अध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री सांवरमल बासोतिया।

(अनुपस्थित)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, मैंने मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत भूमि विकास बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋण प्रणाली में सरलीकरण पर चर्चा करने के लिये, औद्योगिक सहकारी समितियों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु तथा ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योगों के विकास के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिये अरबन को-ऑपरेटिव बैंक की स्थापना पर चर्चा करने के लिये, तीन कटौती प्रस्ताव दिये हैं। इन कटौती प्रस्तावों के माध्यम से और अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान में किसानों को जो अल्पकालीन, मध्यकालील और दीर्घकालीन ऋण देने की राज्य सरकार की ओर से व्यवस्था है उसके अन्तर्गत अपेक्स बैंक और सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के जरिये से किसानों को अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध होता रहा है। लेकिन हमारे इस राज्य में जो आज तक औद्योगिक सहकारी समिति के साथ जिस प्रकार राज्य का बर्ताव रहा है, जिससे सहकारी समितियों की स्थिति है, वह नगण्य है। मैं आपका ध्यान हमारे सहकारी विभाग ने जो प्रगति विवरण प्रकाशित किया है, उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यद्यपि सहकारी विभाग ने हमारे राज्य के सहकारी कार्य क्रम के सम्बन्ध में और विशेषत: अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋणों की चर्चा की है और आने वाली पंचवर्षीय योजना में भी इस बात का जिक्र किया है कि हम इन ऋणों में बढ़ोतरी करके 17 करोड़ का भुगतान करेंगे किन्तु औद्योगिक सहकारी समितियों के लिए को-ऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर को इस तरह से मजबूत करेंगे, इसका कोई जिक्र नहीं है। गांव में कई प्रकार की औद्योगिक सहकारी समितियां बनी हैं, जिनमें हमारे खासतौर से छोटे छोटे दस्तकार है, उनकी सोसाइटी बनी है। उनको ऋण की सुविधा देने का चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किसी प्रकार का प्रावधान रखने का संकेत हमें इस किताब में नहीं मिलता।

Page No 64

(गुलाबसिंह शक्तावत)

मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आपके माध्यम से इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सन् 68 में श्री पी. एन. ढाबरी की चेयरमैनशिप में एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी को इन्डस्ट्रियल को-ऑपरेटिव सोसाइटी और इसी तरह के आर्गेनाइजेशन की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिये कहा गया था। इस कमेटी ने जो सिफारिश की है, उनकी तरफ मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है कि हिन्दुस्तान में जो औद्योगिक सहकारी समितियां चल रही हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिये रिजर्व बैंक भी प्रयत्नशील है कि अधिक से अधिक धनराशि इनको मुहैया की जाय। यह सिफारिश में ध्यान रखा गया है कि हर राज्य में राज्य स्तर पर इस प्रकार के को-ऑपरेटिव इन्डस्ट्रियल कमीशन एण्ड आर्गेनाइजेशन कमेटी मुकर्रर की जाय।

वह कमेटी इस बात को देखे कि जो इण्डस्ट्रियल को-ऑपरेटिव सोसाइटी हैं और जो सुसप्तावस्था में हैं उनको रिआर्गेनाइज किया जा सकता है। इस बात का भी सुझाव दिया है कि यह काम राज में को-ऑपरेटिव सोसायटियों के रजिस्ट्रार को सौंपा जावे और उस कमीशन के अन्दर डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज और अपेक्ष बैंक के सेक्रेटरी को भी नॉमीनेट किया जावे। तो इस तरह से उनके लिए ऋण का प्रबन्ध भी किया जा सकता है। महाराष्ट्र में भी इस तरह के कमीशन की स्थापना को-ऑपरेटिव बैंकों के जरिये की गई है, और इसके जरिये को-ऑपरेटिव मूवमैन्ट को भी बड़ा बल मिला था। इसलिये निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का कमीशन यहां पर भी गठित किया जावे।

गांवों में हमारे अलग अलग छोटे छोटे काम करने वाले कारीगर लोग हैं उनको भी ऋण की सुविधा नहीं है। मैं आपका ध्यान अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक जो इस प्रकार के लोगों को ऋण के रूप में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं, की ओर दिलाना चाहता हूं। इस तरह के बैंक महाराष्ट्र में 173 हैं, गुजरात में 104, मैसूर में 102, और मद्रास में 98 हैं। तो ऐसे बैंक हमें भी यहां खोलने चाहिये जिससे गांवों में रहने वाले आर्टिजन और क्राफ्ट्स मैन हैं उन्हें अपने धन्धों के लिए ऋण मिल सके।

अभी जो दीर्घकालीन ऋण जिन बैंकों के मार्फत किसानों को दिया जाता है उसमें समय लगता है। सहकारी विभाग ने अपनी जो प्रगति रिपोर्ट निकाली है उसमें यह बताया गया है। राज्य सरकार भी इसको मानती है कि इसमें देर लगती है। पर इसके हल का कोई निश्चित मार्ग नहीं बताया गया है। इस पुस्तक में किसान को पास-बुक दिलाने की बात कही गई ताकि उसे बार बार लोन की तस्दीक के लिए पटवारी, तहसीलदार और को-ऑपरेटिव विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ें। पर मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि पिछले दो सालों से मैं सुनता आ रहा हूं कि कृषि विभाग इस तरह की पुस्तिका तैयार कर रही है। पर इतने सालों में भी अभी तक वह पुस्तिका नहीं आ पाई। तो मैं निवेदन करूंगा कि काश्तकारों को अधिक से अधिक ऋण सुविधा उपलब्ध हो सके ऐसी व्यवस्था की जल्दी से जल्दी घोषणा करें।

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि भूमि विकास बैंक से उदयपुर में किसानों को ऋण लेने में कठिनाई विशेष होती है क्योंकि वहां छोटे छोटे होल्डिंग्स बहुत ज्यादा हैं और अब उनको दीर्घकालीन ऋण से वंचित कर दिया गया है । इस नियम से हमारा जिला काफी प्रभावित होता है। उदयपुर के ये छोटे छोटे काश्तकार जो अधिकतर शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं जिनका जीवनयापन खेती पर ही निर्भर करता है उनको आपने दीर्घकालीन ऋण की सुविधाओं से वंचित किया है। तो ऐसे छोटे छोटे काश्तकारों को खास तौर से ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का विशेष प्रावधान आपको करना चाहिये।

अन्त में मैं फिर इस बात की प्रार्थना करूंगा कि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, इण्डस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक की स्थापना के बारे में राज्य सरकार एक राज्य स्तर पर कमीशन मुकर्रर करे या कमेटी का गठन करे जिसमें रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव विभाग, डाईरेक्टर इन्डस्ट्रीज विभाग और खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के सेक्रेटरी हों जो इस बात को एग्जामिन करें कि राजस्थान में किस किस प्रकार कि इन्डस्ट्रीज पनप सकती हैं और इसके जरिये जो हमारी इण्डस्ट्रियल सोसायटीज आगे नहीं बढ़ा पा रही हैं, उनके लिये जो धन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाये हैं, वह कैसे दे सकते हैं, इन बातों के बारे में अपना सुझाव दें। इस बात की ओर मैं अपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे विचार से धन की कमी इतनी नहीं है। रिर्जव बैंक की रिकमण्डेशन्स आई हैं उसके अनुसार पहले काटेज इन्डस्ट्रीज के अन्तर्गत वीवर सोसायटियों को लोन देते थे उसमें औरों को भी इन्क्लूड किया गया है। स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक के अन्दर इण्डस्ट्रियल सेल कायम करना चाहिये जो सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक को सुझाव दे कि क्या क्या इण्डस्ट्रीज चल सकती हैं और उनको क्या क्या सहायता दी जा सकती है। हमारे को-ऑपरेटिव सेक्टर में क्रेडिट सेक्टर को मजबूत करने के लिये रिजर्व बैंक की स्कीम है, उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा राज्य सरकार उठावे।

श्री अध्यक्ष : श्री रोशनलाल शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सहकारी आन्दोलन को हमने देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को बदलने के लिये स्वीकार किया था। हमने तब यह सोचा था कि यह एक महत्वपूर्ण आन्दोलन होगा और देश की अर्थ व्यवस्था को बदला जा सकेगा। पर जिस उत्साह और उमंग के साथ सहकारी आन्दोलन को हमने स्वीकार किया था उसमें इन पिछले वर्षों में काफी अवरोध नजर आ रहा है। सारे देश में आज इस आन्दोलन की दशा बड़ी शोचनीय हो गई है और विशेष तौर से राजस्थान में और इससे भी और विशिष्ट तौर से मेरे जिले में इस की बड़ी दयनीय स्थिति उत्पन्न हो गई है।

झुंझुनू में को-ऑपरेटिव मूवमेन्ट को धक्का लगा है। को-ऑपरेटिव बैंक, जिसके बारे में मेरे से पूर्व वक्ता ने जिक्र किया है डिफन्क्ट पड़ा है। एडमिनिस्ट्रेटर के जरिये उसका प्रशासन चलाया जा रहा है। उसका चुनाव नहीं कराया जा रहा है। 25 लाख

(श्री रामनारायण चौधरी)

का घोटाला है। रुपया ले गये और खा गये जिसका हिसाब नहीं। उसका चुनाव नहीं करवाया जा रहा है।

मैं वहां के केन्द्रीय कन्जूमर्स को-ऑपरेटिव स्टोर का भी जिक्र करना चाहता हूं जिसके 6 महीने पहले डाईरेक्टर का चुनाव हुआ था। पर बीच में रोक दिया आगे नहीं करवाया जा रहा है। इस तरफ मैं स्वायत्त शासन मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं कृषि के सम्बन्ध में भी आपके माध्यम से कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं। हमारे यहां कृषि ऋण व्यवस्था के सम्बन्ध में शिड्यूल बैंक को मैदान में लाये हैं कि वे ऋण दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस व्यवस्था के पक्ष में नहीं हूं। हम गांवों में इन बैंकों के जरिये प्राइवेट कैपिटल को ला रहे हैं और इससे उनके जीवन में औरों का हस्तक्षेप करा रहे हैं। इसके लिये तो एक ही रास्ता है कि को-ऑपरेटिव मूवमेन्ट को आगे बढ़ाया जावे।

पशुपालन विभाग के सम्बन्ध में मैं पशुपालन मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बिसाऊ में जो कि 15 हजार की आबादी का कस्बा है और वहां पर एक पशुपालन अस्पताल की सख्त आवश्यकता है। उस क्षेत्र में अलसीसर में एक पशुपालन अस्पताल चल रहा है जिसकी वहां बहुत कम आवश्यकता है और वहां से ज्यादा बिसाऊ के अन्दर बहुत आवश्यकता है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता चाहता हूं कि वह अस्पताल या डिस्पेन्सरी अलसीसर के बजाय बिसाऊ में ट्रान्सफर किया जाये। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम बागीडोरा।

श्री नाथूराम (बागीडोरा सु.) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सहकारी विभाग के बारे में कटौती का प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सहकारी मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो हमारे राजस्थान में सहकारी आन्दोलन है उसमें अधिक सदस्य संख्या बनी और समितियां बनी लेकिन जो सहकारी आन्दोलन है वह विशेषकर केवल कागजों में चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दस साल से कोशिश चल रही है सहकारी आन्दोलन द्वारा उत्पादन का प्रोग्राम बढ़ाया जावे। लेकिन होता क्या है कि बेसमय पर ऋण दे दिया जाता है और उसका उपयोग नहीं होता है। कृषि के लिए जो ऋण दिया जाता है उसका सही उपयोग नहीं होता है। मैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सही स्थिति बताऊं कि वहां पर आदिवासी लोग हैं और वहां वह कुछ नौतोड़ जमीन पर काबिज हैं लेकिन उनको अभी तक खातेदारी के हक नहीं मिले हैं और हम दो साल से कहते आ रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कि हमारे यहां 20 साल पहले सैटलमेन्ट हुआ था और उसके बाद सैटलमेन्ट नहीं होने से नौतोड़ जमीन के खातेदारी हक नहीं मिले हैं और जो ऋण मिलने का प्रॉसीजर है वह इतना लम्बा चौड़ा है कि उनको समय पर ऋण नहीं मिलता है। न मालूम कैबिनेट ने निर्णय लिया या नहीं। खातेदारी हकों के लिए जब तक आप आदेश

(श्री नाथूराम)

नहीं करेंगे तब तक किसानों को ऋण नहीं मिलता है। आज तीन तरह के ऋण हैं अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन। और वह समय पर नहीं मिलते हैं इसलिए किसान लोग समय पर उसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। सहकारिता में एक विशेष बात यह भी है कि ग्रुप सेक्रेटरी की व्यवस्था नहीं की गई है इसलिए ज्यादातर नान-एप्लीकेशन किसानों के लिए तैयार नहीं होती है। समय पर ऋण नहीं मिलता है और ग्रुप सेक्रेटरी के नहीं होने की वजह से हजारों रुपया लोग झूठी एप्लीकेशन्स बनाकर ले लेते हैं और काफ़ी गबन होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि सहकारी विभाग में जहां जहां भी गबन हो रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए और भ्रष्टाचार को मिटाना चाहिये। आज लाखों और करोड़ों रुपया सरकार खर्च करती है लेकिन समय पर नहीं होता है इसलिए कृषि उत्पादन पर बहुत बुरा असर होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप आदिवासी क्षेत्रों के लिए जब तक विशेष सुविधायें नहीं देंगे तब तक आदिवासियों को सही जानकारी नहीं मिलेगी और समय पर ऋण नहीं मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा यह भी मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि जो सबसीडी दी जाती है उसमें पक्षपात होता है बल्कि मैं तो यह भी कहूंगा कि 31 मार्च के पहिले जो सबसीडी उड़ाई जाती है वह गरीबों के लिए नहीं दी जाती है और जो बड़े बड़े लोग हैं उनको या तो ट्रैक्टर के लिए या ट्रक के लिए सबसीडी दी जाती है और शहरों में अधिक पैसा खर्च किया जाता है। सेन्टर की तरफ से या राजस्थान सरकार की तरफ से सबसीडी है जो कृषि उत्पादन के लिए जो गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए सबसीडी दी जाती है उसमें सरासर पक्षपात होता है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस साल जो सबसीडी की व्यवस्था की है और जहां जहां पर इतनी सबसीडी डूंगरपुर और बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसीडी के लिए पैसा दिया गया है और शहरों के लिए सबसीडी दी गई है जिलेवार मंत्री महोदय उसके आंकड़े बतायेंगे तो मालूम होगा कि पक्षपात हुआ है या नहीं। आज समितियों को चलाने के लिए सबसीडी दी जायेगी तो समय पर काम होगा और उत्पादन का फायदा उठा सकेंगे लेकिन होता क्या है कि सबसीडी के लाखों रुपयों का दुरुपयोग होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं यह भी कृषि के सम्बन्ध में निवेदन कर देना चाहता हूं कि कृषि के लिए जो बिजली दी जाती है वह बड़े बड़े कारखानों में और बड़े-बड़े पूंजीपतियों को दी जाती है, गरीब किसानों को बिजली नहीं दी जाती है। एक तरफ सरकार उत्पादन का नारा लगाती है और एक तरफ बिजली की अव्यवस्था है इसलिए जब तक किसानों को कुओं पर बिजली नहीं मिलेगी तब तक उत्पादन पर कोई असर नहीं होगा। जहां डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर क्षेत्र जो कि पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पानी बह रहा है और बेकार जा रहा है लेकिन वहां लिफ्ट इर्रीगेशन के द्वारा बिजली

Page No 68

(श्री नाथूराम)

नहीं दी जायगी तो बहुत उत्पादन पर फर्क पड़ेगा। इसलिये बिजली की ठीक व्यवस्था की जाय। जैसे बाँसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में चम्बल की बिजली सागवाड़ा से बांसवाड़ा लाई गई है तो उस बिजली का क्या होता है कि गढ़ी से बागीडोरा बिजली है लेकिन कुओं पर नहीं देते हैं। पंचायत समिति गढ़ी के अन्दर 59 हजार रुपया बोर्ड को बिजली लेने के लिये दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करता हूं कि कृषि के लिए जो गढ़ी से गोरी और भूखिया बिजली की योजना है वह दो मील पड़ता है लेकिन वहां पर बिजली के लिए लाइन आरम्भ नहीं की है जहां पंचायत समिति ने और गरीब किसानों ने पहले 1 लाख 18 हजार रुपया दे दिया है लेकिन बिजली की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। इसलिए मैं आपके द्वारा निवेदन करता हूं कि कृषि उत्पादन के लिए गरीब किसानों को बिजली दी जाये ताकि उत्पादन पर असर हो।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कृषि के सम्बन्ध में इतनी खामियाँ हैं और समय कम है नहीं तो मैं आपको काफी विस्तार में बताता। समय पर ऋण नहीं दिया जाता है इसलिए मैं आपके द्वारा कृषि मंत्री जी को निवेदन करता हूं कि किसानों के लिए केवल नारा मत लगाओ आप समय पर ऋण देने की व्यवस्था कीजिए, समय पर बिजली देने की व्यवस्था कीजिए, आज किसान अच्छी मेहनत करने के लिए तैयार है, किसान चाहते हैं कि उनको ज्यादा पानी मिले और बिजली मिले तो वह ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ायें। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में जहां माही प्रॉजेक्ट बनाने की योजना थी लेकिन वह ड्रॉप कर दी गयी और हर साल दुष्काल आता है, जंगल खतम कर दिये। उत्पादन के लिए कोशिश करते हैं लेकिन जब तक आप सिंचाई के साधन नहीं दोगे, बिजली नहीं देंगे तब तक उत्पादन पर कोई असर नहीं होगा। किसान बराबर चाहता है कि हमको समय पर सारी सुविधायें मिलें तो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ायें। इसलिए आपके द्वारा मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि किसानों को जो सुविधायें आप देना चाहें वह समय पर मिलनी चाहिए।

इसके साथ साथ मेरा एक और प्रस्ताव है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति की कल्याणकारी योजनाओं के कार्य-कलापों पर चर्चा के लिए। मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रपति ने संविधान में इतनी सुविधायें दी हैं ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के गरीब लोगों का उत्थान हो। मैं मानता हूं कि सेन्टर से और प्रान्त से लाखों और करोड़ों रुपया खर्च होता है लेकिन खर्च का सही उपयोग नहीं होता है। हमारा समाज कल्याण विभाग है वह बिल्कुल सोया हुआ है और पिछड़े हुए वर्ग के लिए कोई व्यवस्था नहीं करता है। आज पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिलने की कोई व्यवस्था नहीं है। समाज कल्याण विभाग में ऐसे आदमियों को लगाया जाता है जो कि वसीले वाले लोग हैं। आज कितने ही आदिवासी मैट्रिक, इन्टर, बी. ए. और एम. ए. हैं वह मारे मारे फिरते हैं लेकिन समाज कल्याण विभाग की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। सिर्फ यही व्यवस्था की जाती है कि अच्छी-अच्छी किताबें और साहित्य छपा

(श्री नाथूराम)

दिया है। मैं आज लाया नहीं हूं लेकिन मैं बता सकता हूं कि ऐसी किताबें छापी हैं जो कि बिल्कुल झूठें आंकड़े दिये हैं, पंचायत समितियों का नाम भी सही नहीं है, गाँवों का नाम भी सही नहीं है, 62 की जनसंख्या के आधार पर भी आंकड़े नहीं दिये गये हैं। मैं आपकी मार्फत अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जो किताबें छपती हैं वह केवल शो के लिए और प्रोपेगन्डा के लिए छपती हैं इसलिए मैं सरकार से व्यवस्था चाहता हूं कि आदिवासियों के लिए जो सरकार से पैसा खर्च हो····

श्री बी० एन० जोशी : प्वॉइन्ट ऑफ इनफर्मेशन सर, मैं माननीय सदस्य से जानना चाहूंगा कि किस पर्टीकुलर प्रकाशन के लिए माननीय सदस्य कह रहे हैं वह बता दें ताकि मैं जवाब दे सकूं।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : आदिवासियों के लिए जो भी प्रकाशन होते हैं उनके लिए कह रहा हूं। उनमें बिल्कुल झूठें आंकड़े दिये हुए हैं और वह साहित्य केवल शो करने के लिए छपवाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं मंत्री जी से कि आप पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो सरकार का खर्च होता है वह समय पर होना चाहिये और उत्पादन के लिए जो पैसा दिया जाता है यह समय पर उनको मिलना चाहिए। आपके विभाग की तरफ से कोई जांच नहीं होती है, कोई कार्यवाही नहीं की गई है, कोई जांच नहीं हुई। आज डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के क्षेत्र में हजारों की तादाद में कुए बेकार पड़े हैं और सरकार ने लाखों रुपया का खर्च किया है लेकिन उस रुपये का दुरुपयोग हुआ है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार की तरफ से पैसा खर्च हो रहा है उसके ऊपर बराबर जांच होनी चाहिए और जो भ्रष्टाचार करते हैं उनको ऊपर कड़े से कड़ी सजा होनी चाहिए। यह मैं आपके द्वारा व्यवस्था चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन कर देता हूं कि आज आदिवासियों के लिए और जो सुविधाएं दी जाती हैं उसकी पालना नहीं होती है, जैसा कि शिड्यूल एरिया के लिए हमारे यहाँ सागड़ी का कानून बना है, शराबबन्दी का कानून बना है। आदिवासी सामाजिक सुधार के लिए अपने आप कानून का पालन करते हैं, लेकिन इस विभाग की तरफ से न तो आज तक सर्वे हुआ है कि सागड़ी प्रथा का जो कानून बना है उसका पालन हो रहा है कि नहीं। उसकी विशेष जांच होनी चाहिए। मैने पहले भी कटौती प्रस्ताव के द्वारा और अभिभाषण पर चर्चा के समय कई बार निवेदन किया था कि शिड्यूल एरिया में अनुसूचित जन-जाति के लिए सर्वे हर तरह से कराएं कि सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जाती हैं वे उनको मिलती हैं या नहीं। जो सागड़ी प्रथा को रोकने का कानून बना है उसका सरकार की तरफ से पालन नहीं हो रहा है, और आज हजारों की तादाद में डूंगरपुर और बांसवाड़े में आदिवासी सागड़ी प्रथा पर काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि उसकी पूरी सर्वे कराई जाय ताकि जो सुविधाएं दी गई हैं उनका पालन हो रहा है कि नहीं यह मालूम हो सके। सागड़ी प्रथा को रोकने का जो कानून है उसका पालन करेंगे।

(श्री नाथूराम)

आपके द्वारा मैं यह भी निवेदन करता हूं कि साढ़े बारह परसेन्ट का जो प्रॉवीजन जो सरकार की नौकरियों का है उसके लिए आपके विभाग से सर्वे हो जाना चाहिए और हर विभाग में जांच होना चाहिए कि उसका पालन हुआ है कि नहीं।

अध्यक्ष महोदय, समय कम है, इसलिए विशेष समय नहीं लूंगा, लेकिन आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों के लिए जो सुविधायें सरकार ने दी हैं उसका पूरा पालन करना चाहिये, और उनको बढ़ाने के लिए कोशिश करना चाहिए। यही मैं निवेदन करूंगा।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी कृषि और सहकारिता से सम्बन्धित मांगों पर कटौती प्रस्ताव रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में किसी राज्य की प्रगति वहां के कृषि उत्पादन और कृषि विकास के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करती है। राजस्थान सरकार द्वारा कृषि के सम्बन्ध में जो दिये गए आंकड़े हैं या जो प्रगति रिपोर्ट है उसके बारे में हम ध्यान दें तो बिल्कुल असन्तोषजनक तो नहीं कह सकते, लेकिन हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि हमने जो कुछ प्रगति की है वह पर्याप्त नहीं है, और हमें इस क्षेत्र के अन्दर बहुत कुछ करना है। अध्यक्ष महोदय, कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए और राज्य को विकसित करने के लिए कई बातें साथ में जुड़ी हुई होती हैं। मैं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जितनी भी प्रगति की है उसके विस्तार में न जाकर उसके बारे में जो कुछ खामियां हैं और जो कुछ भी मेरे सुझाव हैं मैं रखना पसन्द करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, किसानों के लिए जो बीज देने की व्यवस्था थी उसके अन्दर पहले उनको उधार पर बीज दिया जाता था, लेकिन इस साल से हमने देखा है कि उधार पर बीज देना बन्द कर दिया और केवल उनको कीमत पर बीज दिया जाने लगा है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से राज्य सरकार इस बात का अनुभव नहीं करती है कि जिन गरीब किसानों को बीज की आवश्यकता होती है और जहां पर राजस्थान के अन्दर एक तरफ सूखे की स्थिति है और अकाल की स्थिति बनी रहती है वहां किसान नकदी पैसों से बीज किस प्रकार खरीद सकता है। इसलिए इस निर्णय से किसानों के उत्पादन पर विपरीत असर इस तरह से पड़ा कि या तो उनको बीज खरीदने में दिक्कत रही या अच्छी किस्म का बीज चाहे संकर बाजरे का हो, चाहे दूसरा हो वह बीज जो है खरीदने में असमर्थ रहे और दूसरी तरह का बीज खरीदना पड़ा या दूसरी तरफ मनी लैण्डर्स के पास जाना पड़ा, साहूकारों के पास जाना पड़ा, और उनसे ऋण लेकर उन्हें बीज खरीदना पड़ा। मेरी समझ में नहीं आता है कि राज्य सरकार ने यह किसानों को बीज ऋण पर देने की जो व्यवस्था थी उसको क्यों बदला? अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे पाली जिले में यह बहुत ही ताज्जुब की बात है कि बीज देने के जो पावर हैं वह पंचायत समितियों को दिया गया। पंचायत समिति ने कई जगह यह निर्णय लिया कि वे लोगों को बीज उधार पर देना चाहते है। कई जगहों पर बीज उन्होंने उधार पर देना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में वह बन्द कर दिया गया, और कुछ ऐसे व्यक्ति

(श्री शंकरलाल)

जो या तो पंचायत समितियों पर प्रभाव रखते हैं या जिनको बड़े अमीर किसान कहते हैं उन्होंने बीज उधार पर ले लिया, लेकिन छोटे छोटे किसान और गरीब किसान हैं, चाहे वे जवाई क्षेत्र के हों, चाहे पाली के हों वह बीज ऋण पर लेने की सुविधा थी उससे वंचित रहे हैं, और उत्पादन के अन्दर बहुत बड़ा धक्का लगा है।

श्री शोभाराम : मैं सूचना के लिये दर्यापत करना चाहूंगा कि इस वर्ष कौन से बड़े किसानों ने उधार बीज ले लिया ?

श्री शंकरलाल : पाली पंचायत समिति में और देसूरी पंचायत समिति, दोनों पंचायत समितियों के अन्दर देखेंगे तो पता चलेगा। अगर आप उनके नाम जानना चाहेंगे व्यक्तियों के तो मैं नाम भी बता दूंगा, लेकिन पाली पंचायत समिति में प्रारम्भ के अन्दर बीज उधार पर दिया और बाद में देना बन्द कर दिया और जब दूसरे छोटे किसान लेने को गये तो उन्हें मना कर दिया कि राज्य सरकार के आदेश नहीं हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि बड़े किसानों को ऋण देने का आदेश है और छोटे किसानों को देने का आदेश नहीं है। मैं चेलेन्ज के साथ कह सकता हूं कि पाली पंचायत समिति और देसूरी पंचायत समिति में यह हुआ है। जहां तक मुझे स्मरण पड़ता है माननीय मंत्री महोदय से यह कहा था मैंने और लिखित में भी दिया था और उनसे निवेदन किया था कि वे किसानों को बीज ऋण पर देने की व्यवस्था करें।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि जो भी कृषि का एक पैकेज प्रोग्राम है जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ऐसा कहा गया कि पूरे देश के अन्दर हम इसको लागू करेंगे। दो प्रकार के, अध्यक्ष महोदय, प्रोग्राम हैं, एक है आई. ए. डी. पी. जिसको इन्टेन्सिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कहते हैं और दूसरा प्रोग्राम जो है वह आई. ए. ए. पी. का है यानि इन्टेन्सिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। तो आइ. ए. डी. पी. का प्रोग्राम जिले में प्रारम्भ किया गया था लेकिन जो आई. ए. ए. पी. का प्रोग्राम है उसके लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि इसको इसके अन्त तक पूरे देश के अन्दर लागू करेंगे। मैं समझता हूं कि इन्टेन्सिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था जो कि राजस्थान के अन्दर जैसे पाली जिले के अन्दर लागू किया गया था तो उसको वहां से बिना कारण ही क्यों हटा दिया गया ? उसके ऐवज के अन्दर वहां पर जो कुछ बचा है मैं समझता हूं कि उन किसानों को जो प्रारम्भ के अन्दर प्रेरणा मिली थी वह लोग उससे वंचित रह गये हैं। प्रोग्राम पहले या तो लागू नहीं करता था और लागू करने के कुछ अर्से के बाद उसको हटा दिया तो मैं समझता हूं कि सरकार योजनाबद्ध काम नहीं कर रही है। अब मैं निवेदन करूंगा कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरे देश में लागू करने का है तो राजस्थान के अन्दर योजना बनाते हैं तो योजना बना कर देखिये कि आई. ए. डी. पी. का जो प्रोग्राम है वह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरे राज्य में किस प्रकार लागू कर सकेंगे, और जो कृषि उत्पादन के साधन हैं, अच्छे बीज, अच्छे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, अच्छी दूसरी व्यवस्थाएं हैं उनको किस तरह से काश्तकारों को उपलब्ध करा सकेंगे।

(श्री शंकरलाल)

अध्यक्ष महोदय, जहां तक एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का प्रश्न है मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र के अन्दर हमारे राज्य ने बहुत कम प्रगति की है। वैसे हमारे यहां राजस्थान में केन्द्र के अन्दर कृषि यान्त्रिक मण्डल है और दूसरे पांच डिविजन्स के अन्दर इस प्रकार के यान्त्रिक मण्डल हैं एक कोटा के अन्दर है, दूसरा चित्तौड़ के अन्दर है, नागौर के अन्दर है और दो जगह और हैं, पाली के अन्दर है, तो इस प्रकार पांच हैं पूरे राजस्थान के अन्दर। मैं यह समझता हूं कि यह जो पांच वर्कशाप्स हैं पूरे राजस्थान के अन्दर वह हमारी इस बढ़ती हुई किसानों की प्रगति के अन्दर और उसके अन्दर जो वैज्ञानिक तरीके अपनाये जा रहे हैं, और जहां किसानों की यह प्रवृत्ति है ट्रैक्टर्स और इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स लागू करने की और उसके जरिये से कृषि उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, उसको देखते हुए केवल पांच वर्कशाप्स और एक केन्द्रीय वर्कशाप ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं हैं। मेरी तो यह धारणा थी कि अगर हम कृषि उत्पादन के अन्दर इतनी प्रगति करते जा रहे हैं तो होना तो यह चाहिए था कि प्रत्येक पंचायत समिति के लेविल पर जो किसानों के पास ट्रैक्टर्स हैं, दूसरे मोडर्न हल हैं, उनकी रिपेयर के लिए, मैंटीनेन्स के लिए पंचायत समिति के स्तर पर व्यवस्था होनी चाहिए। अगर पंचायत स्तर पर नहीं होती है तो जिला स्तर पर करें। प्रत्येक जिले में ये जो किसान ट्रैक्टर यूज करते हैं, उनको आमतौर से यह शिकायत रहती है कि जब यह खराब हो जाते हैं तो उनको सुधारने के लिए उचित व्यवस्था एकदम नहीं मिल पाती है। उनको दूर दूर जाना पड़ता है तो उनको बहुत मंहगा पड़ता है। मैं समझता हूं कि पंचायत समितियों के पास काम तो कम है। मैंने पहले भी कहा है कि पंचायत समितियों को दूसरे कामों से दूर करके केवल एग्रीकल्चर प्रॉडक्शन का काम ही दे दिया जाए। जो कुछ स्टॉफ उनके पास है, वह इसी में लगाया जाये। वह यूजफुल साबित होगा। कई माननीय सदस्य यह शंका करते हैं कि पंचायत समितियों को बन्द हो जाना चाहिए, वह दूर हो जायेंगी। दूसरे हमें स्टाफ की कमी की वजह से हम कमियां महसूस करते हैं, वह दूर हो जायेंगी। अगर पंचायत समिति के स्तर पर व्यवस्था हो जाये तो अच्छा है। नहीं तो नजदीक आने वाले साल में प्रत्येक हैड क्वार्टर पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इन्स्ट्रूमेंट काश्तकार लें उनको खरीदने के लिए कुछ ऋण की व्यवस्था होनी चाहिए। वैसे तो कुछ बैंकों ने की है। लैंड मार्गेज बैंक ने ऋण देने की व्यवस्था की है। उसका, प्रत्येक आदमी को जब ऋण देते हैं तो कम से कम 6 महीने तो लगते हैं। मैं कम से कम इसलिए कह रहा हूं कि मुझे स्वयं पाली जिले के अन्दर यह अनुभव हुआ है। कहीं लैंड वैल्युएशन ऑफीसर ने कुछ कहा। कभी कहा जाता है कि कागज जयपुर भेजे गये हैं। कागज आये नहीं हैं। कहीं से झूठा सार्टीफिकेट नहीं आया। कई प्रकार की अड़चनें होती हैं। अधिकतर किसान तंग होकर कह देते हैं कि हमें नहीं लेना है। लैंड मार्गेज बैंक ही ऐसी को-ऑपरेटिव संस्था रह गई है जो किसानों को ऋण देती है। प्रगति में कहा गया है कि 120 लाख रुपया किसानों को देने का प्रावधान रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री शंकरलाल)

कहूंगा कि कितना रुपया रखा गया है ? कितनी दरख्वास्तें पेंडिंग हैं ? प्रोसीजर में बहुत भारी गलती है। वैसे हमारे यहां एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग कारपोरेशन की व्यवस्था की गई है। लेकिन जो व्यवस्था है वह अच्छी नहीं है। काश्तकार एक ऐसी जगह पर खड़ा है, उसको मालूम नहीं है कि उसको कृषि उत्पादन के लिए कितनी सुविधा से ऋण मिल सकता है। यह उसे पता नहीं है। दूसरे जो शिड्यूल बैंक हैं, जो काश्तकारों को ऋण देने की व्यवस्था की गई है, जब वह सार्टिफिकेट लेने के लिए जाते हैं तो तहसीलदार सार्टिफिकेट नहीं देता है। उनकी सारी दिक्कतों का कारण यह है कि काश्तकारों के पास खुद का नो ड्यूज होने का डाकूमेंट नहीं मिलता है। इसके लिए बार बार आवाज उठाई जाती है कि पास-बुक मिल जायेगी तो मैं समझता हूं कि कुछ सरलता हो जाएगी। काश्तकारों को सुविधा हो जाएगी। लोन देने वाली जो एजेंसी हैं, उनको सुविधा हो जाएगी। डिटेल्ड पास-बुक होनी चाहिए। कितनी जमीन है, ऐसा नहीं हो कि पास-बुक में कमियां रह जाए। मैं कहता हूं कि उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहे। उसको ऐसी कम्प्लीट शेप दी जाये। जिससे आगे को सुगमता मिले। अध्यक्ष महोदय, कृषि उत्पादन लैंड रिफार्म्स से जुड़ा हुआ है। मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार की नीति लैंड आॅफ दी टिलर्स की पॉलिसी अब तक सफल नहीं हुई है। इण्टरमीडियरी खड़े हो गये हैं। लोग लाखों की तादाद में खेतीहर मजदूर हैं, जो उत्पादन करना चाहते हैं, लेकिन वह कर नहीं सकते हैं। क्योंकि उनके पास जमीन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ लोग जमीन लिये बैठे हैं। घास के लिए देते हैं। बांटे पर देते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि सीलिंग की नीति और लैंड आॅफ दी टिलर्स का नारा जो है, उसको सार्थकता देनी है तो इसको सीलिंग के बारे में सोचना होगा। अध्यक्ष महोदय, कृषि उपज मंडी के बारे में प्रश्न है। वह हमारे पूरे देश में 2,500 थीं। थर्ड प्लान के एण्ड तक चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना में कहा गया है कि ऐसी योजना है। कृषि उपज मंडी कानून लगेगा। लेकिन बाद में दिक्कतें आयीं। लेकिन कुछ लोगों ने दबाव डाला। हमारे माननीय सदस्य यशवन्तसिंह नाहर की अध्यक्षता में जो कमेटी बैठी। उसने जो रिपोर्ट दी है उसको कई महीने हो गये हैं लेकिन कार्य रूप में परिणित नहीं किया जा रहा है। किसानों को आवश्यक कीमत मिले। यह चीज बहुत ही आवश्यक है। एग्रीकल्चर के लिए यह बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूं कि इसको फाइनल शेप दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ और निवेदन करना चाहूंगा। हमारे कृषि विभाग के अन्तर्गत जो भू जल मण्डल है, उसकी एक्टी-विटीज कतई संतोषजनक नहीं है। गए साल में केवल 20 कुओं की बोरिंग की गई है। मुझे समझ में नहीं आता है कि पुराने कुओं को नवम्बर, 1968 तक 20 मशीनों के द्वारा 126 पुराने कुओं का बोरिंग पूरे साल में किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, यदि पूरे राजस्थान के अन्दर केवल एक सौ छब्बीस पुराने कुओं का बोरिंग किया जाता है तो यह अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के इस डिपार्टमेन्ट के

(श्री शंकरलाल)

अस्तित्व को कहां तक जस्टीफाई करता है। मैं कहना चाहूंगा कि जो इसके तहत सर्वेक्षण काम होता है, यह सर्वेक्षण का काम बार-बार होता है लेकिन उसको फाइनल शेप नहीं दी जाती है। मुझे मेरे क्षेत्र का अनुभव है, उसके बारे में कुछ सवाल भी पूछे गये हैं, जैतारण निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर कई जगह ऐसे कुएं हैं जो कि काफी गहरे चले गए हैं कई कारण से और उनके लिए बराबर बोरिंग मशीन की मांग की गई, लेकिन बोरिंग की मशीन नहीं आई। आज कई जल योजनायें इसलिए पड़ी हुई हैं कि बोरिंग मशीन की जरूरत है लेकिन बोरिंग मशीन उपलब्ध नहीं है। अगर इस सरकार के पास में बोरिंग मशीन की कमी है, वैसे मैं समझता हूं कि पूरे राजस्थान के लिए बीस मशीनें कम हैं, तो सरकार को और बोरिंग मशीनें खरीदनी चाहिए। आज सिंचाई के अधिकतर गांवों में कुए ही एक मात्र साधन हैं, लेकिन आज बहुत से ऐसे कुएं हैं जिनमें पानी अन्दर चला गया है, और जिनमें पत्थर तोड़ने की बात आई है और उन कुओं की दशा सुधारने के लिए अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के द्वारा ही किसानों को राहत मिल सकती है लेकिन आज किसानों को हताश होना पड़ता है और समय पर उनको राहत नहीं मिल सकती है। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि वह मशीनों की संख्या बढ़ाये ताकि उनके जरिए किसानों को कुओं का बोरिंग जल्दी हो सके और किसानों को राहत मिल सके। इसके बारे में मैंने अध्यक्ष महोदय, निवेदन किया है।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा पहला कटौती का प्रस्ताव अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के बारे में है। अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के जरिये जो बोरिंग हुआ है उसमें पहले आप जालौर को ही ले लीजिये। ज्योलोजिकल सर्वे नहीं होने की वजह से सब जगह उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक काम किया। कहां किस जगह पर कुए खोदे, किस जगह पर खोदने की जरूरत नहीं है, कहां पर ट्यूब वैल्स बने और कहां पर पानी नहीं मिल सकता है, कहां पर पानी का सोर्स है—इस सबका पता नहीं लगाने की वजह से बहुत से ट्यूब वैल्स का उन्होंने बोरिंग किया परन्तु वह अनसक्सेसफुल हुए। विभाग इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया कि किस क्षेत्र में कितना गहरा जाने पर मीठा पानी मिलेगा। खास तौर पर होती गांव ऐसा है जहां कई पम्पिंग सैट काम कर रहे हैं, डेढ़ सौ, दो सौ सांचोर में कुए हैं, परन्तु ट्यूब वैल विभाग ने वहां बोरिंग किया और यह रिपोर्ट दे दी कि यहाँ पानी नहीं मिल सकता है। इसका कारण यह है कि इस विभाग के लोएस्ट स्तर के ऑफिसर जाकर बोरिंग करते हैं और बड़े ऑफिसर वहां जाकर यह कार्यवाही नहीं करते हैं कि कौन सी जगह का सिलेक्शन करना है न और वहां के किलोगों राय वह लेते हैं जिससे कि ट्यूब वैल्स आर्गेनाइजेशन के जरिये उस एरिया को ज्यादा फायदा हो और जो वहाँ पर मीठा पानी है उसको एक्स्प्लोइट किया जाय। उनको यह भी जानकारी नहीं है कि किस स्तर तक गहरा जाना चाहिये, कहां तक मीठा पानी है और

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कहां पर खारा हो जाता है। मैं आपके जरिये, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां दो सौ तीन सौ फीट के आसपास जाने तक तो मीठा पानी उपलब्ध होता है, लेकिन यदि उससे नीचे जाते हैं तो पानी खारा आ जाता है, इसलिए वहां पर इतना नीचे जाने की आवश्यकता है जहां तक मीठा पानी है। इसलिए अलग अलग जगह सोइल का एक्जामिनेशन होना चाहिये और जहां पर सोइल खारा है उतने नीचे बोरिंग नहीं करना चाहिये और उस सोइल के स्तर तक, जहां तक पानी मीठा मिलता है, वहाँ तक सीमित रखना चाहिये ताकि मीठे पानी का सोर्स मिल सके और ड्रिंकिंग वाटर के पर्पज के लिए काफी पानी मिल सके। इसके साथ साथ, अध्यक्ष महोदय, आपने सुना होगा कि एक ऐसी रिपोर्ट आई है कि जालौर में बागोड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां पर कई ट्यूब वैल्स ऐसे मिले हैं जिनसे साठ हजार, सत्तर हजार गैलन पर आवर मिल सकता है। लेकिन मुझे अफसोस है कि इतना ज्यादा पानी का सोर्स मिलने के बाद में भी उस पानी को काम में नहीं लिया गया है। पांच हजार गैलन पर आवर की कैपेसिटी के ट्यूब वैल्स हैं उनको जल प्रदाय योजना में काम में ले सकते हैं लेकिन जो पचास हजार, साठ हजार गैलन प्रति आवर की कैपेसिटी के ट्यूब वैल्स हैं उनको खेती बाड़ी के काम में राज्य सरकार को लेना चाहिये क्योंकि वहां पर नदी योजनायें नहीं हैं, दूसरे और पानी के सोर्स नहीं हैं, इर्रिगेशन के दूसरे साधन नहीं हैं, वहां पर इतना पानी, मीठा पानी का सोर्स होते हुए भी राज्य सरकार ने उसे काम में नहीं लिया है।

इसके बारे में स्वर्गीय हरिश्चन्द्र जी ने एक इन्टेग्रेटेड योजना बनाई थी, वह केन्द्र के पास में भेजी थी, लेकिन वह योजना आज न मालूम कहाँ पर है, इसका पता नहीं है। इस योजना को शीघ्र ही कृषि मंत्री जी हाथ में लें। जहां जिस एरिया में पानी का सोर्स है उसको काम में लेकर उत्पादन के काम में उसे लिया जाना चाहिए इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, जालौर जिले में ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पर पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में कलेक्टर से एक सूची मांगी थी कि कहां पर बोरिंग किया जाना चाहिये, कहां पर ट्यूब वैल्स बनाने की आवश्यकता है। इसकी लिस्ट विभाग को भेजी भी थी जहां पर पानी का सोर्स मिल सकता है, और जो पुराने और लोकल आदमी हैं उनके अनुभव के आधार पर जहाँ पानी मिल सकता है, लेकिन रिग्स लेकर मिस्तरी आते हैं और वह खुद बोरिंग करके चले जाते हैं। ऑफिसर उसका चैकिंग नहीं करता है। कई जगह मशीनें पड़ी रहती हैं, महीनों तक पड़ी रहती हैं, इनको कोई सम्भालने वाला नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड में बड़ी अव्यवस्था है। इसी कारण जो रिग्स को अच्छी तरह से काम में लेना चाहिये उनको उपयोग में नहीं लेते हैं और कई जगह पर मशीन पड़ी रहती हैं। इस बारे में कोई ऑफिसर मुकर्रर होना चाहिये जो यह देखे कि कितने दिन मशीन पड़ी रही है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जिस ऑफिसर की गफलत हो उसको सजा देनी चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बाड़मेर जिले, बीकानेर जिले, जैसलमेर जिले में ट्यूब वैल्स की दो सौ के आसपास राज्य

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
सरकार ने संख्या निर्धारित की है, उसके पहले सौ ट्यूब वैल्स की योजना थी, लेकिन उसके तहत अभी तक काम बहुत कम हुआ है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने जितनी संख्या रखी है वह भी बहुत कम है। मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार पर इस बात का जोर देना चाहिये कि ट्यूब वैल्स की संख्या ज्यादा हो इन जिलों में क्योंकि वहां पर पानी का दूसरा सोर्स नहीं है ट्यूब वैल्स के सिवाय। तो अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड को यह जरूर देखना चाहिये कि कितना नीचे जाने पर मीठा पानी मिल सकता है। इसके साथ ही वह ज्यादा रिंग्स प्राप्त करे और इस तरह ज्यादा से ज्यादा ट्यूब वैल्स की संख्या बढ़ाई जाय। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

इसके अलावा जो एग्रीकल्चर विभाग है इस बारे में भी मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेन्ट्स का जो राज्य सरकार का कारखाना है उसके जरिये काश्तकारों को अभी कोई खास फायदा नहीं मिल रहा है। मेरा निवेदन है कि जहां काश्तकार ट्रैक्टर अधिक संख्या में रखते हैं और पम्पिग सैट्स बहुतायत में लगाते हैं ऐसे जिलों में जहां संख्या बहुत ज्यादा है वहां कम से कम विभाग का एक ऑफिस होना चाहिये और कारखाना चलना चाहिए ताकि सस्ती रेट पर काश्तकारों को इम्प्लीमेन्ट्स मिल सकें। इस बारे में राज्य सरकार को सोचने की आवश्यकता है। आप पहले ऐसे जिले ले लीजिये जहां पर हजारों पम्पिग सैट काम करते हैं, ट्रैक्टर काम करते हैं, लेकिन ऐसे जिलों में रिपेयरिंग की फैसेलिटी काश्तकारों को नहीं मिलती है। इसलिए राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में सोचने की आवश्यकता है कि वहां पर विभाग का कारखाना हो और किसी तरह से काश्तकारों को फैसेलिटी दी जाय। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार इस पर विचार करे।

इसके अलावा जैसी कृषि विभाग की तरफ से यह घोषणा की गई थी कि काश्तकारों को पास-बुक दी जाय लेकिन पास-बुक नहीं देने की वजह से काश्तकारों को सहकारी विभाग द्वारा जो ऋण देने की व्यवस्था है वह टाइम पर नहीं मिलता है और लोग बाग ऋण के लिए दफ्तरों में मारे मारे फिरते हैं। इसलिए ऐसी पास-बुकें अत्यन्त शीघ्र दिलाने की राज्य सरकार को कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ही कोऑपरेटिव बैंक के भूमि विकास बैंक के जरिये काश्तकारों को पम्पिंग सैट और कुएं खोदने के लिए लोन देने की व्यवस्था है। लेकिन रूल्स कॉम्प्लीकेटेड होने की वजह से उनको फायदा नहीं मिलता है। इसलिए इन रूल्स को सिम्प्लीफाई किया जाय और पास-बुक दे दी जाय ताकि इनको पटवारी के पास फिरना नहीं पड़े और काश्तकारों को शीघ्र ही लोन मिल सके।

इसके अलावा एक कटौती का प्रस्ताव सांचोर में कैटल ब्रीडिंग फार्म के लिए रखा है। एनीमल हसबैन्ड्री की जो दूसरी ब्रीड है उसके लिए तो फार्म हैं लेकिन जो कॉंकरेज ब्रीड सांचोर की है जो कि हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध ब्रीड है, उसके लिए राजस्थान सरकार ने सोचा था कि कैटल ब्रीड फार्म खोलेंगे लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर दूध के हिसाब से और बैल के

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

हिसाब से, दोनों पॉइन्ट ऑफ व्यू के हिसाब से इतनी महत्वपूर्ण ब्रीड है जो हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध ब्रीड है इसलिए उसके लिए कैटल ब्रीडिंग फार्म राज्य सरकार खोलने की व्यवस्था करे। अभी तक इस ब्रीड के बारे में राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन नहीं दिया गया है और पिछले अकाल वर्ष में इतनी मवेशी की क्षति हुई थी और इस साल भी हजारों की संख्या में मवेशियों के मरने का खतरा है, इस साल भी मवेशी मर रहे हैं और पिछली साल भी मरे थे, वैसे विभाग के पासइसके आंकड़े नहीं हैं। ऐसी महत्वपूर्ण ब्रीड है, लेकिन उसकी संख्या नहीं है कि कितनी क्षतिग्रस्त होते हैं और इनको बचाने का क्या प्रयत्न किया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि पशुपालन विभाग द्वारा ऐसा रजिस्टर रखने और इनकी गिनती करने की व्यवस्था होनी चहिए। अभी तक राज्य सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है और कहते हैं कि इनके आंकड़े नही रख सकते। अगर नहीं रख सकते तो यह ब्रीड क्या उन्नत हो सकती है ? इसलिए इनकी गिनती रहे कि अकाल वर्ष में कितने बचाये जा सके और कितने क्षतिग्रस्त हुए। इसके एनीमल हसबैन्ड्री विभाग को आंकड़े रखने चाहिए ताकि मालूम हो सके कि अकाल वर्ष में कितने पशुओं की क्षति होती है, ताकि उसके आधार पर उनको आगे बचाने के लिए राज्य सरकार कोई योजना बना सके ......

माननीय अध्यक्ष जी, इसके अलावा सहकारी विभाग के जरिये गावों में, जो छोटे छोटे आर्टिजन्स जारी किये हैं उनकी को-ऑपरेटिव्ज बनाई जायं और उनको बनवा कर लोन देने का प्रावधान किया जाना चाहिये। इसका नतीजा यह होगा छोटे आर्टिजन्स जो बेकार हो गये हैं जैसे सुथार, कुम्हार, बनजारे चटका पट्टू वगैरह जो अच्छी-अच्छी आर्टिजन की चीजें पैदा करते हैं, वे सहकारी विभाग के जरिये छोटे उद्योगों के लिये फ्रीली ऋण दिया जाना चाहिये ताकि उनका जीवन निर्वाह हो सके आज मशीनरी युग में राज्य सरकार को-ऑपरेटिव सोसाइटी के जरिये छोटे मोटे धन्धे के लिये ऋण देने का प्रावधान करें।

माननीय अध्यक्ष जी इसके अलावा आज जो एग्रीकल्चर विभाग द्वारा पंचायत समिति को इम्पलीमेंट्स दिये गये वे कई जगह अनसक्सेसफुल हो गये हैं। हर पंचायत समिति में बगैर सोचे समझे स्थानीय आवश्यकता की जांच किये वगैर पंचायत समिति से पूछे ऐसे इम्पलीमेंट्स भेज दिये गये हैं वे इम्पलीमेंट्स बेकार पड़े हैं राज्य सरकार उनको वापिस ले और उपयुक्त इम्पलीमेंट्स भेजने की व्यवस्था करे जो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के लिये उपयुक्त हों। स्थानीय नीड्स को देख कर कौन से इम्पलीमेंट्स सक्सेसफुल हो सकते हैं उसको देखते हुए वे भेजें ताकि काश्तकारों को फायदा हो सके।

काश्तकारों के पास जो लोहे के सेट्स होते हैं वे भी प्रत्येक काश्तकार पैसा नहीं होने की वजह से ले नहीं सकता। सत्तर प्रतिशत ऐसे काश्तकार हैं जो लोहे के कुन्दे के जरिये काम लेना चाहते हैं राज्य सरकार सोसाइटी बना कर राज्य के जरिये एग्रीकल्चर वर्कशाप में सस्ते बना कर काश्तकारों को दिये जाने चाहिये। आज उनको न तो सेट्स वगैरह मिलते हैं और मिलते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं। इस बारे में राज्य

(श्री रघनाथ विश्नोई)

सरकार को जो काश्तकार नये तरीके से खेती करना चाहते हैं राज्य सरकार उनको प्रोत्साहन देने के लिये यह व्यवस्था प्रारम्भ करनी चाहिये। इस बारे में राज्य सरकार गम्भीरता से सोचे। इन्हीं शब्दों के साथ जो मैंने कटौती के प्रस्ताव रखे हैं उनकी ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक महोदय ने जो नामावली दी है वह समाप्त हो चुकी है। जो सदस्य अनुपस्थित थे उनकी दूसरी नामावली आ गई है। जो स्थानापन्न हो गये।

एक माननीय सदस्य: केवल दो मिनिट।

श्री अध्यक्ष : दो मिनिट में तो गाड़ी कहीं से कहीं चली जाती है। फिर भी मैं समय देना चाहूंगा। प्रत्येक सदस्य को केवल पांच मिनिट।

श्री सांवरमल बासोतिया।

श्री सांवरमल बासोतिया (नवलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 12 कटौती के प्रस्ताव सहकारिता विभाग से सम्बन्धित पेश किये थे, उन सबका उद्देश्य ज्यादातर यह था कि सहकारिता विभाग में आज इतना भ्रष्टाचार फैल गया जिसकी मैं डिटेल्स पेश करूंगा। आपके जरिये मैं सम्बन्धित मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, गत सेशन में भी मैंने इसी विभाग के उच्च अधिकारी के सही फेक्ट्स सदन में पेश किये थे। माननीय मंत्री महोदय ने उस पर गौर किया और कोई ऐक्शन न लेकर केवल उनका ट्रान्सफर कर दिया। मैं आशा यह करता था कि उनके स्थानान्तरण को लेकर विभाग में कुछ अच्छाइयां आयेंगी लेकिन मैं जो अनुभव कर रहा हूं उस आधार पर ऐसा लगता है उनके स्थानान्तरण के बाद में भ्रष्टाचार सहकारी विभाग में ज्यादा पनपा है। मुझे इस बात का दुःख है।

अध्यक्ष महोदय, सहकारी विभाग में संयुक्त रजिस्ट्रार प्रशासन, के पद को लेकर इतनी धांधली हुई इतनी गन्दी बातें हुई जिनको पेश करते हुए दुःख होता है। इस पद पर कुछ समय पहले फतेहसिंह, आर. ए. एस. को नियुक्त किया गया लेकिन किसी एक मंत्री महोदय के व्यक्ति को इस पद पर चिपकाये रखने के लिये प्रतापसिंह को चार्ज नहीं दिया गया। आठ-दस दिन बाद उसका दूसरे पद पर ट्रान्सफर कर दिया गया। फतेहसिंह के बाद बी. के. बिन्जू को लगाया गया। उनको भी थोड़े समय के बाद कन्ज्यूमर में ट्रान्सफर कर दिया गया। फिर तीसरे एक एस. के. व्यास जिनके बारे में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आदेश देकर उनको प्रशासन में लगाया गया लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उनको भी चार महीने तक चार्ज नहीं दिया गया। चार महीने तक उनको सिर्फ बैठे बैठे उच्च श्रृंखला का वेतन देकर विभाग को नुकसान पहुंचाया। आखिर बिना चार्ज दिये उनको वहां से हटा कर कन्जूमर में ट्रान्सफर कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, इतने उच्च श्रृंखला के अधिकारी को चार-चार महीने तक बिना चार्ज के बिठा करके भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देना चाहते हैं इससे ज्यादा शर्म की बात और नहीं हो सकती। ये सब माननीय मंत्री महोदय इसलिये कर रहे है वे सीधे सादे हैं वे व्यक्ति जो इस पद पर

(श्री सांवरमल बासोतिया)
कार्य कर रहे हैं उनके सीधेपन का फायदा उठाना चाहते हैं। जो कुछ कर रहे हैं गलत चीजें कर रहे हैं।

मैं गलत प्रोमोशन्स के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा जून 1968 में सहायक निरीक्षकों का प्रोमोशन किया गया था लेकिन ऐसा महसूस किया गया था शायद मंत्री महोदय जिन लोगों को प्रोमोशन देना चाहते थे उनका नाम लिस्ट में नहीं था उन्होंने आठ-दस दिन बाद ही सहायक निरीक्षकों में अलग अलग स्थानों पर जाकर चार्ज लिया था गवर्नमेंन्ट का टी. ए. डी. ए. उठा लिया उसके आठ-दस दिन बाद स्टे ऑर्डर कर दिया गया और उनको रिवर्ट कर दिया गया। लाचार होकर सहायक निरीक्षक हाई कोर्ट में गये उनकी रिट मन्जूर हो गई और पुनः उनको निरीक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया गया। लेकिन दुःख इस बात का है कि पहले तो प्रोमोशन्स कर दिया जाता है फिर किसी विशेष कारण से फिर रिवर्ट किया जाता है आखिर इससे गवर्नमेन्ट को लोस होता है। हाई कोर्ट के आदेश से पुनः बहाल हो जाते हैं और उनको फिर नियुक्त कर दिया जाता है।

इसी प्रकार हर केडर में चाहे असिस्टेण्ट रजिस्ट्रार हो, डिप्टी रजिस्ट्रार हो ज्वाइन्ट रजिस्ट्रार हो, इन्स्पेक्टर हो, हर केडरमें यह प्रोमोशन्स में गलत धान्धली चल रही है इससे सहकारी विभाग का वातावरण गन्दा हो गया है।

(10.30 म. पू.)

(श्री उपाध्यक्ष पदासीन)

इस तरह से लोगों में सहकारी भावना हट रही है इसमें जो राजनीतिक भ्रष्टाचार फैल रहा है और एक तरह से राजनीति का गढ़ बन गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं इसमें जो सीनियोरिटी की लिस्ट बनाई गई है आज तक जो लिस्ट बनती है उसमें अपोइन्टमेंन्ट की डेट्स के आधार पर बनती है। मुझे ताज्जुब है सहकारी विभाग में जन्म तिथि के आधार पर सिनीयोरिटी लिस्ट बनाई है। यह इसलिये कि कुछ अपने लोगों को, गलत प्रोमोशन देने के लिये जिन को नियुक्ति की तारीख फेवर नहीं होती थी, उनकी लिस्ट सिनीयोरिटी लिस्ट जन्म तिथि के आधार पर बना दी। यह बड़ी ताज्जुब की बात है। मैं सोचता हूं मंत्री महोदय एन्क्वायरी करके सदन को सन्तोष दिलायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, प्रशासन में भ्रष्टाचार का एक और मामला है। 70 निरीक्षकों के पद लम्बे समय तक खाली पड़े रहे—6 महीने तक खाली पड़े रहे तो यह समझ लिया जाता है कि इन पदों की जरूरत नहीं है और यदि पुनः जरूरत पड़े तो फाईनेन्स डिपार्टमेन्ट से आज्ञा लेनी पड़ती है। जब विधान सभा का अधिवेशन चालू हुआ था उस समय मैंने एक प्रश्न भेजा था, उस प्रश्न के भेजने के बाद अब उन्होंने इन्टरव्यूज लेना चालू कर दिया है और नियुक्ति चालू कर दी है यह खराब बात है।

इसके अलावा एक और विचित्र फैक्ट सदन के सामने रखना चाहता हूं। एक फोर्थ क्लास सरवेन्ट है, लादूराम उसकी 15-6-67 को मृत्यु हो चुकी है। उसके लड़के ने मृत्यु के दूसरे तीसरे दिन विभाग

(श्री सांवरमल बासोतियां)

को यह सूचना भेज दी कि मेरे फादर की डेथ हो चुकी है उनके जो ड्यूज हैं मुझे दे दिये जांय। इसके बावजूद सदन को सुन कर ताज्जुब होगा 15-6-67 को मृत्यु हुई और 12 जुलाई, 68 को एक आदेश द्वारा उस वेकेन्सी को लीव वेकेन्सी मान करके एक नई नियुक्ति की जाती है और उस व्यक्ति को उस विभाग के अधिकारी के घर पर रखा गया। ऐसा नहीं करते तो उसकी नियुक्ति नहीं हो सकती थी, क्योंकि खाली जगह की नियोजन विभाग से परमीशन लेनी पड़ती। उस व्यक्ति को मरे हुये न बता कर उसकी छुट्टी सैंक्सन की। यह भ्रष्टाचार का मामला है। मेरा निवेदन है कि सम्बन्धित व्यक्ति को उचित दण्ड दिया जाना चाहिये।

एक मामला श्री प्रकाशचन्द्र गुप्ता, एल. डी. सी. का है जिनकी नियुक्ति कनिष्ठ लेखक के पद पर है। ये प्रकाशचन्द्र जी कभी विभाग में आते नहीं हैं। उनके प्रेजेन्स के दस्तखत नहीं हैं। यह शिकायत भ्रष्टाचार विभाग को की गई उन्होंने छापा मारा तो पता चला कि कहीं भी प्रकाशचन्द्र के दस्तखत नहीं हैं। मैंने मालूम किया है यह फैक्ट है। मुझे ताज्जुब है इस तरह के क्लियरकट केस पर भी विभाग ने ऐक्शन नहीं लिया। इसका क्या कारण हो सकता है ? उपाध्यक्ष महोदय इसी प्रकार के एक नहीं, अनेक मामले हैं जो भ्रष्टाचार को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी पूरी छानबीन करके ऐक्शन लिया जाय। मुझे मन्त्री महोदय के एक ऐक्शन पर और भी ताज्जुब होता है लोकल सैल्फ डिपार्टमेन्ट झुंझनू जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार के चुनाव काफी लम्बे समय से नहीं करवा रहा है। एक-डेढ़ साल हो गया है लेकिन संचालक मण्डल के चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं। अभी पिछले गत अधिवेशन में निवेदन करके बड़ी मुश्किल से एक व्यक्ति को हटवाया था लेकिन उसके स्थान पर ऐसे व्यक्ति को संचालक मण्डल में लिया है जो चेयरमैनशिप से दो बार मोअत्तिल कर दिया गया था। स्पष्ट रूप से श्मशान भूमि की लकड़ियां बेच कर पैसा खा गये। और अभी रीसेन्टली करीबन 5-6 महीने दूसरी बार उसी अध्यक्ष को मोअत्तिल किया गया था जिसके खिलाफ 12-13 चार्जेज हैं जिसमें गबन के केसेज भी शामिल हैं और क्रिमिनल केसेज भी हैं। मन्त्री महोदय को मालूम होते हुए भी उस व्यक्ति को झुंझनू जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार में रखा गया। इस प्रकार की स्थिति है, वह बहुत ही खराब है। मंत्री महोदय परिचित हैं फिर भी वे ऐसे व्यक्ति को जो भ्रष्टाचार के मामलों में, गबन के मामलों में, फंसे हुये हैं संचालक मण्डल में लिया है। इसकी गहराई कहां तक हो सकती है इसको मंत्री महोदय ही समझ सकते हैं। लेकिन इस तरह के क्लियरकट केसेज मंत्री महोदय के केरेक्टर पर लांछन लगाते हैं। जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुये हैं मंत्री महोदय उसी व्यक्ति को संचालक मण्डल में नियुक्त करते हैं इससे और क्या अन्दाजा लगाया जा सकता है उनके दिल में क्या हो सकता है। यह भी हो सकता है कि किसी अन्य मंत्री को या राज्य मंत्री को खुश करने के लिये ऐसा किया हो। मैं समझता हूं यह निन्दनीय बात है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसको अविलम्ब हटाया जाय ताकि हमें सन्तोष हो कि उनके नोलेज में यह बात नहीं थी।

(श्री सांवरमल बासोतिया)

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं दो मिनिट का समय डवलपमेंट बैंक में ऋण दिया जाता है उस विषय पर लूंगा। अभी डवलपमेंट बैंक में ऋण प्राप्त करने के लिये इतना समय खर्च करना पड़ता है, इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं 50-60 परसेन्ट पहले से खर्च हो जाता है। इस विषय में दो-तीन कान्क्रीट सजेशन पेश करना चाहता हूं। इसके लिये मेरा निवेदन है पब्लिक एन्क्वायरी ऑफिसर हैं वह असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार हैं। असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के पास इतना काम होता है कि वे बहुत व्यस्त रहते हैं जिसके कारण ऋण को सैंक्शन करने में बहुत सा समय निकल जाता है उसके बारे में मेरा सुझाव है कि सोसायटी के सेक्रेट्री को यह अधिकार दिया जाय कि वे ऋण सैंक्शन कर सकें ताकि 20-25 दिन की बचत हो जाय। दूसरा मेरा सजेशन यह है कि तहसीलदार से सर्टिफिकेट लिया जाता है। तहसीलदार पटवारी की रिपोर्ट पर सर्टिफिकेट देता है इसलिए वह पटवारी से रिपोर्ट लेता है। जब पटवारी की रिपोर्ट पर ही यह सर्टिफिकेट दिया जाता है तो यह पटवारी रिपोर्ट पर ही सैंक्सन क्यों नहीं कर दिया जाता है। इससे समय की काफी बचत हो सकती है। इसके अतिरिक्त तीन हजार के ऊपर के ऋण पर सेन्ट्रल बैंक से और प्राइमरी बैंकों से एडवाईस ली जाती है। इसमें मेरा निवेदन है कि दोनों से न लेकर एक बैंक से ली जाय तो समय की बचत हो सकती है। किसान को 6-12 महीने में ऋण नहीं मिलता है तो मैं समझता हूं एक-डेढ़ महीने में ऋण मिल सकता है। इसके अतिरिक्त सहकारी शिक्षा प्रणाली जो आजकल चल रही है उसके लिए निवेदन करूंगा कुछ कार्य नहीं हो रहा है। इसका पूरा एग्जामिनेशन करवाया जाय और यह मालूम किया जाय कि सहकारी शिक्षा में क्या प्रगति हुई है। इसकी एन्क्वायरी और एग्जामिनेशन करवा कर सहकारी शिक्षा की प्रगति हो सके, इस ओर ध्यान दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बनवारीलाल।

श्री बनवारीलाल (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने समाज कल्याण विभाग के बारे में बहुत कुछ बताया। मेरी राय में समाज कल्याण विभाग बहुत ही बोगस विभाग है, बेकार विभाग है, इसका कोई उपयोग नहीं है। जो इसका बजट होता है अधिकांश रुपया इनकी तनख्वाहों में और टी. ए., डी. ए. में खर्च किया जाता है। विभाग के कर्मचारियों के लिए मोटर गाड़ियों पर खर्च किया जाता है। इस रुपये का उद्देश्य राज्य सरकार का पिछड़ी जाति को आगे बढ़ाने का है लेकिन इसमें खर्च नहीं किया जाता है, अन्य कार्यों में खर्च किया जाता है। इस विभाग को राज्य सरकार को समाप्त कर देना चाहिये। इस विभाग की आवश्यकता ही नहीं है, इसको क्यों रखा जाता है। मेरे ख्याल से इस विभाग को तोड़ देना चाहिये।

जब भी इस विभाग वालों से पूछा जाता है कि क्या काम किया तो कहते हैं कि दो काम किए हैं, एक तो छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। जहां तक छात्रों को छात्रवृत्तियां देने का प्रश्न है, अगर ये फण्ड्स एजूकेशन डिपार्टमेंट को अलॉट कर दिये जायें तो एजूकेशन डिपार्टमेंट ही छात्रवृत्तियां वितरित कर सकता है। यह कौनसी तुक

(श्री बनवारीलाल)

रहीं, मेरी तो समझ में नहीं आता कि पहले ये फण्ड्स इनको अलॉट किये जांय और फिर ये एजूकेशन डिपार्टमेंट को दें । क्यों नहीं डायरेक्ट एजूकेशन डिपार्टमेंट को ही छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के लिए फण्ड्स अलॉट कर दिए जाते हैं ।

दूसरा काम इस विभाग वाले बताते हैं कि हमने पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए मकान बनाये हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किसी भंगी या मोची को 750) रुपये मकान बनाने के लिये दे दिया तो क्या 750) रुपये में मकान बन सकता है ? आपकी एक लैट्रिन 750) में नहीं बनती है तो क्या किसी भंगी और मोची का 750) रुपयों में मकान बन जायेगा ? 750) में कोई मकान नहीं बन सकता । इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो 750) रुपये देने का हिसाब रखा है उसके स्थान पर इस धनराशि को बढ़ा कर दो या 2,500) हजार रुपये दे दियें जांय ताकि मकान पूरा बन जाय ।

तीसरा, इस विभाग वालों के पास और कोई काम नहीं है । लूले, लंगड़े, अपंगों को पेन्शनें, सहायता देनी चाहिये ताकि उन लोगों को लाभ मिल सके और वे आगे बढ़ सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आज कृषि विभाग में जो कृषकों को ऋण देने की व्यवस्था है, वह बहुत ही खराब है । जो ऋण किसानों को दिए जाते हैं उन ऋणों को लेने में किसानों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है, इन ऋणों को उठाने में ही किसानों का 60 परसेंट 50 परसेंट रुपया खर्च हो जाता है और बड़ी मुसीबत से किसानों को रुपया मिलता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि किसानों को ऋण देने की आज जो व्यवस्था है उसमें सुधार किया जाना चाहिए और ऋण बैंकों के द्वारा ऋण दिये जाने की व्यवस्था के स्थान पर डायरेक्ट गवर्नमेंट से ही ये ऋण दिए जाने चाहिए । आज जिन किसानों को अपने स्वतन्त्र विचार प्रकट करने का हौंसला है, उनके हौंसले को पस्त करने के लिए आप इन ऋण बैंकों के दबाव में उनको रखना चाहते हैं ? नहीं तो फिर किसानों को ऋण इन ऋण बैंकों के द्वारा न दिलाया जाकर डायरेक्ट गवर्नमेंट द्वारा ही दिया जाना चाहिए ।

इसके अलावा मैं कृषि मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों को जो बीज सप्लाई किया जाता है, उसमें बहुत गड़बड़ियां होती हैं और उससे किसानों को बड़ा नुकसान होता है । किसानों में संकर बाजरे का बीज बांटा गया, लोगों ने बड़ी उत्सुकता से संकर बाजरे का बीज लिया पर वह बीज फेल हो गया, उगा ही नहीं, इससे किसानों को बड़ा नुकसान हुआ, इसकी जिम्मेवारी आपके विभाग की होनी चाहिये और जिन किसानों को इस प्रकार का बीज देने से नुकसान हुआ, उन किसानों को आपके विभाग से मुआवजा दिया जाना चाहिये ।

इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और हमारे यहां की कृषि प्रकृति पर निर्भर करती है । कभी अतिवृष्टि से बाढ़ें आ जाती हैं, कभी अनावृष्टि से अकाल

(श्री बनवारीलाल)

पड़ जाते हैं कभी बीमारी आ जाती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि कृषकों को सुविधा देने के लिये कृषि बीमा योजना लागू करनी चाहिये ताकि किसानों को गारन्टी रहे कि यदि इस प्रकार की चीजें होती हैं तो राज्य सरकार बीमा योजना से हमें मुआवजा देगी।

अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे धौलपुर सब-डिविजन में ट्यूब वैल सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। पर जहां पत्थर हैं, हजारों फीट नीचे जाना पड़ता है ऐसी जगहों पर ट्यूब वैल्स खोदे जा रहे हैं और जहां ट्यूब वैल्स आसानी से सक्सेसफुल हो सकते हैं, धौलपुर सब-डिविजन में ट्यूब वैल्स सक्सेसफुल हो सकते हैं, वहां क्यों नहीं ट्यूब वैल्स खोदे जाते हैं। जहां ट्यूब वैल सक्सेसफुल नहीं हो सकते, वहां पर तो ट्यूब-वैल खोदे जाते हैं और जहां सक्सेसफुल हो सकते हैं, वहां ट्यूब वैल्स नहीं खोदे जाते हैं यह किस प्रकार की नीति है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि धौलपुर सब-डिविजन में ज्यादा से ज्यादा ट्यूब वैल्स खोदे जा कर किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने का मौका दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : कृषि मंत्री जी।

श्री शोभाराम (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी,....

श्री उपाध्यक्ष : भाषणों पर समय सीमा 25 मिनिट रहेगी।

श्री शोभाराम (कृषि मंत्री): माननीय सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये। लेकिन सबसे पहले मैं माननीय बासोतिया जी के सम्बन्ध में, जो उनको भ्रम है, उसका निराकरण करना चाहता हूं। उन्होंने एक मुद्दे की बात उठाई कि कुछ ए. आइज. को प्रोमोशन देने के बाद उनको डिमोट कर दिया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 62, 63 और 64 में डाईरेक्टर रिक्रूटमेंट किया नहीं हुआ, दूसरे जो विभाग थे, उनमें जो सरप्लस आदमी डिक्लेयर घोषित किये गये, उनको इस डिपार्टमेंट में एब्जोर्ब किया। और जिस डिपार्टमेन्ट से सरप्लस डिक्लेयर होते हैं उसका कायदा यह होता है कि जूनियर मोस्ट को, जिसका नम्बर सबसे नीचे रहता है, उसको सरप्लस डिक्लेअर करते हैं। 62 में दूसरे डिपार्टमेन्ट्स के जो जुनियर मोस्ट थे उनका 62 में एब्जोर्पशन हुआ और उसके बाद जो उनसे सीनियर थे उनको सरप्लस डिक्लेयर किया गया 63 में तो उनका एब्जोर्पशन 63 में किया गया, इसके बाद जो उनसे सीनियर थे उनको 64 में लगाया गया। इसके बाद प्रश्न उत्पन्न हुआ सरकार के सामने कि 64 में दीगर डिपार्टमेन्ट्स के लोग हमारे यहां एब्जोर्ब हुए उन्होंने कहा कि जो हमसे पहले सरप्लस हैंड्स एब्जोर्ब हुए हैं, वे भी टेम्परेरी थे हम भी टेम्परेरी थे, उन लोगों से हम बहुत ज्यादा सीनियर थे, उन्होंने हमारे नीचे काम किया था। यह देखा तो यह फैसला किया कि डेट ऑफ अपाइन्टमैन्ट से सीनियोरीटी जुनियोरीटी काउन्ट की जाय न कि डेट ऑफ एब्जोर्पशन से। तो जो डेट ऑफ एब्जोर्पशन से सीनियोरिटी काउन्ट करने से गड़बड़ हुई थी, उसके स्थान पर डेट ऑफ अपॉइन्टमेंट से जूनियोरिटी, सीनियोरिटी तय की गई। और जो जूनियर आदमी उनके ऊपर रख दिये गये थे और इस तरह से सीनियर

(श्री शोभाराम)
आदमी जूनियर हो गये थे उनको सीनियर बनाया गया ।

जब यह हमारे पास आए, 24 और 27 जून को इनके आॅर्डर जारी किए गए, इन्सपेक्टर्स एग्जीक्यूटिव के 24 को और 27 को इन्स्पेक्टर्स आॅडिटर्स के आॅर्डर जारी किये गये । 28 को यह आॅर्डर जारी किया गया कि जब तक गवर्नमेंट, जो रिप्रेजेन्टेशन्स आये हैं, उनका फैसला नहीं करती है, तब तक पोस्टिंग आॅर्डर नहीं निकाले जाएं ।

श्री सांवरमल बासोतिया : हाई कोर्ट ने निर्णय दिया…

श्री शोभाराम : मैं अभी बताता हूं ।

दो तीन आदमियों के पोस्टिंग आॅर्डर निकल गए थे, उनको डिस्टर्ब नहीं किया गया है । बाकी के बारे में हाई कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया है ।

अब श्री लादूराम और एल. डी. सी. के बारे में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे नोटिस में जो आपने विचार प्रकट किए हैं, वे नहीं हैं । मैं जल्दी से जल्दी जानकारी करके, कौनसा एप्रोप्रियेट एक्शन लेना चाहिए, वह लेकर माननीय सदस्य के पास उसकी सूचना भेज दूंगा ।

श्री सांवरमल बासोतिया : लादूराम जी के कागज आपके विभाग से गायब हो गए हैं, मैं उनके कागज सदन की मेज पर पेश कर देता हूं ।

(श्री सांवरमल बासोतिया ने कुछ पत्र सदन की मेज पर रखे)

श्री शोभाराम : इसके बाद तीन-चार मुद्दे की बात हमारे सामने आई । दीर्घ-कालीन ऋण के सम्बन्ध में वितरण में देरी लगती है, पटवारी के स्तर पर, तहसीलदार के स्तर पर और भूमि मूल्यांकन और लीगल एडवाइजर हैं उनके स्तर पर, अनावश्यक देरी लगती है, इसके लिए कौनसी पद्धति का अनुसरण किया जाए, जिससे किसानों को जल्दी से जल्दी कर्ज मिल सकें । मैंने दो चार रोज पहले निवेदन किया था कि बीस, पच्चीस रोज पहले राज्य मंत्रीमण्डल ने फैसला कर दिया कि प्रत्येक किसान को पास-बुक दिलाई जाय । जो खाने दर्ज करने की बात है, उसमें खसरा नम्बर होगा, चाही की किस्म कौनसी है, बारानी की कौनसी है, उसका लगान क्या होगा, अगर वह जमीन किसी के यहां रहन रख दी है, या पास-बुक इश्यू होने पर मुन्तकिल करता है, तो ये सब इन्द्राज उसमें होंगे ।

यह फैसला करने के बाद लॉ विभाग की तरफ से प्रश्न प्रस्तुत किया गया कि जब तक हम पास-बुक के लिए एवीडेन्शयरी वैल्यू नहीं करार देंगे तब तक उसकी कीमत नहीं होगी क्योंकि पी. एल. एम. बी., सी. एल. एम. बी. देखना चाहती है कि जिस आदमी को कर्जा दिया जाता है उसकी ओनरशिप इसका स्वामित्व और टाइटल के बारे में कोई शक शुबाह तो नहीं है । यहां से शुरूआत की जाती है । मैं समझता हूं कि जब रेकार्ड में, इस पास-बुक के लिए रेवेन्यू कोड में इस प्रकार का प्रावधान कर दिया जाए इस पास-बुक के लिए एवीडेन्श्यरी वैल्यू कायम कर दी जाए और मुकदमें जितने चलते हैं दो पार्टीज के बीच में जिस प्रकार से और

(श्री शोभाराम)
रेवेन्यू रिकार्ड में कानूनी दृष्टि से महत्व दिया जाता है उसी प्रकार कानूनी दृष्टि से इसको महत्व दिया जायगा। तो मैं समझता हूं पास-बुक का बहुत महत्व बढ़ेगा और जब पास-बुक को ऋण पद्धति में मान लिया जाए तो इसके दो असर होंगे।

एक तो लैंड वैल्यूएशन के बारे में जो आज तक दिक्कत होती है, मार्केट वैल्यू के बारे में जानकारी करना चाहते हैं, भूमि मूल्यांकन करना चाहते हैं, उसकी जरूरत नहीं रहेगी। जो कुछ लैंड रेवेन्यू होती है उसको 200 या 300 गुना करने के पश्चात् टोटल ज्यादा से ज्यादा कितना कर्जा दिया जा सकता है, उसको हम फालो कर सकेंगे और उस सीमा तक कर्जा बिना किसी रोक के दिया जायगा, पास-बुक से यह फायदा होगा कि पटवारी के पास, तहसीलदार के पास जाने की और टाइटल पेश करने की, इन तीनों क्रमों की कोई जरूरत नहीं रहेगी लेकिन जितना ऋण का पैसा दिया जाय, जो रीपेमेंट की क्षमता है या भूमि का मूल्यांकन करने की पद्धति जोड़ रखी है, मैं समझता हूं कि पास-बुक पेश होने के बाद कर्जे की जो कुछ अधिकतम सीमा होगी, उसको मिलेगी।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : यह व्यवस्था कब तक होगी ? गत वर्ष भी डिक्लेयर किया गया था ?

श्री शोभाराम : यह राजस्व विभाग का काम है कि वह एवीडेन्श्यरी वैल्यू को किस तरीके से देखें।

श्री नाथूराम : राजस्व विभाग और सहकारिता विभाग जल्दी से व्यवस्था क्यों नहीं करते ?

श्री शोभाराम : इसलिए सोचा गया कि दो तीन आदमी, जैसे सिंचाई मंत्री हुआ, ऐसा विचार चल रहा है, कृषि मंत्री हो और राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में बैठ कर जल्दी से जल्दी इसकी क्रियान्वित किस प्रकार किया जाये, इस प्रकार की बातें चल रही हैं।

जहां तक पब्लिक इन्क्वायरी की जो बात थी, मैं ऐसा मान कर चलता हूं, जैसे पास-बुक पद्धति अमल में आवेगी, पब्लिक इन्क्वायरी करने की जरूरत नहीं रहेगी। तब तक हम किसी आदमी, चाहे वह ए. आर. ओ. हो चाहे सेक्रेटरी हो, उसको रखेंगे। पब्लिक इन्क्वायरी प्रणाली में जब एक तरीके से देखते हैं तो उसमें किसान की इज्जत पर कुठाराघात होती है तो मैं इस प्रकार की इन्क्वायरी को अनावश्यक समझता हूं लेकिन इसके प्रोविजन को हटाने से पहले जब तक दूसरी पद्धति जिसकी खास तौर से हमने चर्चा की है, वह पद्धति हमारे ऊपर लागू नहीं होती है तब तक चलेगी और पब्लिक इन्क्वायरी ऑफिसर के लिए आपने असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के बजाय सुझाव दिया सेक्रेटरी का या दूसरा सुझाव दिया तब तक पब्लिक इन्क्वायरी क्रम में किस प्रकार से ऐसा सुधार करें जिसमें किसान के लिए दिक्कत न हो, इस बारे में सोच रहे हैं।

दूसरी बात, जो मुख्यतः कही गई वह आर्टीजन्स के बारे में और लघु उद्योगों के बारे में कि औद्योगिक सहकारी समितियों के जरिए कर्जा नहीं मिलता है, इस तरह

(श्री शोभाराम)

की कुछ माननीय सदस्यों ने चर्चा की। खास तौर से माननीय शक्तावत जी ने प्रकाश डालने की कोशिश की। दो महीने पहले रिजर्व बैंक के चीफ ऑफिसर यहां पर आए थे और उन्होंने कहा कि औद्योगिक सहकारी बैंक जो वन-टायर सिस्टम के अन्दर काम करता है और नीचे उसकी शाखायें नहीं हैं, इसलिए औद्योगिक सहकारी बैंक की इस प्रकार से जरूरत नहीं। हर जिले के अन्दर अर्बन सहकारी बैंक की स्थापना की जाय, यह सिद्धान्ततः हमने कबूल किया और 22 किस्म के कर्जों की बात सोसायटीज की बात आपने कही उसके लिए कमीशन बिठाने की बात कही, मैं इस बात को मानकर चलता हूं कि चाहे कमीशन की शक्ल में हो चाहे कमेटी की शक्ल में हो जिसमें कि विभागीय सीनीयर मोस्ट अधिकारी सेक्रेट्री हो राजस्व विभाग का, एक डाइरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज हो और तीसरा बैंक की तरफ से इसका सर्वे करे और उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इस प्रकार लोगों को एक तरीके से ऋण देने की कितनी जरूरत पड़ेगी और किस तरीके से शुरूआत कर सकते हैं चौथी योजना में। किस तरीके से ये बातें हल हो सकती हैं, इनका कितना महत्व है, कितनी इसकी जरूरत पड़ेगी, शुरू शुरू में इसकी जानकारी करने के पश्चात् हम इस ओर अग्रसर हो सकेंगे।

कृषि इन्जीनियरिंग वर्कशॉप्स के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने जिक्र किया। मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक जो 4 या 5 इसकी ब्रांचेज के तरीके से वर्कशॉप्स चल रही थीं और जो पहले वर्कशॉप जो थीं झोटवाड़ा में, इसमें कठिनाई महसूस की गई, किसी गवर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट के लिए कमशियल बैंक कर्जा नहीं दे सकता। इसकी प्रगति ज्यादा अच्छी करने के लिए आप जानते हैं कि एग्रो-इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के नाम से एक संस्था स्थापित हो रही है और जहां तक अपनी सेक्रेटेरियट लेविल का सवाल है, उसके लिए हमने फाइनल कर दिया। जो समिति हमने माननीय श्री चंदनमल वैद की अध्यक्षता में बनाई थी उसकी रिपोर्ट आ गई है, उसकी रूपरेखा यह है कि जो कुछ भी संपत्ति हो गई उसमें 51 प्रतिशत राज्य सरकार का हिस्सा होगा और 49 प्रतिशत के करीब केन्द्रीय सरकार का हिस्सा होगा। फिलहाल हम ढ़ाई करोड़ की स्कीम से चलना चाहते हैं और हमारे पास जो पूंजी है इस समय चाहे बिल्डिंग्स चाहे रा मैटीरियल्स चाहे मशीनरी, करीब 80 लाख की आती है और 80 लाख के अलावा हमने बजट में प्रावधान किया है जिससे खास दो-तीन काम होंगे।

एक जो ट्रैक्टर्स इम्पोर्ट होते हैं उनकी एजेन्सी खास तौर से एग्रो-इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के लिए दिलाई जाय और उस क्रम में हमने यह तय कर दिया कि जितना कोटा आयगा और एग्रो-इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन बनने से पहले, नियम बनाये जायेंगे कि किस प्रकार से ये दिये जायेंगे; जिला लेविल पर कर दिया जायगा। वहां के कृषि उत्पादन को देखते हुए और हम हर जिले के अन्दर ट्रैक्टर्स को एक तरीके से वितरित करना चाहते हैं, टर्न बेसिस पर उसको प्राथमिकता देना चाहते हैं।

दूसरी बात की जो कृषि उत्पादन के कार्य में जो ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, अगर कमशियल परपजेज के लिए करना चाहते हैं उनके लिए किसी प्रकार

(श्री शोभाराम)

से कोटा नहीं मिलेगा, न उनको ट्रैक्टर मिलेगा।

ये दो-तीन बातें हमने सोची हैं। एक बात कही गई सर्विस स्टेशन्स की। हम जानते हैं कि यदि किसान के लिए कृषि औजार, टूल्स व प्लांट्स वगैरह इस्तेमाल करने की बात कहते हैं तो मरम्मत की व्यवस्था भी हमें करनी होगी। एग्रो-इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन का सबसे पहला उद्देश्य यह है कि जहां मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स काम करें वहां सर्विस स्टेशन्स जिला स्तर पर और आहिस्ते आहिस्ते ज्यों ज्यों समय बीतता जाय तो इन्टीरियर में भी सर्विस स्टेशन्स की स्थापना करें, हम इस बात को मानकर चलते हैं और महसूस करते हैं कि आखिर किसी खेत पर कोई ट्रैक्टर खराब होता है तो उसको कम से कम 100-150 मील के फासले पर ले जाना पड़ता है और 5-7 रोज अनावश्यक तरीके से बरबाद हो जाते हैं और इस बीच में खेती पर कुप्रभाव पड़ता है। इसलिए सर्विस स्टेशन्स की बात कबूल की।

अब मैं अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के सिलसिले में निवेदन करना चाहता हूं हमने दो प्रकार की स्कीम्स चलाई थीं। एक स्कीम तो चली थी 1956-57 या 1957-58 में जिसमें 30-31 के करीब एक्सप्लोरेशन के लिये जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी, जो ई. टी. ओ. ने काम किया, प्लान सीलिंग के अन्दर था उसके अन्दर ट्यूब वैल्स कायम किए और दूसरे 64-65 के पश्चात् ई.पी.ओ.ने नल कूप खोदे। उनमें से कुल मिला कर 140 कामयाब हुए हैं। 140 के लिए समय समय पर चर्चा हुई है। 101 तो पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट को दिये गए हैं। ड्रिंकिंग परपजेज के लिए। 39 हमारे पास हैं। फेमीन के सिलसिले में 80 ट्यूब-वैल्स खोदने की जिम्मेदारी ली थी। तीन-चार दिन में यह वर्ष समाप्त हो रहा है, 80 में से 90 परसेन्ट सक्सेसफुल ट्यूब वैल्स खोद कर तैयार कर देंगे।

(करतल ध्वनि)

एक बात सामने आती है। आखिर यह एक सबसे बड़ा प्रश्न है। वह माननीय विश्नोई जी ने प्रस्तुत किया है कि दस हजार गैलन्स से नीचे की क्षमता वाले ट्यूब वैल्स हैं उनका पीने के पानी के लिए उपयोग किया जाय और उससे ऊपर है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए उपलब्ध हो। इस प्रकार का काम शुरू किया जाय यह सबसे बड़ा सवाल है। जिन क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या नहीं है और ट्यूब वैल्स हैं और जो कृषि के लिए काम में आ सकते हैं इन तीनों केटेगरीज के लिए क्या व्यवस्था की है। जहां तक मैं समझ पाया हूं अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड की भी एक सीमित जिम्मेदारी है। कुएं तैयार करके सुपुर्द करदें ड्रिंकिंग वाटर के लिए या चाहे क्षेत्रीय योजना में लें या जैसी चाहे व्यवस्था करें। उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। एग्रीकल्चर, एनीमल हस्बेन्डरी, को-ऑपरेटिव, इर्रीगेशन सक्षम हो सकते हैं कि इन कुओं से कृषि उत्पादन के लिए पानी निकाल कर किसानों को सप्लाई किया जाय। मैंने तीन-चार दिन पहले ही माननीय सदस्य से दरख्वास्त की थी कि हम इस पर विचार कर रहे हैं कि भू-गर्भ जल मंडल की ओर से कुएं तैयार हो जाते हैं उनको कौन रन करे, वर्क करें, यह राजस्थान सरकार के सामने

(श्री शोभाराम)

बुनियादी फैसला विचाराधीन है। हो सकता है माननीय सदस्य इस बात के लिए तैयार हों कि को-ऑपरेटिव सोसायटी इसको रन करे, एक ट्यूब वैल की कीमत जितनी होती है जो हमने निर्धारित की है उसको नो लोस नो प्रोफिट पर चलाने के लिए तैयार हों तो हम ऐसी को-ऑपरेटिव सोसायटी को हस्तान्तरित कर सकते हैं। अगर वह लेने के लिए तैयार न हो तो दो इन्स्टीट्यूशन्स रह जाती हैं एक पंचायत समिति और दूसरा इर्रीगेशन डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस प्रकार की एक्टीविटीज को लेने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हमारे पास फर्टीलाइजर का वितरण, पेस्टिसाइट और कीटाणु नाशक दवाइयों आदि की जिम्मेदारी है और दूसरी बढ़ती हुई जिम्मेदारियां भी हैं यदि पंचायत समिति और इर्रीगेशन इसको लेने के लिए तैयार हों तो हम देने के लिए तैयार हैं। इसका जल्दी से जल्दी फैसला अप्रेल के अन्त तक निश्चित रूप से कर देंगे कि जो ट्यूब वैल्स तैयार हो उनको कौन विभाग लेने के लिए जिम्मेदार होगा है ताकि कोई इसमें गफलत न हो।

एक बात और कहना चाहता हूं अलॉटमेन्ट के बारे में। माननीय सदस्य नाथूराम जी ने भी कहा। बहुत से गरीब किसान हैं जिनको जमीन का अलॉटमेन्ट हो गया। दस साल तक भी उनको प्रोप्राइटरी राइट्स नहीं मिलते हैं। क्या यह ठीक होगा कि दस साल तक बिना विकास किये उस जमीन पर गरीब बन कर ही बैठे रहें ? उनको कर्जा मिलना चाहिये। मैं भी यही मान कर चलता हूं कि उनको कर्जा मिलना चाहिये। मंत्रिमंडल के सामने यह प्रश्न जब आया तो तीन आदमियों की एक कमेटी बना दी गई है। उनको खातेदारी राइट्स प्रदान कर दिये जांय ताकि लोन वगैरा की बात हो तो जमीन को मार्टगेज करके लोन वगैरा ले सकें। स्टेट गवर्नमेन्ट ऐसे बैंकों को गारन्टी दें जो कि उनको लोन देते हैं। पहले वाला सुझाव क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी आवश्यक कार्यक्रम तैयार करके निर्णय लिया जावेगा।

एक बात और कहना चाहता हूं। हम इस बात को मान कर चलते हैं और हम उसको कर रहे हैं, जहां 51, 52 में 29 लाख टन खाद्यान्न की स्थिति थी और फर्टीलाइजर, इम्प्रूव्ड वैराइटीज ऑफ सीड्स, पेस्टीसाइट्स वगैरा के बिना जो खाद्यान्न की पैदावार होती है वह तो 44 लाख टन ही होता है और जो अतिरिक्त 16 लाख टन ज्यादा पैदा किया तो निश्चित रूप से मान कर चलते हैं कि 35, 40 परसेन्ट के करीब बढोतरी फर्टीलाइजर, इम्प्रूव्ड वैराइटी आफ सीड, मार्केटिंग फेसिलिटीज वगैरा के कारण से हुई है। यह जो कुछ भी प्रगति हमने की है वह संतोषजनक नहीं है। एग्रीकल्चर फाइनेन्स कार्पोरेशन की तरफ से एक स्कीम आयी है। इन्टीग्रेटेड एग्रीकल्चरल डेवलपमेन्ट स्कीम। यह बड़े महत्व की स्कीम है। किसान को जो जरूरत है उसको मिलना चाहिये। होम डिलिवरी किस प्रकार हो यह अन्तिम लक्ष्य है। होम डिलिवरी के लिये जो कमजोर आदमी पड़ता है उसके लिये क्रेडिट फैसेलिटी कैसे दी जाय यह एक सिद्धान्त रूप में बात हमारे सामने निहित है। इनको लेकर चलने की कोशिश करते हैं तो कई प्रकार की समस्यायें आती हैं। जहां तक कीटाणु नाशक दवाइयों का सवाल आता है रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया

(श्री शोभाराम)
के पास जाकर हम यह कहना चाहते हैं कि छिड़कने की जो मशीन होती है उसके लिये भी कर्जा अल्पकालिक या मध्यकालिक हो वह किसानों को मिल जाना चाहिये और जब उनको मिल जावेगा तो ट्रेनिंग की व्यवस्था कर देंगे। बीज के स्टोरेज आदि का सवाल पैदा होता है। अब तक नेशनल सीड कार्पोरेशन खास कर हाई ब्रीड वगैरा के लिये करता था, कई प्रकार के नये बीज, संकर मक्का, गेहूं में सोना, कल्याणी, कई प्रकार के नये किस्म के बीज निकले हैं उन्नत किस्म के, हम चाहते हैं दो चीजों की व्यवस्था हो, एक प्रोसेसिंग यूनिट की और दूसरी गोडाउन की क्षमता। इस सम्बन्ध में हमने रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया के अफसरों से बात की। मार्केटिंग सोसाइटी को कर्जा दिया जाय। कृषि विभाग के डाइरेक्टर, रजिस्ट्रार मिल कर योजना बनायें तो दस पन्द्रह वर्ष में लोंग टर्म प्लान बनावें गोदामों के लिए मैं समझता हूं कि यह स्कीम कामयाब होगी तो किसानों को काफी फायदा होगा।

समय के अभाव में मैं, बहुत से कटोती प्रस्तावों का उत्तर नहीं दे सका हूं। मैं उन सभी माननीय सदस्यों को जो सवालात उन्होंने इन कटोती प्रस्तावों के जरिये उठाये हैं, उनका उत्तर लिख कर उनको भेजने की चेष्टा करूंगा। इतना ही कह कर मैं यह उम्मीद करता हूं कि इन दोनों मांगों को आप स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री नाथूराम : मेरा छोटा सा प्रश्न है। आदिवासियों को जो सब्सीडी दी जाती है, उसका आधार क्या है? इस साल किस किस जिले में कितना कितना धन रखा है?

श्री शोभाराम : सब्सीडी का एक प्रोग्राम होता है। यह उसमें देते हैं जो हिल्ली एरिया, पहाड़ी क्षेत्र हो, शिड्यूल ट्राइब्स के क्षेत्र हैं उनमें 75 प्रतिशत अनुदान और 25 प्रतिशत के करीब लोन है। यह भू-संरक्षण के लिये है बाकी डिपार्टमेंट्स ने सब्सीडी देना बंद कर दिया है।

श्री नाथूराम : इस साल जो सब्सीडी वितरण हुई है, वह पक्षपात पूर्ण ढंग से हुई है। उस पर विशेष ध्यान दिया जाये।

श्री हंसराज आर्य : मैं यह जानना चाहता हूं कि भूमि विकास और भूमि बंधक बैंक किसानों को लोन देना चाहता है किन्तु किसानों पर यह पाबन्दी लगी कि किसान अपने खेतों पर मकान नहीं बनावें, पानी के टांके नहीं बना सकते हैं जबकि किसानों के अपने अपने खेत 5-6 मील की दूरी पर हैं और खेती में उनको इसके बनाने से लाभ मिलता हैं?

श्री शोभाराम : माननीय सदस्य इस बात की चर्चा कर रहे हैं। मैंने उन्हें यह आश्वासन दिया है कि संबन्धित अधिकारी को बिठाकर. उसमें आपको भी आमन्त्रित किया है, चर्चा कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इतने अधिक प्रश्न नहीं पूछें।

श्री रतनलाल रोत

श्री रतनलाल रोत : उपाध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर जिले के अन्दर रहट लगाने, कुओं को और अधिक गहरा करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिये अधिक धनराशि की आवश्यकता है। मैं मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे कुओं को अधिक गहरा करने, रहट लगाने के लिये अधिक धनराशि दें।

श्री मूलचंद डागा : पाली तहसील में घाटवा में बांडी नदी है। इसके किनारे मैंने एक नलकूप लगाने की प्रार्थना की थी। वहां की पंचायत समिति ने 5,000 का ऑफर किया है। आप जांच करवा लीजिये और वहां के दानी-मानी सेठ से यह रकम लीजिये, जो देने के लिये तैयार हैं।

श्री शोभाराम : आप और हम बैठकर बात करलें।

श्री वृद्धिचंद जैन : भू-जल प्राप्ति के लिये आप राजस्थान में नये सिरे से सर्वेक्षण कराने का विचार रखते हैं ?

श्री शोभाराम : माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र जो आदिवासी क्षेत्र हैं, विशेष प्रावधान रखा जाये। इन जिलों के लिये मैं यह बता देना चाहता हूं कि 68-69 में भी विशेष प्रावधान 17 लाख का रखा गया है। मैं समझता हूं कि इसी तरह का प्रावधान हम डूंगरपुर जिले के लिये भी बैठकर कर सकते हैं।

आपका जो सवाल है उस पर ज्योलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया काम कर रहा है और उसने अपना यह काम समाप्त कर दिया है। अब जो स्कीम है, उसकी तरफ हम ध्यान देना चाहते हैं। हमारा एक प्लान्ड प्रोग्राम होना चाहिये कि हम राजस्थान में कहां कहां इस प्रकार का चुनाव करते हैं। चुनाव करते समय जो सड़क, ट्यूब वैल्स का सवाल है, वह देखना चाहिये। 60 के करीब ट्यूब वैल्स बन रहे हैं। कई जिलों के हिस्सों में सर्वे नहीं हो सकता है। वहां पर सर्वे कराने की बात हम सोच सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : राज्य मन्त्री, पशुपालन विभाग।

श्री मनफूलसिंह (राज्य मन्त्री, पशुपालन विभाग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पशुपालन विभाग की मांगें कुछ आई हैं लेकिन कोई भी माननीय सदस्य, केवल एक माननीय सदस्य को छोड़ कर पशुपालन विभाग के सम्बन्ध में चर्चा नहीं की। बाकी किसी भी माननीय सदस्य ने इस विभाग के लिये कटमोशन्स नहीं दिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसे सन्तोषजनक मानें।

श्री हंसराज आर्य : आप यह न समझें, हम बोलना चाहते हैं।

श्री मनफूलसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्यों को पशुपालन विभाग के प्रति संतोष है कि काफी अच्छा काम पशुपालन विभाग कर रहा है। राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है जो पशुओं के सम्बन्ध में, पशुधन के सम्बन्ध में एक विशेष स्थान हिन्दुस्तान में रखता है। मैं सबसे पहले माननीय रघुनाथजी ने जो एक सांचोर में कैटल ब्रीडिंग फार्म खोलने के बारे में कहा है, उसके लिये

(श्री मनफूलसिंह)

निवेदन करना चाहता हूं। वैसे राजस्थान में जितनी भी गायों की नस्लें हैं, पशुओं की नस्लें हैं, उसके लिये सभी नस्लों में हमने कैटल ब्रीडिंग फार्म खोले हैं लेकिन जो सांचोर की ब्रीड है, वहां पर हम अभी तक कोई कैटल ब्रीडिंग फार्म नहीं खोल पाये हैं। इसके लिये मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम भविष्य में यह विचार रखते हैं वहां पर एक कैटल ब्रीडिंग फार्म खोला जाय।

दूसरा पशु पालन विभाग काफी इस बात के लिए कोशिश कर रहा है कि जितने भी राजस्थान के अन्दर पशु हैं उनमें अच्छी नस्ल तैयार की जाय। इस साल यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे राजस्थान के अन्दर बड़ा भारी अकाल पड़ा इससे पशुओं को क्षति पहुंची लेकिन मैं यह मान कर चलता हूं कि जितने भी पशु राजस्थान के अन्दर इस फेमिन के अन्दर मरे हैं-उनमें 95 प्रतिशत खराब नस्ल के पशु मरे हैं। अच्छी नस्ल के पशु जितने भी हैं, उनको उनके मालिकों ने, मैं यह समझता हूं कि बचाया है। मैं यह समझता हूं कि हमारे गगानगर जिले में 15 हजार गायें ऐसी गयी हैं जिनका कि कोई मालिक नहीं है और वे गायें वहां ऐसी हैं; उनके लिए यह चिन्ता है कि वे फेमीन के खतम होने के बाद कहां छोड़ी जावें। इसके बावजूद 50-60 हजार गायें और गई हैं जो कि मालिक ले गये हैं और वे अच्छी नस्ल की हैं। वे वहां अच्छी हैं। उनको आप खरीदना चाहते हैं उनसे पूछना चाहें कि कितनी कीमत की है और बेचना चाहते हैं तो वे इन्हें बिलकुल बेचना नहीं चाहते हैं। मैं यह मान कर चलता हूं कि राजस्थान के अन्दर अगर हम ज्यादा से ज्यादा कैटल ब्रीडिंग का काम करेंगे, अच्छी नस्ल का काम करेंगे, तो मैं समझता हूं कि काफी धन राजस्थान के अन्दर पशुओं के द्वारा आ सकता है। हमारा पशुधन अच्छी नस्ल का है और हमारा पशु विभाग इसके लिये बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसने कई जगह सांड वितरण किये हैं। पंचायत समितियों को सांड दिये हैं। पंचायत समितियों में, मैं समझता हूं, राजस्थान के अन्दर ऐसी नहीं है जिन्हें सांड का वितरण नहीं किया गया हो। महत्वपूर्ण काम है कैटल ब्रीडिंग का। यह राजस्थान में हो जाय तो मैं समझता हूं राजस्थान का किसान अच्छा खुशहाल हो सकता है। राजस्थान में किसान का अगर कोई बल है तो पशु है और अगर किसान का पशु अच्छा नहीं हैं, तो मैं समझता हूं कि वह काफी कमजोर है। वह अच्छा धनशाली और खुशहाल नहीं हो सकता। अच्छी नस्ल का पशु उसके पास है, गायें हैं, बैल हैं तो वह किसान बहुत धनशाली और खुशहाल हो सकता है। एक किसान के पास दस गायें हैं और एक गाय दस दस सेर दूध देती है तो वह डेढ़, दो हजार की कीमत की होती है। तो मैं समझता हूं वह किसान धनशाली है। बहुत से पशु मेले विभाग की तरफ से लगाये जाते हैं। इन मेलों के अन्दर अच्छे बैलों की बिक्री होती हैं। राजस्थान के अन्दर पशुओं की अधिक बिक्री होती है पशु मेलों के द्वारा जो कि जाहिरा बात है। और मैंने यहां तक देखा है कि करौली में पिछले पशुमेले पर मैं गया तो राजस्थान की ही एक ऐसी बैलों की जोड़ी थी जिसकी कीमत सात हजार रुपया थी। यह सुन कर आपको ताज्जुब होगा। इसी तरह नागौर और परबतसर में भी तीन-तीन चार-चार हजार की कीमत तक की बैलों की जोड़ियां मिल

(श्री मनफूलसिंह)

जाती हैं और अगर सदस्यगण अपने अपने क्षेत्रों में और गांवों में सहयोग देंगे तो किसानों को आप सबसे अधिक खुशहाल बना सकते हैं इस पशुधन को बढ़ा कर। भेंड़ें अच्छी नस्ल की हैं, भेंस अच्छी नस्ल की हैं, गायें और बैल अच्छी नस्ल के हैं और इस नस्ल को और अच्छी बनाने के लिए उसे और अधिक उन्नत और विकसित करने के लिये हम बाहर से अच्छी नस्ल के सांड मंगवा रहे हैं जरसी सांड भी बाहर से मंगा चुके हैं जो कि जयपुर, उदयपुर, और बीकानेर में हैं और उनसे लाभ उठाया जा रहा है। और भी हम ब्रीडिंग फार्म्स खोल रहे हैं। आप यह सुनकर ताज्जुब करेंगे कि विजयनगर (गंगानगर) में आठ हजार का एक सांड मंगवाया गया है। तो आप ताज्जुब करेंगे कि आठ हजार का भी एक सांड हो सकता है। इससे नस्ल बहुत उन्नत होगी। आज आप देख रहे हैं कि हमारी गायें दो तीन सेर दूध देती हैं जब कि अमेरिका में एक एक गाय एक एक मन दूध देने वाली हैं, डेनमार्क में हैं, आस्ट्रेलिया में हैं। तो इसी तरह अगर हमारे किसान के पास एक एक मन दूध देने वाली गायें हों तो किसानों की सारी गरीबी दूर हो सकती है।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

हमारा मछली विभाग है। 61 में हमने बाहर से अंड़े मंगवाये थे। तब से पांच हजार अंड़े बाहर से मंगवाते रहे। पर आज हम कम से कम 25-30 हजार अंड़े डेली राजस्थान से बाहर भेज रहे है। इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि हमारे यहां कितनी सम्पत्ति बाहर से आ रही है।

इस तरह से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मछलियों के अंड़े भी हमारे पास 70 लाख राजस्थान के तालाबों में पल रहे हैं। इससे अन्दाज लगा सकते हैं कि हम कितनी मछलियां पैदा करेंगे। कई प्रकार की नस्लें हैं जो कि हम ब्रीड करेंगे। उससे हमारे यहां काफी धन पैदा होगा।

(समय समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि 57 से पहले हमारे राजस्थान में मत्स्य विभाग से एक लाख की आमदनी होती थी और आज 13 लाख की आमदनी है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम काफी बढोतरी कर रहे हैं और आगामी चतुर्थ योजना में 50 तालाब ऐसे और पाश्चर करें कि पचास लाख की साल की आमदनी हो सके। इस तरह मछली विभाग राजस्थान को काफी धन दे सकता हैं। काफी तरक्की कर सकता है तो इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें हम पीछे नहीं हैं। काफी प्रगति कर रहे हैं।

ऊन विभाग के सम्बन्ध में भी थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं कि कई सदस्यों के द्वारा कट मोशन्स भी इस बारे में आये हैं और यह भी कहा गया कि इस विभाग में भ्रष्टाचार हुआ हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस विभाग में पिछले दो तीन सालों में भ्रष्टाचार हुआ है। कुछ लोगों ने गड़बड़ियाँ की हैं। लोगों को दोषी लोगों को दण्ड मिला है। पर भविष्य में इस विभाग का एक बोर्ड बना रहे हैं जो स्वचालक होगा। काफी लोन भी वह ले सकेगा, काफी तरक्की इस तरह वह कर सकेगा।

(श्री मनफूलसिंह)

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं इतना ही कहकर यह निवेदन करता हूं कि पशुपालन विभाग राजस्थान के लिए एक देन है और इसमें काफी तरक्की हो रही है आगे भी तरक्की करने की कोशिश करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राज्य मंत्री, समाज कल्याण।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विभाग के सम्बन्ध में केवल दो डिमाण्ड थी उनका जवाब देने से पहले कुछ आम बातों के बारे में निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: समय केवल तीन मिनिट का ही है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : समय पांच मिनिट और बढ़ाया जावेगा तो अच्छा होगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह विभाग सरकार के अन्य विभागों के माध्यम से काम करता है। प्रत्येक विभाग का अन्तिम लक्ष्य हैं समाज का उत्थान और कल्याण। तो इसके बारे मैं निवेदन करूंगा कि असल में यह वह विभाग है जो वर्तमान सरकार के कल्याणकारी स्वरूप को पूरी तरह से सही तौर पर प्रतिविम्बित करता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के द्वारा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार पर समाज के उत्थान का दायित्व डाला है। पिछड़े वर्ग के सामाजिक और आर्थिक संरक्षण का भार भी इस विभाग पर है और उस दायित्व को वहन करने वाला और उसका परिपालन करने वाला भी यह विभाग है।

(तालियां)

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान वित्तीय स्थिति की पृष्ठभूमि में यद्यपि सारे प्रयत्न करने पर भी इतना प्रावधान नहीं कर पाये हैं जितना आवश्यक है पर इसकी पूर्ति इस प्रकार करनी पड़ेगी कि राज्य सरकार के जो अन्य विभाग हैं उनके द्वारा जो विभिन्न डवलपमेंट के काम कराये जावें उनकी स्कीम कुछ ऐसी बनाई जावे उनके लिए प्रावधान कुछ ऐसा किया जावे कि मैक्सिमम बैनिफिट इनका समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को मिल सके और उनका पिछड़ापन दूर हो सकेगा।

(तालियां)

इसके अलावा और निवेदन करना चाहूंगा कि यह खुशी की बात है कि अगले वर्ष के लिए जो गांधी शताब्दी वर्ष है सामान्य बजट के अलावा पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए विशेष प्रोग्राम बनाया है।

चूंकि समय बहुत कम है इसलिए सिर्फ यह निवेदन करना चाहूंगा कि दो कट मोशन्स इस विभाग के बारे में यहां रखे गये हैं। यह सम्भव नहीं था कि इन दो ही कट मोशन्स के जरिये विभाग की सारी खामियां सदन में आ जाती। मैं मानता हूं आज भी काफी खामियां इस विभाग में हैं और हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि इनको जितना जल्दी हो सके दूर किया जाय। इस विभाग को माननीय सदस्यों का बहुत सह-

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

योग प्राप्त है। उनकी बड़ी कृपा है, काफी सहानुभूति हैं और ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर इस विभाग के कार्यों से सब को सन्तोष है।

इसके अलावा यह भी कहना चाहूंगा। एक बात कही गई।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। मागों पर मतदान।

मुखबन्द का समय आ गया है।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5 करोड़ 10 लाख 33 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20 मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1 करोड़ 72 लाख 52 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशु पालन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,92,58,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक–39 विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,48,71,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

शेष मांगे मुखबन्द का प्रयोग करके मतदान के लिए प्रस्तुत की जाती हैं।

अनुदानों की मांगों पर मुखबंद

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी-कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,70,9,0000 रु. तक की राशि प्रदान की जावें ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12—बिक्री-कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 88,56,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे ?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13–अन्य कर व महसूल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 18,46,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 14–स्टॉम्प्स के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,82,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 7, मुख्य शीर्षक 15–पंजीयन शुल्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,26,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 18–संसद्, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान सभा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 37,36,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,39,45,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19,93,00,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 65-निवृत्ति वेतन और अन्य निवृत्ति लाभ, 72 निवृत्ति वेतनों का संराशिकरण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,83,82,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे ?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 30, मुख्य शीर्षक 66–प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 31, मुख्य शीर्षक 67–भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,50,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71–विविध के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,26,33,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 76–अन्य विविध क्षतिपूर्ति और अभिहस्तांकन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 97,14,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 92–भूमिधारकों आदि को जमींदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति देय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,00,00,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94–जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,54,65,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 95–कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले

(श्री उपाध्यक्ष)
वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,90,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 120—निवृत्ति वेतनों के संराशिकृत मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12,00,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31, मार्च 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 23,06,66,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-था---राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 21,72,49,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधायी कार्य

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1969

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मन्त्री जी, विनियोग विधेयक।

वित्त मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1969 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1969 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1969 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही 1 अप्रेल, 1969 के 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 10 बज कर 41 मिनिट पर दिनांक 1 अप्रेल, 1969 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 405 की सूची)

स्थानीय विकास कार्य योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति, सिणधरी व पंचायत समिति बायतू को दी गयी राशि :—

वर्ष	पंचायत समिति, सिणधरी	पंचायत समिति, बायतू
1959-60	9,000)	9,000)
1960-61	30,136)	29,832)
1961-62	76,000)	76,000)
1962-63	15,000)	50,000)
1963-64	5,000)	—
1964-65	10,000)	—
1965-66	—	—
1966-67	10,000)	23,100)
1967-68	—	8,300)
1968-69	4,000)	—

1. पंचायत समिति, सिणधरी बाड़मेर एवं बायतू के ग्रामों की जो क्षेत्रिय योजनाएँ बनाई गई हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है:—

(ए) ग्राम शिकर, कुरला, रावतसर एवं चावा को बाड़मेर से पानी देने की योजना बनाई गई है जिसकी अनुमानित राशि 5,50,000/- रु० है।

ग्रामों की आबादी निम्न प्रकार से है:—

शिकर	2,356
कुरला	137
रावतसर	3,451
चावा	2,785

(बी) ग्राम भादरेस को और ग्राम कापूरड़ी सी.डब्लू.आर. (जिसमें बोथिया से पानी आता है) से पानी, पहुंचाया जायगा जिसके लिये रुपये 55,000/– की स्कीम बनाई गई है ग्राम भादरेस की आबादी 846 है।

Page No 100

(सी) ग्राम गागरिया, रानासर रामसर एवं देतानी को गडरारोड से पानी पहुंचाया जावेगा जिसकी अनुमानित राशि 10,04,000/- है इन ग्रामों की आबादी निम्नहै:—

गागरिया	392
रामसर	1,595
रानासर	862
देतानी	500

(डी) पंचायत समिति बायतू के ग्रामों को उन्डू ग्राम के ट्यूबवैल से पानी दिये जाने की योजना बनादी गई है जिसकी अनुमानित राशि 21,15,000/- है। इसमें निम्नलिखित ग्राम लिये गये हैं:—

बायतू चीमजी	1,801
बायतू भीमजी	2,358
बयातू पनजी	1,971
बायतू भूपजी	2,726
रतेउ	2,134
सार	1,033
कानोद	1,800
कोलू	2,166
उन्डू	2,100
कोसरिया	1,840
पूनावदा	1,216

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 573 की सूची)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE DEPARTMENT

From :

The Revenue Secretary, to the; Government of Rajasthan.

To :

The Commissioner,
JODHPUR.

No. F. 4(275) Rev.I/52. Dated Jaipur, the 30th June, 1953.

I am directed to invite your attention to Chapter IV of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, and to state that provisions relating to Khudkasht lands in the Marwar Land Revenue Act, 1949 stand superseded by the provisions relating to Khudkasht in the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act. It has, however, come to the notice of the Government that steps are being taken by some landlords to get lands declared as Sir under the Marwar Act. This is clearly against the law and Collectors and Sub-Divisional Officers should be asked immediately to stop such proceedings if any are in progress and not to initiate such proceedings any further under the Marwar Land Revenue Act, 1949.

Revenue Secretary.

Copy forwarded to the Commissioner, Jaipur for information. The same applies to the laws of Jaipur in respect of Khudkast lands.

for Revenue Secretary.

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 141 की सूची)

समय	नाम रखे गए कर्मचारी	समय एवं नाम हटाये गये कर्मचारी	समय एवं नाम निलम्बित किये गये कर्मचारी	कारण
1	2	3	4	5
सितम्बर, 65	श्री शान्तीलाल सहायक अध्यापक	अप्रेल, 66 श्री शान्तीलाल		अस्थाई नियुक्ति थी ग्रीष्मावकाश प्रारम्भ होने के कारण हटा दिया गया ।
6-12-66	श्री शान्तीलाल सहायक अध्यापक	6-3-67 श्री शान्तीलाल		अस्थाई नियुक्ति थी नियोजन कार्यालय से बी. एस. टी. सी. प्रशिक्षित व्यक्ति प्राप्त होने पर हटा दिया ।
3-7-67	श्री आनन्दीलाल सहायक अध्यापक	16-1-68 श्री आनन्दीलाल		त्याग पत्र दे दिया ।
1-4-68	श्री ओमप्रकाश	16-5-68 श्री ओमप्रकाश		अस्थाई नियुक्ति थी ग्रीष्मावकाश प्रारम्भ होने के कारण हटा दिया गया ।

1	2	3	4	5
1-7-68	श्री बाबूलाल सहायक अध्यापक	— चालू है ।		—
1-6-67	श्री गोगराज चपरासी	23-6-67		अनुपस्थित रहने के कारण सेवा मुक्त किया गया ।
12-9-67	श्री नातूराम, चपरासी	31-10-67 श्री नातूराम		त्याग पत्र दे दिया ।
1-11-67	श्री गजानन्द, चपरासी	चालू है ।		—
			23-10-67 श्री अमरसिंह प्रधानाध्यापक	अनुशासनहीनता एवं अन्य गम्भीर आरोपों की जांच के प्रसंग में निलम्बित किया गया ।

Sd.
Administrator,
Municipal Board,
Ratangarh.

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 165 की सूची)

अनिवार्य शालाओं की सूची

नाम शाला	अध्यापकों की संख्या द्वितीय वेतन शृंखला	अध्यापकों की संख्या तृतीय वेतन शृंखला	प्रतिशत अनुदान सहायता
1	2	3	4
जिला बीकानेर:—			
1. अनिवार्य शाला नं० 1	—	5	70
2. ,, ,, 2	—	5	70
3. ,, ,, 3	—	6	70
4. ,, ,, 4	—	2	70
5. ,, ,, 5	—	5	70
6. ,, ,, 6	—	5	70
7. ,, ,, 7	—	5	70
8. ,, ,, 8	—	5	70
9. ,, ,, 9	—	6	70
10. ,, ,, 10	—	5	70
11. ,, ,, 11	—	6	70
12. ,, ,, 12	—	5	70
13. ,, ,, 13	—	5	70
14. ,, ,, 14	—	5	70
15. ,, ,, 15	—	5	70
16. ,, ,, 16	—	5	70
जिला गंगानगर:—			
1. नगर परिषद् उ. प्रा. गंगानगर	1	17	70
2. नगरपालिका उ. प्रा. रायसिंहनगर	1	13	70
3. नगरपरिषद्, प्रा. शा. नं. 1 गंगानगर		2	60

1	2	3	4
4. नगर परिषद्प्रा. शा. नं. 2 गंगानगर	—	3	60
5. ,, ,, 3 ,,	—	5	60
6. नगरपालिका प्रा. वि. नं. 1 सांगरिया	—	5	—
7. ,, ,, 2 ,,	—	3	—
8. ,, ,, हनुमानगढ़	—	5	—
9. ,, ,, सूरतगढ़	—	5	—
10. ,, ,, भादरा (बालमन्दिर)	—	10	60
11. अनिवार्य शिक्षा प्रा. विद्यालय नोहर	—	3	70
जिला चूरू—			
1. सुजानगढ़ प्राथमिक संख्या 6	—	30	70
2. सरदार शहर प्राथमिक संख्या 3	—	15	70
3. राजगढ़ प्राथमिक संख्या 4	—	18	70
4. रतनगढ़ प्राथमिक संख्या 1	—	5	70
5. राजलदेसर प्राथमिक संख्या 1	—	5	70
6. चूरू प्राथमिक संख्या 3	—	15	70
7. चूरू उ. प्रा. संख्या 1	— (2)	7	70

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 406 को सूची)

तालिका जवानों के रिफ्रेशर कोर्स के बारे में ।

क्रम सं.	रेन्ज का नाम/जिले का नाम	जवानों की संख्या	संख्या टुकड़ियां (प्रति वर्ष)
1	2	3	4
1.	बीकानेर रेन्ज		
	1. बीकानेर	14	4
	2. गंगानगर	21	4
	3. चूरू	12	4
2.	जोधपुर रेन्ज		
	1. पाली	14	4
	2. जोधपुर	17	4
	3. नागौर	16	4
	4. जालौर	8	4
	5. बाड़मेर	11	4
	6. जैसलमेर	8	4
	7. सिरोही	8	4
3.	उदयपुर रेन्ज		
	1. उदयपुर	44	4
	2. भीलवाड़ा	21	4
	3. चित्तौड़	25	4
	4. बांसवाड़ा	11	4

1	2	3	4
	5. डूंगरपुर	8	4
	6. कोटा	31	4
	7. बूंदी	11	4
	8. झालावाड़	16	4
4. अजमेर रेन्ज			
	1. जयपुर	30	4
	2. अजमेर	24	4
	3. भरतपुर	22	4
	4. अलवर	22	4
	5. सवाईमाधोपुर	15	4
	6. सीकर	15	4
	7. टोंक	13	4
	8. झुंझुनूं	12	4

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 422 की सूची)

सूची (अ) तारांकित प्रश्न संख्या 137

वर्ष 1968-69 के नये कार्यों की सूची

क्रम सं.	नाम कार्य	व्यय लाख रुपयों
1	2	3
1	निम्बाहेडा से पंगलवार	2.00
2	बीनोटा से बालोद	0.50
3	सी. डी. वर्क्स भदेसर मोनोफीया	0.50
4	भदेसर आरा माता जी	0.50
5	नोकूम का चोराहावा निम्बाहेडा मंगलवाडा रोड़	0.25
6	फतहनगर से ईटाली	0.50
7	फतहनगर से रेलमगरा	0.40
8	कंचन से फूलीया	0.60
9	काजखे शंकरगढ से जहाजपुर	0.25
10	मैटल्ड रोड ग्राम इटून्डा	0.40
11	पंडार से सावर	0.60
12	राष्ट्रीय मार्ग से ग्राम खोरी	0.40
13	लिंक रोड टेला माइल 24 से राष्ट्रीय मार्ग 8 जयपुर देहली रोड़	0.50
14	हरसोली से बीबीरानी	0.50
15	माचेरी से मंडावर	1.00
16	नीमराना से राष्ट्रीय मार्ग	0.45
17	बैरी से रामपुरा	0.50
18	एप्रोच रोड झुंझुनू नवलगढ़ से मुकुन्दगढ़	0.25
19	चिड़ावा से सूरतगढ़	0.50
20	झीनझीनी से गिराव	0.50
21	देवली से जैतारण	0.40
22	सोजत बिलाडा रोड़	0.40

1	2	3
23	चन्दराई से गुढा से बालोटन	0.15
24	तखतगढ़ चन्दराई	0.10
25	बालधरा से चून्डा वाया भूलेवा किशनगढ मोहीवान	0.15
26	घोन्दला सालरी से बांकली खेदा धरना	0.10
27	गोदम बादनवारी मीठारी देवास	0.10
28	बालेरा से बहावाराने	0.10
29	सादरी पावटा से पालासीया	0.10
30	अहोर से सानवारा	0.10
31	संचौर से सारवाना	0.20
32	पाली सिरोही से मेव ग्राम	0.05
33	रेन से कैली	0.40
34	पचपदरा सिटी से पचपदरा झील	0.25
35	गुलाबवाला से हरीन	0.50
36	केशरीसिंहपुरा से बिहेड	0.40
37	टी बी से रेल्वे स्टेशन	0.40
38	बार से कुचेरा राजाखेरा तहसील में	0.50
39	ब्रिज मांगली नदी के पास कारंजन ग्राम	0.25
40	सवनटिसनिया ब्रिज अकास नदी माही बांसवारा सागवारा रोड़	1.50
41	ब्रिज बनास नदी के पास जहाजपुर	2.50
42	वाइडनिंग ऑफ जवाहर ब्रिज 1 मील पर बांसवारा फालोद रोड़	1.00
43	ब्रिज पार्वती नदी सफाऊ धौलपुर रोड़	0.50
	योग	5.50

Page No 110

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 434 की सूची)

Office of the Medical Officer, Incharge, Camp Bundi
District Bundi

Dated 12-2-1969 up to 8.00 p.m.

	Out Door			Admission		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total
Surgical	333	128	461	184	43	327
Eye	695	668	1,364	193	164	357
Medical	701	364	1,096	—	—	—
Gynaecology	—	157	167	—	26	26
Dental	304	190	494	1	—	1
Total			3,541			611

OPERATIONS PERFORMED

	Male	Female	Total
1. Surgical	136	58	194
2. Eye	165	155	320
3. Sterilization	—	3	3
4. Vasectomy	4	—	4
I.U.C.D. loop insertions	—	9	9
Blood Transfusion	2		
Contraceptive distributed	433		
Health Exhibition visitors	9731		
Film show visitors	25,000		
Vaccination	99/113-212		
Malaria	—		
T. B. Clinic OPD	226		
Screening patients	214		
Positive by screening	95		
Sputum Examination	65		
Sputum positive for A. E. F.	17		
T.B. Cases diagnosed	35		
E.S.R.	11		

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 436 की सूची)

तारांकित प्रश्न संख्या 368/स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा श्री देवीदत्त गाडिया विधायक

विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को भवन निर्माणार्थ किए गये भू-आवंटन की सूची

क्रम सं.	शिक्षण संस्था का नाम	न्यास निर्णय/राज्य सरकार की स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक	आवंटित भूमि का क्षेत्रफल	योजना का नाम	दर	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	सन्मति पुस्तकालय	2-1-67	2,479.36 वर्ग गज	अर्जुनलाल सेठी नगर	1/-रु.	वार्षिक किराये पर
2.	श्री महेश्वरी स्कूल	18-12-58	7.8 एकड़	तिलकनगर	निःशुल्क	
3.	भारत सेवक समाज	25-3-65	3.61 एकड़	तिलक नगर	निःशुल्क	
4.	मॉडल हाउस	15-12-65	186.93 वर्ग गज	जालूपुरा	6,000/-रु.	भूमि एवं निर्मित भवन के
5.	खण्डेलवाल वैश्य स्कूल	12-2-49	4899.9 वर्ग गज	चान्दपोल बाहर	निःशुल्क	
6.	सेन्ट्रल स्कूल	12-10-65 (स्वीकृति राज्य सरकार)	15.00 एकड़	टौंक रोड़	4.50 रु.	प्रति वर्ग गज

1	2	3	4	5	6	7
7.	अहीर सभा (होस्टल निर्माणार्थ)	2-1-67	1,022.3 वर्ग गज	बजाज नगर	4.00 रु.	प्रति वर्ग गज
8.	इन्सटीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स	29-3-62	5,203.00 वर्ग गज	अजमेर रोड़	निःशुल्क	
9.	खण्डेलवाल वैश्य ब्रॉन्च स्कूल	30-10-61	14,683.7 वर्ग गज	हीदा की मोरी के बाहर	75 पैसे	,, ,,
10.	जैन सुबोध कालेज	3-3-66	10.00 एकड़	रामबाग के सामने	कुल रु. 50,000/-	
11.	गीता बजाज हैपी स्कूल	2-4-54 (स्वीकृति राज्य सरकार)	2.06 एकड़	मोतीडूंगरी रोड़	12/-रु.	प्रति वर्ग गज की दर पर (लीज पर)
12.	नेहरू आदर्श विद्यालय	23-7-66	3,009.33 वर्ग गज	आनन्दपुरी	5/-रु.	प्रति वर्ग गज
13.	मालियों की बगीची	—	—	आनन्दपुरी		
14.	बाल निकेतन हैपी स्कूल	—	—	मोतीडूंगरी रोड़		
15.	मुस्लिम हाई स्कूल	16-12-57 (दिनांक पट्टा)	—	,, ,,		
16.	श्वेताम्बर जैन हाई स्कूल	—	—	जनता कॉलोनी		

विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की सूची जिनके प्रार्थना-पत्र भू-आवंटन हेतु पैंडिंग हैं:—

1. आनन्द बाल मन्दिर, मोती डूंगरी रोड़, जयपुर।
2. आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी कालेज।
3. लादूराम चटशाला।
4. आदर्श नवीन बाल विद्यालय आनन्दपुरी।
5. टैगोर बाल विद्यालय।
6. प्रेम शान्ति विद्यालय।
7. मित्र ज्ञान विद्यालय।
8. बाल विद्या मन्दिर, सी स्कीम/बापुनगर,
9. प्राथमिक शाला, बजाज नगर, हरिजन कॉलोनी,

Page No 114

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 272 की सूचा)

सूची (अ)

1. जोधपुर नागौर रोड़
2. नागोर डीडवाना रोड मील 84 से 116
3. नागौर नोखा रोड
4. खींवसर ओसियां रोड
5. गीगलावा चन्डी रोड
6. नागौर से खजवाना रोड
7. आसोप से रोल वाया मून्डवा
8. शंखवास से कुचेरा
9. रोल से ज़ायल वाया मंगलोद
10. नागौर से सूपालिया
11. पादू से बडी घाटी
12. डेगाना से बोरून्दा
13. डेगाना से निम्बो
14. कुचेरा से खाटू
15. डेगाना से तरनाऊ
16. डेगाना से लिमपोलियां
17. पुनलोटा से मीरीसी
18. डेगाना से चन्दराऊ
19. मेड़ता सिटी से पादू
20. मेड़ता सिटी से पीपार
21. मेड़ता सिटी से कुचेरा
22. मेड़ता सिटी से खजवाना
23. असावरी से धभाया
24. मेड़ता शहर से गोटन
25. पादू से आलनीयावास

शुद्धि-पत्र

(बुधवार दिनांक, 27 मार्च, 1969)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
1	10	प्रश्न संख्या 54	554
7	7	ग्या	गया
18	अन्तिम से 7	556	556
38	,, 7	नहृी	नहीं
46	8	संक्रिय	सक्रिय
51 से 56	शीर्षक	अतरांकित	अतारांकित
54	11	सालना	सालाना
60	अन्तिम से 14	श्री केसरी संह हाडा	श्री केसरीसिंह हाड़ा
64	,, 11	पचायत	पंचायत
66	,, 13	मैदान काम के में	मैदान के काम में
69	शीर्ष	(श्रा प्रेमसिह सिंघवी)	(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)
70	3	प्रार्थन पत्र	प्रार्थना-पत्र
97	13	ल्धु	लघु
79	अन्तिम से 10	गिगम	निगम
103	,, 10	डिपैंन्सरी	डिस्पैंन्सरी
105	8	जनकारी	जानकारी
106	18	नीलाम कितनी	नीलाम में कितनी
107	12	का	की
109	अन्तिम से 11	श्री शोभाराम :	श्री शोभाराम (कृषिमंत्री):
110	7	श्री मनफूलसिंह :	श्री मनफूलसिंह (राज्यमंत्री, पशुपालन):
110	16	श्री विशम्भरनाथ जोशी :	श्री विशम्भरनाथ जोशी (राज्य मंत्री समाज कल्याण):
119	अन्तिम	र	पर
121	11	एस्योर्ड	एश्योर्ड
127	शीर्ष	(गुलाबसिंह शक्तावत)	(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
127	अन्तिम से 7	अपेक्ष	एपेक्स
129	10	शिड्यूल कास्ट	शिड्यूल कास्ट्स

1	2	3	4
131	[illegible] 7	जिनके	जिन केस का
133	[illegible]	उड़ाई	उठाई
137	अन्तिम से 12	कि आप पिछड़े	कि पिछड़े
137	,, 2	अरया का खर्च	रुपया खर्च
138	15	तरफ से न तो आज तक सर्वे हुआ	तरफ से आज तक सर्वे नहीं हुआ
139	अन्तिम से 13	बारे में	ऊपर
146	,, 8	कि पुराने कुओं को नवम्बर	कि नवम्बर
147	,, 7	सती	सकती
149	6	उपब्लध	उपलब्ध
154	5	वे	उन्हें
154	अन्तिम से 6	राज्य सरकार	उनकी
155	शीर्ष	(श्री रघनाथ विश्नोई)	(श्री रघुनाथ विश्नोई)
155	2	को	द्वारा
155	3	चाहते हैं राज्य सरकार उनको	चाहते हैं उनको
157	अन्तिम	(श्री उपाध्यक्ष पदासीन)	(श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्ष पदासीन)
159	अन्तिम से 16	प्रेजेन्स	प्रेजेन्ट
167	15	पोस्टिगं	पोस्टिग
179	17	बत	बात
198	13	वयातू	बायतू
200	अन्तिम से 2	ग्रीमावकाश	ग्रीष्मावकाश
207	9	सचौर	सांचौर
207	अन्तिम से 4 व 2	बांसवारा	बांसवाड़ा